खण्ड-300, अंक-1
मंगलवार, 21 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(12 दिसम्बर, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 373

अजुरहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसनाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमार शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
रहफ्मालास शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री

ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं),
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री

गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार,
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, प्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद , श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेजा बहादुर, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री

बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम , श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल, शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सियोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानू प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र. श्री
राम नि ोर, श्री
रामपति, श्री

राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोन्डा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दान, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)

श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र,, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल, श्री
सूयनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौहन लाल घुसिया,. श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेंगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत, मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह, बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री बलदेव सिंह आर्य श्री भी उपस्थित थे।

वैधानिक आपत्ति

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

बिल्कुल नहीं। यह तो डिस्टरबेंस करना है। प्रश्नों का जो समय है उसमें और दूसरी बातें नहीं हो सकतीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उसके बाद आप आज्ञा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या शर्त रख रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो भ्रष्ट मंत्री हैं उन्हें उत्तर देने का क्या हक है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इनका प्रश्न जो था वह वैधानिक प्रश्न था कि चूंकि इस मंत्रिमंडल में भ्रष्ट मंत्रियों की तादाद बढ़ गयी है इसलिए उनको मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। तो फिर सरकार क्या रहेगी? यह इनका प्रश्न था। तो उसके लिए प्रश्नों के बाद आप आज्ञा दें, चाहे जैसी व्यवस्था करें, उसमें एतराज नहीं है। और यह श्रीमन्, हम ही नहीं कहते हैं, सालिगराम जायसवाल जैसे नेता कहते हैं। यह तो कार्य-स्थगन भी दे दिया है, पहले उस पर विचार हो जाय और इनका उत्तर नहीं होना चाहिए जो भ्रष्ट मंत्री हैं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ दिसम्बर, १९७२ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वेतन आयोग की रिपोर्ट

**१—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? तथा कब से उसे लागू करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने वेतन आयोग की तिथियां कई बार बढ़ायी, तो अब कौन सी अन्तिम तिथि निश्चित की है और क्या सदन को आश्वासन देंगे कि अब और तिथि नहीं बढ़ायी जायगी और ३१ दिसम्बर के पहले ही वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जायगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, केवल एक बार पहले आयोग की रिपोर्ट दिये जाने की तिथि बढ़ायी गयी है और अब ३१ दिसम्बर, १९७२ तक उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा है और मुझे पूरी आशा है और अध्यक्ष, आयोग ने विश्वास दिलाया है कि ३१ दिसम्बर तक वह रिपोर्ट दे देंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, क्या वित्त मंत्री वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को यह भी निर्देश देंगे कि इस प्रदेश के सब कर्मचारियों को ८.३५ के हिसाब से बोनस दे दिया जाय, विशेष कर रोडवेज, विद्युत् और अन्य कर्मचारियों को—इस पर विचार करके कुछ निर्देश देने की घोषणा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इससे संबंधित नहीं है, लेकिन वह उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक निर्देश देने का प्रश्न है, राज्य सरकार वेतन आयोग को निर्देश नहीं दे सकती कि महंगाई भत्ता यह हो या फलां चीज इस तरह से हो। उनको अधिकार है कि वह क्या संस्तुति करें, उस पर बाध्यता नहीं लगा सकते। जहां तक बोनस देने का संबंध है, यह तो विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और परिवहन निगम के कर्मचारियों को ८.३३ परसेंट बोनस दे देने की घोषणा हो चुकी है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब वेतन आयोग ने जब समय बढ़ाने की मांग की तो क्या यह भी बताया था कि क्या कारण है जो उनको समय बढ़ाना पड़ रहा है, उनका उल्लेख किया था? यदि हां, तो क्या-क्या?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। तारीख ४ नवम्बर, १९७२ को सचिव, वेतन आयोग के द्वारा जो अर्द्ध शासकीय पत्र भेजा गया था उसमें कुछ कारण बताये गये थे। मुख्य कारण ये थे कि जो कार्य सौंपा गया है वह बड़ा व्यापक, दुरूह और अधिक समय लेने वाला है क्योंकि राज्य कर्मचारियों की उपलब्धियों, वर्तमान ढांचे का परीक्षण करने और उनके विषय में पुनरीक्षण की संस्तुति करने के अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए शासन, स्थानीय निकायों तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने में भी विशिष्ट संस्तुतियां देनी हैं। प्रदेश के कोने-कोने में फैले हुए सैकड़ों स्थानीय निकायों, विभागों एवं संस्थाओं से सूचना एकत्र करना एवं उसके संकलन करने में समय लगना स्वाभाविक ही था। बार बार स्मरण कराने पर भी कई स्थलों से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ स्थलों से, खासतौर पर स्थानीय निकायों से तो अक्तूबर, १९७२ के अन्त तक और कुछ स्थानों से नवम्बर के शुरू तक भी सूचना प्राप्त हुई जिसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक था। इसके साथ ही साथ जो गवाहियां वगैरह सैकड़ों एसोसियेशन की हुई, उनमें भी अधिक समय लगा और मई, जून, १९७२ में जो कुछ आटोनामस संस्थाएं हैं, उनके कुछ मसले भी वेतन आयोग के सुपुर्द किये गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय वित्त मंत्री जी मूल्यों के बढ़ते हुये सूचकांक को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम राहत के लिये सिफारिश करेंगे कि अन्तरिम राहत दी जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्यों के सहयोग से तीन, चार बार तो अन्तरिम राहत दी जा चुकी है। अब अन्तरिम न देकर जो भी राहत देनी होगी वह स्थायी रूप से देने का विचार है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह जो वेतन आयोग ने दो दफा मोहलत मांगी है, उसके खास कारणों में एक यह भी है कि जो एम० एल० एज० आपने नामिनेट किये हैं, वह मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं जिससे कार्य में बाधा पड़ती है?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप सदस्यों के बारे में टीका करना चाहते हैं।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

इस तरह से पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इसी का जवाब दे दें कि क्या कारण है कि जो माननीय सदस्य नामिनेट किये गये ह वह जनरली मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं, इसलिये देरी होती है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो मुझे सूचना मिली है उससे तो आयोग ने बहुत से मेहनत से काम किया है। १४ महीनों में ९८ मीटिंग्स आयोग की हुई। सितम्बर और अक्तूबर में १९ और २१ बैठकें की गयीं। अस्वस्थता के कारण ही कभी कभी वह सदस्य भाग नहीं ले सके लेकिन फिर भी सदस्यों ने काफी काम किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि 31 दिसम्बर से अधिक समय आयोग को नहीं दिया जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सम्मानित वेतन आयोग 31 दिसम्बर से आगे समय नहीं मांगेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब 15 नवम्बर तक वेतन आयोग का समय बढ़ाया गया था तो वित्त मंत्री जी ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि उससे आगे समय नहीं दिया जायगा लेकिन फिर भी समय बढ़ा दिया गया। आज भी बड़े गोल शब्दों में बात कही गयी है कि वह लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। क्या सरकार यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि वह इस आयोग की रिपोर्ट को 31 दिसम्बर से पहले प्राप्त कर ले ताकि अधिक विलम्ब न होता जाये ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं समझता हूं कि वेतन आयोग बड़ा सम्मानित आयोग है। यदि उन्होंने कुछ समय मांगा तो उसकी आवश्यकता उनको प्रतीत हुई। बहुत बड़ा काम कर रहे थे इसलिये उन्हें समय दिया गया। अब उन्होंने खुद यह कहा है कि हम इस बात की पूरी चेष्टा करेंगे कि 31 दिसम्बर तक रिपोर्ट दे दें और हमारा यह विश्वास है कि तब तक वह रिपोर्ट दे देंगे।

नव निर्वाचित जिला परिषदों का गठन

** 2—श्री गोविन्द सिंह नेंगी—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कब तक नव निर्वाचित जिला परिषदों का गठन करने जा रही है ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

क्षेत्र समितियों के सामान्य निर्वाचनों के उपरान्त जिला परिषदों के निर्वाचन कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

स्पष्ट तिथियां घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

क्षेत्र समितियों के चुनाव के बाद ही जिला परिषदों के चुनाव की तिथियां घोषित की जायेंगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्षेत्र समितियों के चुनाव कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इनके चुनाव फरवरी के मध्य तक पूरे हो जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह निश्चित तिथि जानना चाहता हूं कि आप जिला परिषदों का गठन कब तक करने जा रहे हैं और देरी का स्पष्ट कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मई के महीने में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हुये। उसके बाद बरसात के कारण क्षेत्र समितियों के चुनाव नहीं करा पाये। अब क्षेत्र समितियों के चुनाव प्रारंभ करा दिये गये हैं। सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का अनुमेलन 11 दिसम्बर को हो चुका है और 4 जनवरी को हरिजन तथा महिलाओं का भी अनुमेलन होगा। उसके बाद ब्लाक प्रमुख आदि का चुनाव होगा। हमारी कोशिश यह है कि 31 मार्च के पूर्व ही जिला परिषदों का गठन हो जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अभी तक महिलाओं तथा हरिजनों के अनुमेलन की तिथि 21 दिसम्बर रखी गयी थी, तो अब किस कारण से उसे 4 जनवरी रखा गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुछ माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह पर कि इस समय विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसलिये उनकी सुविधा को ध्यान में रख कर ही यह तिथि 4 जनवरी कर दी गयी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के गठन आदि के संबंध में सरकार ने एक समिति बनायी है और इस समति की बैठकें भी हुई हैं। तो क्या इस समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात् ही इनका गठन होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नियमानुसार पहले क्षेत्र समितियों का गठन हो जाना चाहिये, उसके बाद ही जिला परिषदों का गठन होता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरा प्रश्न दूसरा था। क्या उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इनका गठन होगा, यह मैंने पूछा था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति अधिनियम में संशोधन आदि करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये तथा पंचायतों को क्या क्या अधिकार दिये जायं, इन पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की गयी थी और उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही उस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के चुनाव के साथ-साथ जिला परिषदों के सदस्यों का भी चुनाव करायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

क्षेत्र समितियों के चुनाव के साथ साथ जिला परिषदों के सदस्यों का भी चुनाव होना सम्भव नहीं है। जब तक क्षेत्र समितियां गठित नहीं होंगी, जिला परिषदों के सदस्यों का चुनाव नहीं हो सकता।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समिति के प्रमुखों के चुनाव के साथ ही जिला परिषद् के चुनाव, जैसा पहले भी हुआ था, कराने जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं बता चुका हूं।

श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

चूंकि सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि 26 जनवरी तक शपथ हो जाएगी, तो अब इसमें परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

क्षेत्र समिति के गठन के बाद न्याय पंचायतों के पंचों का चयन होगा। तिथियों में परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके लिए पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि माननीय सदस्यों ने आग्रह किया था कि इन तिथियों मे यहां विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसलिए अनुमेलन की तिथियों को कुछ आगे बढ़ा दिया जाए, अब हम फरवरी के मध्य तक क्षेत्र समितियों के चुनाव समाप्त कर देंगे।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च तक जिला परिषदों का गठन हो जाएगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरा प्रयास होगा कि 31 मार्च के भीतर जिला परिषदों का गठन हो जाए।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के ऋषिकेश गोदाम से बेची गई खाद

** 3—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रिल कार्पोरेशन के ऋषिकेश गोदाम से अक्तूबर, नवम्बर, 1971 में 42,835 रुपये की खाद जो बेची गई थी, मार्च, 1972 में बेची गई दिखाई गई और इस सम्बन्ध में ऋषिकेश गोदाम के ए० एस० ओ०, श्री ओसमाण्ड को निलम्बित भी किया गया? यदि हां, तो इस गोलमाल का पूर्ण विवरण क्या है और बीच की उक्त अवधि में सरकारी धन कहां और किस के पास रहा और इसके लिये अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां। 42,868 रुपया 50 पैसे मूल्य की खाद ऋषिकेश गोदाम से श्री एस० के० ओसमाण्ड, सहायक बिक्री अधिकारी द्वारा अक्तूबर/नवम्बर, 1971 में उधार बेची गई और उसका बिल मेसर्स कुमार ब्रदर्स, ऋषिकेश को मार्च, 1972 में भेजा गया जिसकी अदायगी उक्त फर्म नहीं कर रही है। प्रारम्भिक जांच से ज्ञात हुआ है कि उक्त फर्म धोखा देकर खाद

ले गई। धोखा देने का मामला पुलिस स्टेशन ऋषिकेश में दर्ज है। अभी सम्पूर्ण मामले की जांच हो रही है। दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न देख लें, उसका उत्तर नहीं आया है। चौथी लाइन से देखें—"इस सम्बन्ध में ऋषिकेश गोदाम के ए० एस० ओ०, श्री ओसमाण्ड को निलम्बित भी किया गया ? यदि हां, तो इस गोलमाल का पूर्ण विवरण क्या है ?" तो मान्यवर, इसका उत्तर ही नहीं दिया। केवल यह कह दिया कि सरकार के आदमियों को धोखा दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ ? इसको आप स्पष्ट कीजिए। इसमें धोखा नहीं हुआ है, कोई पूर्ण विवरण नहीं है। उसके बाद पूछा था कि "बीच की उक्त अवधि में सरकारी धन कहां और किसके पास रहा और इसके लिये अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?" मामला गड़बड़ी का है, आप पूर्ण विवरण दिला दें, ताकि हम पूरे सवाल कर लें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इन सब बातों का जवाब पहले ही आ गया है—"जी हां"। इस "हां" में सब आ गया है और इसके बाद डिटेल नीचे दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह स्पष्ट नहीं है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, सवाल है कि —क्या अक्तूबर, नवम्बर, १९७१ में ४२,८३५ रुपये की खाद बेची गई थी, इसका जवाब है,, 'जी हां'। इसके बाद पूछा गया है—क्या गोदाम के ए० एस० ओ०, श्री ओसमाण्ड को निलम्बित भी किया गया ? इसका भी जवाब है—'जी हां'।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आज शाम तक 'जी हां' जोड़ दिया जाय।

श्री रामगोपाल सण्ड—

माननीय मंत्री जी मुफ्त में उधार दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आपने उत्तर में बताया है कि अक्तूबर/नवम्बर में खाद उधार बेची गयी, और उसका बिल मार्च में भेजा गया, तथा प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ कि फर्म धोखा देकर खाद ले गयी, तो कैसे मालूम हुआ है धोखा है, और धोखा है तो क्या धोखा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

30 अक्तूबर और 2 नवम्बर को 42,868 रुपये की खाद इस कम्पनी को दी गयी 45.25 टन। 22-3-72 को उसका बिल भेजा गया। जब बिल पर उन्होंने लिखा कि माल प्राप्त होने पर भुगतान किया जायगा, जब वहां के अधिकारी को यह मालूम हुआ तो इसकी जांच की गयी, जांच से मालम हुआ कि खाद उधार बेची गयी, कम्पनी के पैसा देने से हीला-हवाला करने पर सारे मामले की जांच की गयी। जांच करने के बाद सम्बन्धित अधिकारी ओसमाण्ड को सस्पेंड किया गया। अभी सूचना मिली है कि सिविल सूट भी फाइल हो गया है, इसलिए मामला सबजुडिस हो गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अक्तूबर में खाद दी गयी, जिसने खाद रिसीव किया, क्या उसके दस्तखत हैं ? यदि हां, तो मार्च तक पांच महीने बिल क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यही गड़बड़ी हुई । इसलिए सस्पेंड किया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

धोखे की जानकारी विभाग को कब हुई, उसकी एफ० आई० आर० कब दर्ज की गई ? और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है 27-3-72 को । उसके पूर्व सूचना प्राप्त हो गयी थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न है । यह अधूरा जवाब है । मैंने तीन बातें पूछी थीं--विभाग को धोखे की जानकारी कब हुई, रिपोर्ट कब दर्ज की गई और रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? केवल रिपोर्ट की तारीख बता दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही क्या हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्यक्ष--

पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज है, जांच जारी है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मैं जानना चाहता हूं कि उधार लेने की क्या कार्यवाही हुई, कैसे कहते हैं कि उधार लिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्यक्ष--

श्रीमन्, उधार देने का नियम नहीं था, अधिकारी ने नियम के खिलाफ उधार खाद बेची । जब यह प्रकाश में आया तो संबंधित अधिकारी को निलम्बित किया गया और जितने रुपये की खाद दी गयी थी, उसकी रिकवरी सिविल सूट फाइल कर दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि सिविल सूट किसने दायर किया, पार्टी कौन है, उनके नाम क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ऐग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन ने सिविल सूट फाइल किया है । सिविल सूट फाइल कियां गया है कुमार ब्रदर्स के ऊपर और आसमाण्ड जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ दायर किया गया है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

अध्यक्ष जी, मैं आपको माध्यम से यह कहना चाहता था कि यह प्रश्न मैने 22 अक्तूबर को दिया था और सरकार को यह प्रश्न 4 दिसम्बर को चला गया था । इस प्रश्न के जाने के बाद एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन ने जो दीवानी का दावा कर दिया वह क्या इसलिये किया है कि अधिकारियों ने जो गड़गड़ की है, उसको बचाया जा सके और उस सम्बन्ध में पुलिस जो छानबीन कर रही है उसे रोका जा सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्रीमन्, दीवानी का दाबा तो इसलिये किया गया है ताकि सरकारी धन बसूल हो जाय। गड़बड़ी रोकने के लिये थोड़ी किया गया है।

उद्योगों को बिजली की कटौती से छूट

**4—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दिनों सारे प्रदेश में बिजली प्रातः काल 8 बजे से दिन 2 बजे तक बन्द रही, उन्हीं दिनों किन-किन उद्योगों को बिजली की छूट दी गई ? इस छूट का आधार क्या है और क्या हिन्डालको मिर्जापुर को इस प्रतिबन्ध की छूट दी गई ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ट्यूबवेलों को 18 घंटे बिजली दे सकने के लिये तारीख 18 नवम्बर, 1972 से तारीख 30 नवम्बर, 1972 तक सारे उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक बिजली बन्द रही। उन दिनों केवल परमावश्यक सेवा, प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिष्ठान तथा अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को छूट दी गई थी। हिण्डालको, मिर्जापुर अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों की श्रेणी में आता है, अतः उपरोक्त छूट उन्हें उपलब्ध थी। परन्तु 25 प्रतिशत उपभोगता की कटौती इन पर लागू थी।

कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 18 घंटे किसानों को बिजली देने के लिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें या उनके विभाग को कुछ शिकायतें जिलों से प्राप्त हुई हैं जहां कि 6 घंटे से भी ज्यादा किसानों को बिजली प्राप्त नहीं हुई हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां, शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जहां जितनी बिजली की अपेक्षा की गई थी वहां उतनी बिजली किसानों को नहीं मिल सकी।

कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह--

जब मंत्री जी इस बात को मानते हैं तो क्या जो यह प्रतिबन्ध लगा है उसके अनुसार उन्हें बिजली नहीं दी गई, उसके क्या कारण थे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, उन शिकायतों पर अलग-अलग जांच हो रही है किन्तु सामान्यतया उसके कारण इस प्रकार हैं जैसे ट्रांसफारमर का फेल हो जाना, जल जाना और लाइन की फिटिंग इत्यादि का होना।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, मंत्री जी लम्बा-चौड़ा भाषण दे देते हैं कि सारा देश इलेक्ट्रिफाइड हो जायेगा किन्तु अब बिजली में कटौती कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको बिजली में कटौती करने के लिये इन दो कारणों ने बाध्य किया कि आपने अतिरिक्त जेनेरेशन नहीं किया और दूसरे अधिकारियों द्वारा बिजली की चोरी करवाई गई, कि किसान खेती न कर सकें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक जेनेरेशन का सवाल है अतिरिक्त जेनेरेशन पिछले दो वर्षों में हुआ है। ओबरा और हरदुवागंज में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। जहां तक चोरी का प्रश्न है मैं मानता हूं कि चोरी होती है और कहीं-कहीं से शिकायतें भी आती हैं और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाती है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे केन्द्रीय मंत्री श्री के० एल० राव ने अपने बयानों में कहा है और मैंने उन्हें पढ़ा भी है कि आइन्दा सालों में बिजली का संकट और होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इसके बाद भी बिजली में कटौती करने की सम्भावना होगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया, वे हिन्दुस्तान भर की बात जानते हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

मैं तो यू० पी० के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। माननीय सदस्य ने जिस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का जिक्र किया है वह परिस्थिति विद्यमान रहने की पूरी आशंका है। जो कटौती हुई है वह पिछले वर्ष बारिश न होने के कारण हुई है। यदि फिर बारिश न हुई तो भविष्य में भी जून, 1973 तक तो यह कटौती जारी रहेगी ही। हम सबकी प्रार्थना यही है कि बारिश ठीक से हो, जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बिजली का उत्पादन ज्यादा हो ताकि कटौती की आवश्यकता न हो। इसलिये अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि 73, 74 या 75 में बिजली में कटौती नहीं हो सकेगी।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या सरकार की नीति यह है कि सिर्फ बड़े उद्योगों को ही बिजली दी जाय ? आप देखें कि जिन उद्योगों को बिजली दी गयी है वे सिर्फ बड़े उद्योग हीं हैं, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी की वजह से छोटे उद्योगों को बन्द कर देना चाहती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जाय। जितनी कटौती की आवश्यकता है उतनी ही कटौती की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कटौती स्कीम को, सरकार द्वारा लखनऊ में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दफ्तर है, उसमें किस चीज के ऊपर कटौती लागू की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कार्यालय में भी कटौती की गयी है। लिफ्ट भी बन्द किये गये हैं।

श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 18 से 30 नवम्बर के बीच जो बिजली बन्द होने की अवधि थी, क्या इलाहाबाद के कुछ मुहल्लों से ऐसा शिकायती-पत्र आया है कि उसके बाद भी दो तीन दिन तक वहां बिजली नहीं आयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, इलाहाबाद से शासन को कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं कि इलाहाबाद के कुछ मुहल्लों में निर्धारित घंटे के अलावा भी बिजली देते रहे, इन सब बातों की जांच के लिये चीफ इंजीनियर को भेजा गया है।

श्री बलबीर सिंह—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने तसलीम किया है कि किसानों को बहुत कम बिजली मिल पायी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी और उनको इसकी शिकायत मिली है जिसकी वे तहकीकात भी करा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि आयन्दा इस तरह की शिकायत किसानों को न हो और उनके लिये पूरी बिजली देने का प्रबन्ध किया जा सकेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

किसानों को अधिक बिजली मिले इसका प्रयास किया जायेगा और इसीलिये कटौती भी की गयी है। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूंगा कि यदि वे कोई सुझाव इस सम्बन्ध में अपनी ओर से भी देंगे और शासन भी उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके कार्यवाही करने की कोशिश करेगा।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि किसानों को 18 घंटे तक बिजली मिले। लेकिन इस प्रकार 8 बजे से 2 बजे दिन तक का जो समय है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे 8 बजे रात्रि से लेकर 6 बजे सुबह तक जब कि देहाती क्षेत्र में अंधेरा रहता है, उस समय बिजली देने से किसानों को क्या फायदा होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

8 बजे सुबह से 2 बजे तक जो बिजली शहरी क्षेत्र में बन्द की गयी है वह इसी बात को ध्यान में रख कर कि किसानों को बिजली मिल सके।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या शासन ने इस बात का सर्वेक्षण कराया है कि बिजली के अभाव के कारण कितने क्षेत्रफल में सिंचाई न होने की वजह से ज्यादा ईल्ड देने वाले गेहूं की बोवाई नहीं हो सकी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, वह सही हो सकती है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री रामसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा सुझाव है श्रीमन्, कि इस पर आप ढाई घंटे की चर्चा करा दें तो अच्छा हो।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आध घंटे की चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न पर 10, 12 पूरक प्रश्न हो चुके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी:—

मैंने आपको लिखकर दिया है कि इस पर ढाई घंटे की चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मंजूर कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको नियम 52 में स्वीकार कर लिया है। यह 28 तारीख को आयेगा। इस पर 10,12 प्रश्न हो चुके हैं।

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

18 तारीख को बहुत देर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

कैसे लेट हो जायेगा? आज 12 तारीख है। 6 रोज है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद्, सहारनपुर की पंजीकृत चमड़ा रंगाई सोसाइटियां

*1—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, सहारनपुर के अन्तर्गत कितनी चमड़ा रंगाई सोसायटियां पंजीकृत हैं और उन सभी सोसाइटियों से वर्ष 1970–71 तथा वर्ष 1971–72 में प्रत्येक से कितनी-कितनी लाइसेंस फीस वसूल की गई हैं? क्या यह भी सही है कि सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य से अलग-अलग भी लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

16 सोसाइटियां पंजीकृत हैं। वर्ष 1970–71 तथा वर्ष 1971–72 में किसी भी सोसाइटी से लाइसेंस फीस प्राप्त नहीं हुई। किसी भी सदस्य से लाइसेंस फीस वसूल नहीं की गई।

श्री राम सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जिला परिषद् द्वारा दोनों बातों के लिये इंकार किया गया है कि न तो सोसाइटियों से फीस वसूल की गई है और न व्यक्तियों से, तो क्या कोई फीस वसूल नहीं की जाती है?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, फीस ली जाती है। उन व्यक्तिगत रगने वालों को जिला परिषद् ने शुक्ल का नोटिस दिया था किन्तु उन्होंने अवहेलना की। इस पर उन पर मुकदमे दायर किये गये। लेकिन इस बीच जिलाधिकारी द्वारा फैसला किया गया कि अब सोसाइटीवार शुल्क लिया जायेगा। फलतः व्यक्तिगत मामले वापस ले लिये गये और सोसाइटी से शुल्क लिया जा रहा है।

श्री राम सिंह—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि यदि अब भी कुछ मुकदमें पेंडिंग हों तो उनको वापस लेने के आदेश प्रसारित कर देंगे कि जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनस सोसाइटी से ही शुल्क लेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, जिलाधिकारी द्वारा मुकदमें जो व्यक्तिगत आधार पर चलाये गये थे उनको वापस ले लिया गया। लेकिन यदि माननीय सदस्य कोई मामले नोटिस में लायेंगे तो उसको देख लेंगे।

नगरपालिका, सहारनपुर का जुबली पार्क

*2—श्री राम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1972 में नगरपालिका, सहारनपुर में स्थित जुबली पार्क में बोर्ड ने एक टेलर मार्किट बनाने की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें हस्तक्षेप करके सार्वजनिक महत्व के इस पार्क को बरबाद होने से रोकेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

माह मार्च, 1972 में नगरपालिका, सहारनपुर में स्थित जुबली पार्क में एक टेलर मार्केट बनाने की कोई स्वीकृति बोर्ड ने नहीं दी है। अप्रैल, 71 में नगरपालिका ने उक्त पार्क में दुकानें बनाने का निर्णय अवश्य लिया था। किन्तु उन्हें यह दुकानें बनाने के लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जो अभी तक नहीं ली गयी है। अतः इस समय शासन के हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि सन् 71 में इस पार्क के अन्दर कुछ दुकानें बनाने का प्रस्ताव सहारनपुर नगरपालिका ने पारित किया था तो क्या शासन की स्वीकृति के लिये कुछ कागजात उस नगरपालिका ने भेजे थे ? यदि हां, तो शासन ने उन पर क्या विचार किया ?

श्री बेनी सिंह—

उत्तर से साफ है कि जहां तक हमारी जानकारी है कोई इस प्रकार के कागजात शासन के पास नहीं आये, इसलिये कार्यवाही करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार सहारनपुर में दुकानों की कमी और वहां के लोगों का ध्यान रखते हुये वह नगरपालिका, सहारनपुर को कहीं पर भी दुकानें बना कर देने के लिये स्वीकृति देगी और इस पर विचार करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

दोनों ही पहलुओं पर विचार किया जायगा कि दुकानों की कमी भी दूर हो जाय और यह भी देखा जायगा कि ओपिन पार्क रहे या न रहे, जो उचित होगा वही किया जायगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह सहारनपुर का जो जुबिली पार्क है वही एक वहां का बड़ा पार्क है जहां पर तमाम सभायें होती हैं और मेले लगते हैं, इस चीज को ध्यान में रख कर क्या सरकार यह उचित समझेगी कि वहां इस प्रकार की दुकानों की इजाजत न दी जाय ?

श्री बेनी सिंह—

माननीय सदस्य कहते हैं तो उन की बात पर ध्यान रख कर ही स्वीकृति दी जायगी। दोनों ही बातों पर विचार कर के निर्णय होगा।

गोंडा जिले में त्वरित योजनान्तर्गत मार्गों का निर्माण

*3—श्री सूरजलाल गुप्ता (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा में त्वरित योजना के अन्तर्गत कुल कितने मील मार्गों का निर्माण किया जा रहा है? उन मार्गों के नाम क्या हैं? क्या यह भी बतायेंगे कि मार्गों के निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया 31 मार्च, 1972, तक व्यय किया जा चुका है तथा वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद गोंडा में त्वरित योजना के अन्तर्गत 58 कि० मी० लम्बे सामान्य मार्गों तथा वन परियोजनाओं के अधीन 42 कि० मी० लम्बे बन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इन मार्गों के नामों की सूची संलग्न है।

इन मार्गों पर 31 मार्च, 1972 तक कुल 13,07,331 रु० व्यय किया गया और इन सड़कों के 31 मार्च, 1974 तक पूरे होने की आशा है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 117 पर।)

बहराइच जिले में त्वरित योजनान्तर्गत प्रारम्भ कार्य

*4—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में कौन-कौन से कार्य त्वरित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये और उनकी अलग-अलग प्रगति क्या है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

बहराइच जिले में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यों एवं उनकी प्रगति की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 118 पर।)

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तालिका प्रस्तुत की गई है उसमें केवल नंबर 1 व 2 को छोड़ कर शेष पर ईटों की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसका कारण क्या है और भविष्य में उनकी क्या व्यवस्था की जायगी?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

जो तालिका मेरे पास है उसमें तो ईटों की व्यवस्था है..

श्री रामधारी शास्त्री—

केवल नबर 1 व 2 है लेकिन बाकी अन्य में किसी में भी नहीं है, इसका कारण क्या है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

आइटम 3 पर, 4 पर पूर्ति हुई है, व 6 व 7 पर भी ईटों की पूर्ति हुई है और 10 पर भी पूर्ति हुई है और ईटों की उपलब्धि के अनुसार अधिक से अधिक पूर्ति की जा रही है।

श्री रामधारी शास्त्री--

मालूम होता है कि मन्त्री जी को भ्रम हो रहा है उन्होंने गलत पढ़ दिया है, ईटों की पूर्ति नहीं हुई है, केवल नम्बर 1 व 2 पर ही हुई है, बाकी किसी पर भी नहीं हुई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

क्षमा करें, आप की बात सही है, मैंने गलती से ईट की बजरी को ईट समझ कर पढ़ दिया ।

श्री रामधारी शास्त्री--

दो के अलावा और सब में ईट की व्यवस्था न होने का कारण क्या है और बाकी सब क्यों खाली है और भविष्य में इस कमी को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

ईटों का प्रश्न कोयले से जुड़ा हुआ है, कोयले का अभाव है। हमारी कोशिश है कि कोयला अधिक से अधिक मिले जिससे अधिक ईंट पकाई जा सके लेकिन जितना कोयला उपलब्ध है उसमें ही अधिक से अधिक ईंट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ईटों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार की ओर से कौन-कौन से प्रयास किये गये हैं और जिनके माध्यम से किये गये हैं, वे कौन-कौन हैं जो पूरे नहीं हुए हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

भट्टे वालों से बात की है उनसे अधिक से अधिक मात्रा में कोयले का प्रयास किया गया लेकिन कोयले के कमी के कारण मामला सब से अड़ जाता है। तो कोयले को प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है और जैसे जैसे प्रबन्ध होता जा रहा है, ईटें बनती जा रही हैं ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन-जिन सड़कों की पूर्ति के बारे में बताया गया उनके बारे में वांछित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और गयाघाट-मटिहा मार्ग पर अभी तक हजारों रुपये लेबर का पेमेन्ट नहीं किया गया है ? क्या माननीय मन्त्री जी उस लेबर का पेमेन्ट भी कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

हमारे पास जो सूचना है उसमें यह है कि शर्तें पूरी पूरी हुई हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य हमको लिखकर देंगे कि हम मांगें या हमारी सुचनानुसार काम नहीं हुआ तो मैं उनकी जांच करवा लूंगा । मैं इसकी भी जांच करवा लूंगा कि लेबर को पेमेंट हुआ है अथवा नहीं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि केवल 1 और 2 आयटम्स को छोड़कर किसी सड़क पर इटे नहीं रखी गयी है । ये अनियमिततायें सिर्फ बहराइच जिले में ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश में है। अतः क्या माननीय मन्त्री जी इन सभी के बारे में जांच कराने की कृपा करेंगे ? और सरकार के धन का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके क्या क्या कारण हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

इसमें अनियमितता का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि ईटों का प्रबन्ध समुचित मात्रा में नहीं हो रहा है और वह कोयले के अभाव से नहीं हो रहा है । मैंने पहले ही निवेदन किया कि

शासन इस बात का प्रयास कर रहा है कि कोयला प्राप्त करे और जैसे जैसे कोयला आता जा रहा है ईटों के भट्टे लगते जा रहे हैं ।

श्री राम बिलास पांडेय—

10 सड़कों में से केवल 2 को ईटें दी गयी है । मन्त्री जी ने अभी कहा कि ईटों का सम्बन्ध कोयले से है और कोयले का सम्बन्ध बैगन से है । तो ईंटों का सम्बन्ध कोयले से और कोयले का सम्बन्ध बैगन से और सड़क का सम्बन्ध प्रधान मन्त्री और मन्त्री जी से क्योंकि त्वरित योजना में जितनी भी सड़कें बन रही हैं, उन पर प्रधान मन्त्री की तख्ती लगायी है कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा-गांधी द्वारा बनायी जा रही हैं । तो सड़क का सम्बन्ध उनसे है और यह 1974 के चुनाव तक चलता रहेगा बिजली ये ज्यादा तैयार कर रहे हैं लेकिन किसानों को मिल नहीं रही है । बिजली इनके पास है नहीं । दो बजे दिन से आठ बजे रात तक बिजली नहीं दी जाती है । आठ बजे रात किसान खाना बनाता है, पानी देना होता है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सड़क का सम्बन्ध क्या इनसे है और प्रधान मन्त्री से है वोट लेने के लिये ?

श्री अध्यक्ष—

आपने नतीजा निकाल लिया है फिर क्या है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जैसा कि कहा गया कि त्वरित योजना के अन्दर सड़क बन रही हैं । उनमें प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का नाम लिखा जा रहा है । क्या इस नीति को डिस्करेज करेंगे कि जिसमें सार्वजनिक धन का उपयोग होता है उनमें प्रधान मन्त्री या किसी मन्त्री का नाम न हो ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नाम का लगाना कहां तक रोकेंगे ये । कार्यक्रम उन्होंने चलाया था विशेष रूप से इसलिये यह सूचना लिख दी गई है । हमारा कार्यक्रम नहीं था । सेन्टर से प्रधान मन्त्री की प्रेरणा से चला है । तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अनुचित बात हो रही है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि ईटों का काम कब तक पूरा हो जाना था और उसके बारे में क्या क्या प्रयास किये गये । किन किन भट्टों से किन किन दामों पर ईंटें ली गई । मैं समझता हूं कि यह सारे उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर काम पूरा हुआ है । बहराइच जिले में दस साल में एक काम पूरा हुआ । इसकी क्या वजह है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो रही है । जो सूचना आपको दी गई है कालम नं 0 5 में उसमें ईटें दो सड़कों पर बिछाई गई हैं । लेकिन कालम नं 0 7 को देखें । उसमें आप देखेंगे कि ईंटें बजरी की भरती से बन्द की गई है । नं 0 1, 2, 3, 4, 6, और 7 है और दस सड़कों पर बजरी और ईंटों से उसको पक्का करके उसमें तारकोल से पेन्ट किया जा रहा है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि ईंटें बिछाई गई हैं और अब ये कह रहे हैं कि कंकड़ गिरा कर पूरा कर रहे हैं । इन दोनों उत्तरों में क्या सही है ?

श्री अध्यक्ष—

दोनों सही हैं । बजरी का उत्तर एक दिया गया और मन्त्री जी ने दिया ईंटों का जवाब ।

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, बगैर ईटों के गिट्टी नहीं रक्खी जा सकती। मन्त्री जी का यह कहना है कि सड़कें तारकोल से पूरी की जा रही हैं।

श्री पारस नाथ सिंह--

माननीय मन्त्री महोदय का बिल्कुल फर्जी स्टेटमेन्ट है।

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, इसकी जांच कराइये और बताइये कि विलम्ब के कारण क्या हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने त्वरित योजना चलायी और उत्तर प्रदेश भर में सड़कों पर उनका नाम लिखा जा रहा है, तो ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में जो काम हुआ था और जिस कमेटी के अध्यक्ष श्री वंशीधर पांडे थे, क्या उस योजना की सड़कों में उनका नाम लिखवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब तो यह हुआ .....

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह केवल प्रधान मन्त्री जी के प्रचार का साधन मात्र है। यह तो जनता के धन का अपव्यय है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

जिला परिषद् झांसी के स्कूलों के भवनों का निर्माण

* 5---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् झांसी में स्कूलों के भवनों के निर्माण का लगभग 6 लाख रुपया सन् 1965-66, 1966-67 से बगैर उपयोग के पड़ा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

जी नहीं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि पहली दिसम्बर 1972 को, गत वर्षों का रुपया खर्च करने के लिये, जिला परामर्शदात्री समिति ने विचार किया और अध्यक्ष ने आदेश दिये कि इस रुपये को जल्दी खर्च किया जाय और इन भवनों को बनवाया जाय ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

इससे तो यह सम्बन्धित नहीं हैं। 65-66 और 66-67 की बात पूछी थी। अब सम्भवतः 72 की बात पूंछ रहे हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

मैं 65-66, 66-67 का ही पूछ रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

वह तो बता दिया, लगभग पांच हजार रुपया दोनों सालों का बचा हुआ है। यह कोई बहुत भरी रकम नहीं है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि पिछले सालों में और 65-66 और 66-67 में राज्य सरकार की तरफ से चार जूनियर हाई स्कूल प्रति वर्ष खोलने और भवन निर्माण के लिये 15-15 हजार रुपया दिया गया था और उस रुपये का भी उपयोग नहीं हुआ और वह रुपया पड़ा हुआ है, इमारतें नहीं बनी हैं? अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर जांच करायेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

65-66 का मैंने बता दिया। इससे पहले का जो कहा जा रहा है कि 15-15 हजार रुपया जूनियर हाई स्कूलों के लिये दिया गया, इसकी सूचना नहीं है। अगर आप लिखकर दे देंगे--मैं तो समझता हूं कि आपका कथन ही काफी है, हम इसकी जांच करा लेंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन सालों में केन्द्रीय सरकार ने इन नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के विद्यालयों के लिये बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान दिया है और लगभग एक करोड़ रुपया पारसाल भवनों के निर्माण का जिला परिषदों और नगरपालिकाओं ने उपयोग नहीं किया, वह लैप्स हो गया ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, यह सही है कि पिछले सालों का जिला परिषदों के पास कुछ धन है और वह धन इस मद में है कि कुछ रुपया दिया गया था प्रारम्भिक पाठशालाओं के निर्माण और मरम्मत के लिये। वह अभी उनके पास बाकी है। शासन ने यह फैसला किया है कि उस धन का उपयोग किया जाय और शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। इस प्रकार के आदेश भेज दिये गये हैं और प्रत्येक जिले में इस प्रकार की व्यवस्था भी की जा रही है।

सहकारी क्रय विक्रय समिति, रुद्रपुर (नैनीताल) के प्रबन्धक

*6--श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली), श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या सहकारिता मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति, रुद्रपुर, जिला नैनीताल में उसी क्षेत्र के मौजा प्रतापपुर, नरायनपुर, खमरिया, रामेश्वरपुर, रामनगर, कनकपुर, लालपुर के किसानों का रखा हुआ गेहूं उक्त समिति के प्रबन्धकों ने बिना उन किसानों को बताये मनमाने दाम पर बेच दिया और उन किसानों को अब तक दाम नहीं दिया गया? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

मौजा कनकपुर तथा लालपुर के किसानों को छोड़कर अन्य पांच मौजों के 34 किसानों का गेहूं समिति ने 1971-72 में बन्धक रखा था। 31 किसानों ने अपना गेहूं वापस ले लिया। शेष तीन का गेहूं बेचा गया था। एक का माल उनकी लिखित सहमति पर तथा अन्य दो का माल उनकी मौखिक सहमति से बेचना बताया गया। दो का विक्रय मूल्य उनके खातों में समायोजित कर लिया गया था तीसरे किसान को लिखित तथा मौखिक रूपों में अपना रुपया ले जाने कोकहा गया किन्तु वे नहीं आये। सदस्यों की स्वीकृति एवं बाजार भाव से कम मूल्य पर माल बेचने के आरोप की जांच से सन्तुष्ट न होकर शासन ने उच्चस्तरीय जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कानपुर के सहकारी संघों के खाद में गबन

*7--श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्री श्रीकृष्ण वाजपेयी (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जनपद के चौबेपुर, प्रतापपुर, गबड़ौहा सहकारी संघों से 5 लाख रुपये से अधिक का खाद में गबन है और क्या सरकार उक्त सहकारी संघों से सम्बन्धित श्री एस० के० त्रिपाठी, ए० डी० सी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने की आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

कानपुर जनपद के चौबेपुर, प्रतापपुर एवं गबड़ौहा सहकारी संघों में वर्ष 1969-70 व 1970-71 के आडिट रिपोर्ट के अनुसार खाद के हिसाब में गबन का संदेह है। मामले की जांच की जा रही है और जांच पूर्ण हो जाने पर ही निश्चित गबन की गई धनराशि का पता चल सकेगा। जांच पूर्ण होने तथा वास्तविक स्थिति का पता लगने और आरोप सिद्ध होन पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

*3--श्री दलसिंगार यादव--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मिर्जापुर जिले को लिफ्ट कैनाल

*9--श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में गंगा नदी से जो लिफ्ट कैनाल भवानीपुर से निकाली जा रही है वह कहां तक जायगी और उससे कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मिर्जापुर जिले के भवानीपुर ग्राम के निकट रामरायपुर पम्प नहर गंगा नदी के किनारे से बनाई जा रही है। इस पम्प नहर की मुख्य एवं शाखाओं की लम्बाई 3 मील 4 फलांग होगी और इस से लगभग 1800 एकड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

*10--श्री शिवदास--

क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह नहर कब से बन रही है और कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उक्त नहर पर सितम्बर, 1970 से कार्य आरम्भ है और यह सितम्बर, 1973 तक बन कर पूर्ण हो जाने की आशा है।

जिले के विकास खंडों में सरकारी जीप गाड़ियां

*11--श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सभी जिलों के विकास खंडों को सरकारी जीप गाड़ियां उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या पिथौरागढ़, चमोली जिले के विकास खंडों को भी जीप गाड़ियां दी गई हैं ?

श्री बलबेव सिंह आर्य—

प्रदेश के सभी जिलों के केवल 657 विकास खंडों में जीप गाड़ियां उपलब्ध हैं। इनमें जिला पिथौरागढ़ तथा चमोली के 8 विकास खंड भी शामिल हैं।

खण्ड विकास अधिकारी, बेलघाट, गोरखपुर का स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध शिकायतें

*12—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, बेलघाट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी गत अगस्त, 1971 से 30 जून, 1972 तक कितने शिकायती-पत्र सरकार एवं अधिकारियों को प्राप्त हुए और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

खण्ड विकास अधिकारी बेलघाट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी 5 शिकायती-पत्र गत अगस्त, 1971 से 30 जून, 1972 तक सरकार एवं अधिकारियों को प्राप्त हुए।

प्राप्त शिकायती पत्रों में से एक की जांच हो चुकी है और उसके फलस्वरूप खण्ड विकास अधिकारी को सेन्सर की प्रविष्टि देकर दण्डित किया गया। शेष की जांच की जा रही है।

*13—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उपरोक्त खन्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण बेलघाट में कर दिया गया था और पुनः उन्हें वहीं रोक दिया गया है ? यदि हां, तो यह स्थानान्तरण कब हुआ रोकने की तिथि क्या है तथा उपरोक्त खण्ड विकास अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश सरकार द्वारा पुनः पारित होने के बाद भी क्या उन्हें रोकने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, स्थानान्तरण जून, 1970 तथा मार्च, 1972 में हुआ था, रोकने की तिथियां क्रमशः 18-8-70 तथा 18-3-72 हैं। उक्त खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण अब बस्ती जनपद को कर दिया गया है उन्हें विकास खण्ड बेलघाट से मुक्त किया जा चुका है।

खंड विकास अधिकारी, खलीलाबाद बस्ती, के विरुद्ध शिकायतें

*14—श्री सन्तूराम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खंड विकास अधिकारी खलीलाबाद, बस्ती का स्थानान्तरण 11 साल होने पर भी बस्ती से नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

खण्ड विकास अधिकारी खलीलाबाद, जिला बस्ती का स्थानान्तरण, जन हित में, अभी तक नहीं किया गया है।

*15—श्री सन्तू राम—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की अनेक शिकायतें 1970-71 में की गई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अक्टूबर, 1970 में एक शिकयत यह मिली थी कि खण्ड विकास अधिकारी राजनीति में सक्रिय भाग ले रहे हैं। इस शिकायत की जांच की गई जो निराधार पाई गई।

दूसरी शिकायत श्री हनुमान प्रसाद मिश्र, भ्रष्टाचार निरोध समिति, खलीलाबाद से प्राप्त हुई, जिसमें श्री मिश्र ने एक क्षेत्र प्रचारक का स्थानान्तरण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रोके जाने की शिकायत की थी बाद में इसी सम्बन्ध में जिला नियोजन अधिकारी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 10–2–71 द्वारा श्री मिश्र ने सूचित किया कि प्रसंग गत स्थानान्तरण में खण्ड विकास अधिकारी का कोई दोष नहीं था तथा उन्हें खण्ड विकास अधिकारी के कार्य से कोई असन्तीष नहीं है।

वन खण्ड राम नगर, नैनीताल में ऋंश प्रोग्राम के अन्तर्गत हुये कार्य पर व्यय

*16—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की दिनांक 2 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के क्रम में क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया यह बतावेंगे कि उत्तर के अन्तिम पैरा में जो आठ हजार रुपया व्यय होने की सूचना दी गई, व्यय किस प्रकार के थे और किस कार्य में लगाये गय और कितने मजदूरों को किस दर से मजदूरी दी गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विधान सभा में दिनांक २ मई, 1971 को प्रश्न सं0 10 के उत्तर के अन्तिम पैरा में लगभग आठ हजार रु0 व्यय होने की सूचना दी गई थी। वास्तविक व्यय 7,868.40 रु0 का था। यह व्यय प्रश्न के उत्तर में सूचित छः सड़कों के निर्माणार्थ विभिन्न कार्यों में हुआ था। इसमें 164 मजदूरों को 2071 मानव दिवसों के लिय विभिन्न दरों से मजदूरी दी गई। अकुशल श्रमिक की मजदूरी साधारणतया 2 रु0 से लेकर 4 रु0 प्रति दिन और कुशल श्रमिक की मजदूरी छः रु0 से लेकर आठ रु0 प्रति दिन थी।

*17—श्री इन्द्र लाल—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उत्तर के क्रम में संख्या 1 से 6 तक जिन कार्यों की सूची दी गई है उसका एस्टीमेट (नापजोख) किस टेक्निकल अधिकारी द्वारा बनाया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उत्तर के क्रम संख्या 1—6 तक के कार्यों का एस्टीमेट स्थानीय बनराजिक (Forest Ranger) जो टैक्निकल अधिकारी हैं, द्वारा बनाया गया था।

[दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका, मिश्रिख नीमसार, सीतापुर के सफाई कर्मचारियों का बकाया वेतन

*1—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मिश्रिख नीमसार, जिला सीतापुर के सफाई कर्मचारियों का लगभग पांच माह का वेतन बकाया हो गया है जिसे नगरपालिका के अधिकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं, फलस्वरूप सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो शासन क्या शीघ्र सफाई कर्मचारियों को वेतन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका, मिश्रिख–नीमसार, जिला सीतापुर के सफाई कर्मचारियों का वेतन जुलाई, 1972 तक का भुगतान कर दिया गया है। इस पालिका की सफाई कर्मचारियों द्वारा

हड़ताल करने के निश्चय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । पालिका द्वारा धनाभाव के कारण समय से वेतन नहीं दिया जा सका । वेतन की समस्या को हल करने के लिये नगरपालिका द्वारा भरसक प्रयत्न किया जा रहा है तथा सफाई कर्मचारियों का बकाया वेतन शीघ्र भुगतान करा दिया जायगा ।

*2—श्री राम निहोर राय, श्री राम वचन यादव, श्री नेतराम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

पोल्ट्री इन्सपेक्टरों एवं पशुपालों का स्थायीकरण

*3—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश के कितने पोल्ट्री इन्सपेक्टरों की सेवायें स्थायी हैं तथा कितनों की अस्थायी तथा अस्थायी पोल्ट्री इन्सपेक्टरों के स्थायीकरण की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री रामलखन)—

इस समय प्रदेश के समस्त 61 पोल्ट्री इन्सपेक्टरों की सेवायें पोल्ट्री इन्सपेक्टर के पदों पर अस्थायी हैं किन्तु इनमें से 49 की सेवायें पशुपालन।कुक्कुट पर्यवेक्षक के पदों पर स्थायी हैं ।

पोल्ट्री इन्सपेक्टरों के अस्थायी पदों में से दो तिहाई पदों के स्थायी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*4—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि गत 17 वर्षों से सेवारत पशु-सेवक आज भी अस्थायी हैं ? यदि हां, तो उनके स्थायीकरण की क्या योजना है ?

श्री राम लखन—

दो पशुपाल ऐसे हैं जो 16 वर्ष की सेवा कर चुके हैं । इनका कार्य एवं आचरण संतोष-जनक पाये जाने पर इनके स्थायीकरण पर विचार किया जायगा ।

*5—श्री रामवचन यादव, श्री नेतराम सिंह, तथा श्री रामनिहोर राय—

[3रे शुक्रवार के लिये प्र0 सं0 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मथुरा वेटेरिनरी कालेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक का रिक्त पद

*6—श्री रघुनाथ सिंह (आगरा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वेटेरिनरी कालिज में अन्डे उत्पादन योजना के अन्तर्गत रुपया 1,000–1,500 के वेतन-क्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक का पद किस समय से रिक्त चला आ रहा है, उस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई या नहीं ? यदि हां, तो किस की, कब से और किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

मथुरा वेटरिनरी कालिज में अण्डे उत्पादन योजना के अन्तर्गत रुपया 1,000–1,500 के वेतन-क्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक का पद दिसम्बर, 1971 में सृजित किया गया था । इस पद पर डा0 आर0 पी0 सिंह को दिनांक 22 अगस्त, 1972 से उनकी शैक्षिक अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है ।

*7—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा सेंक्शन 'सी' के कनिष्ठ अधिकारियों की सूची

*8—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर न उत्तर प्रदेश कृषि सेवा सेक्शन 'सी' के कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति हेतु विविध विषयों की कोई सूची शासन को भेजी है ? यदि हां तो क्या वह सूची वरिष्ठता के आधार पर ही सभी विषयों में बनी हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम लखन—

उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर के अधीन उत्तर प्रदेश कृषि सेवा प्रथम श्रेणी सेक्शन 'सी' के रिक्त पदों को तदर्थ रूप से भरने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा सेक्शन 'सी' द्वितीय श्रेणी के उन अधिकारियों का चयन किया गया है जो शिक्षा तथा शोध कार्य क लिये अर्ह तथा उपयुक्त थे और उनका सेवा रिकार्ड सन्तोषजनक था । इस चयन में केवल ज्येष्ठता को आधार नहीं माना गया है । इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव किया जायगा ।

क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी, इलाहाबाद फोर्ट की कार्यसमिति का चुनाव

*9—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इलाहाबाद फोर्ट स्थित क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी की कार्यसमिति अक्तूबर, 1971 में सरकार द्वारा भग कर दी गई, लेकिन उसका अभी तक न एडहाक कार्यसमिति का चुनाव ही हुआ और न वार्षिक ही ? क्या ऋण की अदायगी हो रही है ? यदि हां, तो वह पैसा क्या राजकीय कोषागार में जमा हो रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इलाहाबाद फोर्ट स्थित क्रेडिट सोसाइटी की कार्य समिति भंग नहीं की गयी है बल्कि वहां के 5 संचालकों ने इस्तीफा दिया है तथा दो संचालकों का बाहर स्थानान्तरण हो गया एवं एक सचालक की मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार वहां पर अध्यक्ष के ही पास समस्त संचालक मंडल का दायित्व है और वर्तमान समय में अध्यक्ष ही समिति का कार्य देख रहे हैं। एडहाक कार्य समिति का चुनाव नहीं हुआ है और न वार्षिक ही। सदस्यों से ऋण के किस्त की अदायगी हो रही है तथा वसूली का धन बैंक में जमा हो रहा है।

जिला परिषद् गोंडा द्वारा आमन्त्रित फर्नीचर हेतु टेन्डर

*10—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 10 मार्च, सन् 1972 को गोन्डा जिला परिषद् ने कुर्सी श्याम पट, मेंज व बोल फ्रेम बनाये जाने हेतु टेन्डर आमन्त्रित किये थे ? यदि हां, तो यह टेन्डर जाने कितनी कुर्सियों, श्यामपटों, मेजों एवं बाल फ्रेमों के बनाये जाने हेतु आमन्त्रित किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, जिला परिषद् गोंडा ने दिनांक 10 मार्च, 1972 को 1,000 कुर्सी, 1,000 मेज, 5,002 श्यामपट तथा 400 बालफ्रेम बनाये जाने हेतु टेण्डर आमंत्रित किया था।

*11—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या यह सही है कि इन फर्नीचर को बनाये जाने हेतु एक ही परिवार के लोगों द्वारा दिये गये टेन्डरों को स्वीकार किया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

टेण्डर जो प्राप्त हुये थे वे फर्मों के नाम से आये थे 1,000 कुर्सी, 1000 मेंज व 200 बालफ़ेम मजीव उल्लाह सिद्दीकी फर्नीचर हाउस गोंडा को, 500 श्यामपट शकील ब्रदर्स सिविल लाइन गोंडा को तथा 200 लोहे का बालफ़ेम व्यवस्थापक आर्टिस्ट कलर आगरा को सप्लाई करने का आर्डर दिया गया ।

ब्लाक नवाबगंज, बरेली के ग्राम प्रधानों का कुआं अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र

*12—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको अथवा खंड विकास अधिकारी नवाबगंज जिला बरेली, जिलाधिकारी बरेली को जिला बरेली के ब्लाक नवाबगंज के प्रधान श्री वीरेन्द्रपाल ग्राम सभा नकटी नरायनपुर श्री तोता राम, प्रधान ग्राम सभा सिलरा, जोवनराम प्रधान ग्राम सभा तिगरी और सियाराम प्रधान ग्राम सभा मुड़िया मलूकपुर का सामूहिक प्रार्थना-पत्र माह अगस्त, 1972 में पानी पीने के कुआं बनाने के अनुदान के सम्बन्ध में मिला है यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और अनुदान स्वीकृति के पश्चात् आज तक न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई सामूहिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः अनुदान स्वीकृत करने या भुगतान न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय का खाद्य उत्पादन सम्बन्धी परिपत्र

*13—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को वर्ष 1972 में केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय का कोई ऐसा परिपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राज्यों को वर्ष 1972–73 के लिये रबी का खाद्य उत्पादन कार्य-क्रम तैयार करने के लिये निर्देशन दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित परिपत्र का प्रारूप क्या है और सरकार ने इस निर्देशन के अनुसार कौन सा कार्यक्रम तैयार किया है तथा इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये केन्द्र से कितनी धनराशि की सहायता की मांग की है ?

श्री रामलखन—

जी हां ।

प्रदेश में सूखे के कारण खरीफ उत्पादन में हुई क्षति को रबी में पूरा करने के लिये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से एक परिपत्र प्राप्त हुआ था जिसमें रबी में खाद्य उत्पादन के कार्यक्रम को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे और इसके लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनका विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया गया है। राज्य सरकार के निदेशन के अनुसार रबी में खाद्यान्न उत्पादन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका विवरण तालिका 'ख' में दिया गया है तथा केन्द्र से उक्त कार्यक्रमों को चलाने के लिये जो धनराशि की मांग की गई थी उसका ब्योरा तालिका 'ग' में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 120 पर।)

*14—15—श्री इन्द्र लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर अधिनियम में संशोधन की मांग

*16—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर अधिनियम के अन्तर्गत रावल की नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में भूतपूर्व महाराजा टेहरी-गढ़वाल को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे क्या भूतपूर्व राजा, महाराजाओं के विशेषाधिकारों को संवैधानिक समाप्ति के उपरान्त उक्त अधिनियम में परिवर्तन करने का विचार शासन रखती है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री बेनी सिंह—

जी हां।

उक्त अधिनियम में यथावश्यक संशोधन किये जाने हेतु बिल का मसविदा तैयार किया जा रहा है जिसे विधायिका विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त विधान मंडल में लाया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, रामनगर, नैनीताल, द्वारा पट्टेदारों को दी गई भूमि

*17—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि नगरपालिका रामनगर, जिला नैनीताल ने अपनी जमीन के पट्टेदारों को नोटिस दिया है कि वे उस भूमि को खाली कर दें जबकि पट्टेदारों ने नगरपालिका से नक्शे पास करा के उस भूमि पर हजारों रुपयों की इमारत खड़ी कर दी है। यदि हां, तो उक्त नगरपालिका ने क्यों इस तरह के एक तरफा नोटिस पट्टेदारों को दिये हैं?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा भूमि के किसी ऐसे पट्टेदार को भूमि खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया है, जिसको भवन निर्माणार्थ पट्टा मिला हुआ हो अथवा जिसने नगरपालिका से नक्शा पास कराके इमारत खड़ी कर दी हो।

फर्रुखाबाद सहायक निबन्धक कार्यालय के लिपिकों की सेवाएं

*18—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद सहायक निबन्धक कार्यालय के कुछ पुराने लिपिकों को जून, सन् 1972 में सेवाओं से इसलिये अलग कर दिया गया वह इण्टर परीक्षा पास नहीं थे? यदि हां, तो वह कौन-कौन लिपिक हैं और उनकी क्या-क्या योग्यता है? तथा कितने दिन विभाग में सेवा की है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खंड, मुजफ्फराबाद, सहारनपुर, के तकाबी लिपिकों का रिप्रजेन्टेशन

*19—श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1967 तथा 1968 में विकास खंड मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर में कितने तकावी लिपिकों की सेवायें समाप्त की गई थीं तथा उसका आधार क्या था? तथा जिन तकावी लिपिकों की सेवायें सन् 1967–68 में विकास खंड, मुजफ्फराबाद, जिला सहारनपुर में समाप्त की गई थीं उन तकाबी लिपिकों ने जो अपील तथा रिप्रेजेन्टेशन आदि किये थे किस-किस अधिकारी को किये तथा उनका निस्तारण किस-किस

[श्री जगन्नाथ खन्ना]

अधिकारी ने कितने-कितने समय में किया ? यदि अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामलखन--

वर्ष 1967-68 में विकास खण्ड, मुजफ्फराबाद, जिला सहारनपुर में केवल एक तकाबी लिपिक की सेवायें विभिन्न खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा समय समय पर उसके विरुद्ध की गयी अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, झगड़ालू प्रकृति, उदंडता एवं जालसाजी आदि की रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर द्वारा समाप्त की गयी थी। इस तकाबी लिपिक ने जिला कृषि अधिकारी के सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध 28-9-1967 को एक अपील जिलाधिकारी, सहारनपुर के यहां दायर की जिसे जिलाधिकारी ने 6-3-1968 को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् तकावी लिपिक ने एक अपील पुनः आयुक्त मेरठ मंडल को दी जिसे आयुक्त मेरठ मंडल ने 18-3-1968 को संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ को भेजी थी तथा जिसका अन्तिम रूप से निस्तारण 7-10-1969 को उप कृषि निदेशक, मेरठ द्वारा निरस्त किय जाने के रूप में किया गया।

कृषि विभाग के तिलहन सुपरवाइजरों की पदोन्नति

*20--श्री रामधारी शास्त्री--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं 03 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग के वर्ग 4 व 5 के तिलहन सुपरवाइजरों को विभागीय पदोन्नति देने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन--

अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है। लोक सेवा आयोग ने संशोधित अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली के आलेख्य के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

*21--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग में कितने ऐसे अस्थायी जूनियर सेवारत कृषि वर्ग 4 के कर्मचारी हैं जो कृषि वर्ग-3 पर इस समय कार्य कर रहे हैं और कब से ?

श्री रामलखन--

जूनियर सेवारत वर्ग-4 के 65 कर्मचारी अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में अन्तरोंधन प्रबन्ध में कार्य कर रहे हैं। यह कर्मचारी निम्नलिखित वर्षों से कार्य कर रहे हैं :--

वर्ष	संख्या
1959	5
1962	1
1964	4
1965	5
1966	8
1968	4
1969	8
1970	3
1971	14
1972	13
योग ..	65

टाउन एरिया, सिकन्दरपुर, बलिया की जलपूर्ति योजना

*22—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बलिया में टाउन एरिया, सिकन्दरपुर में जलपूर्ति योजना के लिय सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो सर्वे का कार्य कब पूर्ण हुआ तथा निर्माण कार्य कब से अरम्भ होगा।

श्री बेनीसिंह—

टाउन एरिया कमेटी , सिकन्दरपुर जिला बलिया की जल सम्पूर्ति योजना की परियोजना तैयार हो गई है और उसे कार्यान्वित करने के लिये ऋण-पत्र एवं प्रस्ताव भेजे जाने के लिये स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा समिति को लिखा जा चुका है।

नगरपालिका, बीसलपुर, पीलीभीत द्वारा ईंटों की खरीद एवं उपयोग

*23—श्री तेज बहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, बीसलपुर, जिला पीलीभीत द्वारा रोड ग्रान्ट से 48 हजार रुपये की ईंट अप्रैल, सन् 1971 से जुलाई, 1972 तक किस-किस भट्ठे से कितनी-कितनी ईंट पृथक्-पृथक् कौन-कौन से कार्यों के लिये खरीदी गई ? इस ईंट द्वारा कितने गज लम्बी सड़क तथा कौन-कौन से भवन का निर्माण किया गया ?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका, बीसलपुर, जिला, पीलीभीत द्वारा अप्रैल, सन् 1971 से जुलाई, सन् 1972 तक रोड ग्रान्ट के धन में से केवल 49,700 रुपये की ईंटें भट्ठा मेसर्स काशीराम ज्ञान चन्द बीसलपुर से अप्रैल, 1971 में सड़क निर्माण हेतु खरीदी गई। इन ईंटों में से 5,600 गज लम्बी सड़कों व खरंजों का निर्माण कराया गया। इन इंटों का प्रयोग किसी भवन निर्माण कार्य में नहीं किया गया।

जिला सहकारी बैंक, उरई, जालौन में सचिव की नियुक्ति एव सहकारी क्रय-विक्रय समिति, कोंच की जांच

*24—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, उरई, जनपद, जालौन में दिनांक 15 मई, 1970 को सचिव की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दिनांक 14 अक्तूबर, 1971 को रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश ने नियुक्ति को अस्वीकृत कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जालौन जिला सहकारी बैंक, उरई में सचिव की नियुक्ति 15–5–70 को नहीं बल्कि बैंक के पत्र दिनांक 10–3–1970 के अनुसार की गयी थी।

रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग ने सचिव की नियुक्ति को अपने पत्र दिनांक 29–6–1970 में अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि बैंक द्वारा नियुक्त सचिव उस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करते थे।

*25—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 तथा 3 सितम्बर, 1971 को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जालौन जनपद ने सहकारी क्रय-विक्रय समिति कौंच की जांच की थी ? यदि हां, तो क्या जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालौन जनपद ने सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0 कौंच की दिनांक 2 व 3 सितम्बर, 1971 को कोई जांच नहीं की थी वरन् उन्होंने दिनांक 1 व 2 सितम्बर, 1971 को उक्त समिति का निरीक्षण किया था। निरीक्षण-पत्र को सदन के पटल पर रखना उपयोगी नहीं प्रतीत होता है।

गोरखपुर जिले में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत स्कूल वाटिकाओं हेतु खरीदे गये पम्पिग सेट

*26—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सन् 1966 से सन् 1971 तक कितने पंपिग सेट यूनिसेफ स्कीम के अन्तर्गत खरीदे गये ? इनके नम्बर एवं अनाधिकृत दुकानें कौन-कौन रही हैं और ये इन्जन किन-किन को दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद गोरखपुर में सन् 1966 से सन् 1971 तक पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत स्कूल बाटिकाओं हेतु कुल 54 पम्पिंग सेट प्राप्त हुए जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन, लखनऊ द्वारा प्राप्त टैक्स टूल इंजन	5 हा० पा०	14
2—उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग कम्पनी 27 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ से क्रय किये गय 5 हा० पा० कूपर इंजन		40
योग ..		54

उपरोक्त इंजन सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं से क्रय किये गये हैं। इंजन के नम्बर एवं वितरण संलग्न तालिका द्वारा प्रदर्शित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 122 पर)

जिला परिषद् गोरखपुर की झंगहा से गजपुर की सड़क

*27—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार विधान सभा के दिनांक 12 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी गोरखपुर ने झंगहा-विशुनपुर होते हुये गजपुर सड़क के निरीक्षण तथा एस्टीमेट बनाने का जो आदेश जिला परिषद् के अभियन्ता को दिया तो उसकी कुल लम्बाई एवं अनुमानित व्यय कितनी धनराशि की है तथा निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, जिला परिषद् अभियन्ता से झंगड़ा से बरही–विशुनपुर–डूमरी–गजपुर 8 कि०मी० सड़क का एस्टीमेट कराया गया था जिसका अनुमानित व्यय 80,000 रुपया आया था यह अनुमान टेस्ट वर्क्स के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य कार्यों के साथ लगवाया गया था। टेस्ट वर्क्स आरम्भ करने की आवश्यकता अभी नहीं है।

सहकारी बैंक, शाहजहांपुर में गबन एवं सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*28—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार को पता है कि कई विधायकों ने शाहजहांपुर सहकारी बैंक के सचिव के विरुद्ध लिखित भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी व गलत टी० ए०, डी० ए० लेने के आरोप लगाकर तत्कालीन मुख्य मन्त्री को आवश्यक जांच व कार्यवाही हेतु अगस्त, 1972 में लिखा है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई और आज तक जांच क्यों नहीं कराई गई?

श्री गोपीनाथ दोक्षित—

श्री भानु प्रताप सिंह तथा अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जो जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के सचिव के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है और उसमें उल्लिखित आरोपों की जांच की जा रही है।

*29—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सहकारी बैंक, शाहजहांपुर में कई लाख के गबन व अनियमितताओं तथा डाइरेक्टरों द्वारा गलत टी० ए० आदि लेने के विषय में श्री भानु प्रताप सिंह आदि 6 विधायकों ने मुख्य मन्त्री से अगस्त, 1972 में जनहित में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

ऐसा कई प्रार्थना-पत्र विभाग में प्राप्त नहीं हुआ।

पशुपालन विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों का चयन

*30—श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पशुपालन विभाग में श्रेणी तीन के अराजपत्रित अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1960 से अब तक कब-कब हुआ और कौन-कौन से अधिकारी उन वर्षों में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये हैं?

श्री राम लखन—

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 200–500 (संशोधित 250–500 रु०) तथा 200–500 (संशोधित 250–600 रु०) के वेतनमान के पदों पर चयन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा 1960 से अब तक दो बार हुआ है। यह चयन सीधी भर्ती द्वारा ही हुआ है। विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन अभी तक 1960 से नहीं हुआ है।

पहला चयन वर्ष 1962–63 में 5 प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र एवं दो लेक्चरर, स्टाक मैन ट्रेनिंग क्लास के पदों के लिये हुआ था।

दूसरा चयन वर्ष 1966–67 में 200–250 (संशोधित 250–600 रु०) के वेतनमान के 12 पशुधन अधिकारी के पदों तथा 200–500 (संशोधित 250–550 रु०) वेतनमान के कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी के पदों के लिये किया गया था।

लोक सेव आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ड०" आगे पृष्ठ 125 पर)

*31—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या इस श्रेणी में पहले से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चुने गये अधिकारियों ने अपनी ज्येष्ठता के आधार पर वर्ष 1966–67 व 1967–68 में चुने गये अधिकारियों के विरुद्ध

राज्य सरकार को कोई प्रत्यावेदन भेजा है ? यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन पर राज्य सरकार मे अब तक क्या निर्णय लिया ?

श्री राम लखन—

जी हां, सर्ष 1962–63 में आयोग द्वारा अनुमोदित कुछ अधिकारियों ने अपनी ज्येष्ठता निर्धारण करने के सम्बन्ध में शासन में प्रत्यावेदन दिये हैं जो विचाराधीन है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री का कृषि नीति सम्बन्धी विचार विमर्श

* 32—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 3 सितम्बर, 1972 को राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष और राज्य के कृषि मन्त्री से सामान्य कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ है? यदि हां, तो किन विषयों पर और विचारणीय कार्य-क्रमों की पूर्ति के लिये कितने धनराशि की आवश्यकता होगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केन्द्र से कोई आश्वासन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम लखन—

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष श्री मिश्रा तथा उपाध्यक्ष श्री सिवारमन 3 सितम्बर, 1972 को वाराणसी आए थे और 4–6 सितम्बर तक मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में बनवासी आश्रम के कार्य का उन्होंने अध्ययन किया था। बनवासी आश्रम एक गैरसरकारी संस्था है, जो कि इस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास कार्य कर रही है।

आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से वाराणसी में कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश की भेंट हुई थी। कोई औपचारिक भेंट या किसी विशेष कार्यक्रमों तथा विषयों के बारे में विचार विमर्श नहीं हुआ था और न ऐसा कोई आयोजन ही अपेक्षित था। आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आने का मुख्य उद्देश्य बनवासी आश्रम के कार्य का अध्ययन करना था। अतः प्रदेश के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग से किसी धनराशि के मांगने का या आयोग द्वारा किसी आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

* 33—श्री शिवदास तिवारी तथा श्री भाभी यादव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सहकारी समिति उदयपुर कानपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*34—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या राज्य मन्त्री, सहकारिता बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें जो प्रश्नकर्ता के दिनांक 17 जुलाई, 1972 के रजिस्टर्ड-पत्र के साथ अध्यक्ष, सहकारी समिति, उदयपुर तहसील व जिला कानपुर के विरुद्ध सहकारी समिति के धन गबन तथा अनेक अनियमितताओं को किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा की गई तथा क्या आरोप प्रमाणित हुए ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

संदर्भित शिकायती-पत्र विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

* 35—श्री विश्वनाथ कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला परिषद्, फैजाबाद के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति

*36—श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या पंचायती राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, फैजाबाद की नियुक्ति इस पद पर फैजाबाद में कब हुई और इसके पूर्व किन-किन पदों पर कार्य करते चले आ रहे हैं? इस बीच में इनके स्थानान्तरण के कितने आदेश हुए और क्यों रद्द किये गये? क्या यह भी सही है कि य इसी जिले के रहने वाले हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री बृजबहादुर खरे की अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिनांक 9 जून 1972 से हुई है। उससे पूर्व वह डि० वो०/अं० जि० प० जि० प० फैजाबाद में दिनांक 16 जून, 1949 से सेक्रेटरी व कार्य अधिकारी के पदों पर कार्य कर रहे थे। श्री खरे की सेवाओं को दिनांक 2 अगस्त, 1969 से राज्य सरकार के अन्तर्गत लिया गया है और तब से अब तक 30 जून 1971, 18 मई, 1972 तथा 26 अगस्त, 1972 को फैजाबाद से स्थानान्तरित किया गया। ये स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक तथा श्री खरे के व्यक्तिगत कारणों से निरस्त करने पड़े। श्री खरे फैजाबाद के ही निवासी हैं।

टाउन एरिया सासनी, अलीगढ़ के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*37—श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के सासनी टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध उनके भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं पक्षपात और जनता के धन के दुरुपयोग एवं पद के दुरुपयोग के 1 जनवरी, 1972 से 31 अगस्त, 1972 तक कितने शिकायती-पत्र टाउन एरिया के सदस्यों एवं जनता द्वारा जिलाधीश, अलीगढ़ को प्राप्त हुए हैं? वे शिकायतें क्या थीं और किसके द्वारा जांच कराई गई और चेयरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बेनीसिंह—

टाउन एरिया सासनी के सदस्यों एवं जनता द्वारा भ्रष्टाचार, अनिय मितता, पक्षपात और जनता के धन के दुरुपयोग एवं पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में पांच शिकायती-पत्र चैयरमैन टाउन एरिया सासनी के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ को प्राप्त हुए थे। एक शिकायती-पत्र पर तहसीलदार हाथरस द्वारा जांच कराई गई। शिकायत निराधार पाई गई। दूसरी शिकायत पर जांच परगना मैजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा कराई गई। जांच में चेयरमैन के द्वारा वृत्ति मैले पर कमीशन लेने के कार्य को अनधिकृत पाया गया और उनको सचेत किया गया। शेष तीन शिकायतों में अभी जांच जारी है।

*38—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[उत्तर सोमवार के लिये प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

स्थानीय निकायों के मेहतरों द्वारा सिर या कमर पर मैला उठाने की प्रथा

*39—श्री रूपनाथ यादव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है प्रदेश की स्थानीय निकायों में मेहतरों द्वारा सिर या कमर पर मल उठाने की प्रथा है? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रथा की समाप्त करने के लिये तथा कार्य-प्रणाली में सुधार हेतु वर्ष 1971–72 व 1972–73 में क्या कार्यवाही की है?

श्री बेनी सिंह---

जी हां, शासन इस प्रथा को समाप्त करने के लि सत्त प्रयत्नशील है । इस सम्बन्ध में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में शासन के हरिजन सहायक विभाग द्वारा कुछ स्थानीय निकायों को एक-एक लाख पये का अनुदान दिया गया । वर्ष 1972-73 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 25 नगरपालिकाओं को, जहां यह प्रथा पूर्णरूप अथवा आंशिक रूप से प्रचलित थी, पांच लाख रुपये का अनुदान दिया गया तथा टाउन एरियाओं तथा नोटी फाइड एरियाओं को 4,70,400रु0 का अनुदान दिया गया । इसके अतिरिक्त शासन ने समय-समय पर जिला मजिस्ट्रेटो/आयुक्तों को यह अनुदेश दिये कि वे अपने जिले की स्थानीय निकायों से इस प्रथा को समाप्त कराने का यथा सम्भव प्रयत्न करें । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्डलों के स्थानीय निकायों के अध्यक्ष/प्रशासकों तथा अधिशासी अधिकारियों की बैठकें बुलाई गई, जिनमें से कुछ बैठकों की अध्यक्षता मैंने स्वयं की तथा कुछ की आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट ने की जिनमें मेरे विभाग के उप सचिवों ने भी भाग लिया । इसके अतिरिक्त एक बैठक राज्य स्तर पर भी उन 25 नगर-पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों की बुलाई गई थी जहां यह प्रथा पूर्णरूप अथवा आंशिक-रूप से प्रचलित थी । इन समस्त बैठकों में इस प्रथा को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने पर बल दिया गया ।

नगरपालिका, तिलहर, शाहजहांपुर, को सुपरसोड करने की सिफारिश

*40---श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तिलहर नगरपालिका की दुर्दशा देखते हुए और अनियमितताये पाने के बाद आयुक्त, बरेली ने जून, 1972 में तुरन्त सुपरसेशन हेतु शासन से सिफारिश की है? यदि हां, तो क्या शासन ने इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बेनी सिंह---

जी नहीं, जून, 1972 में आयुक्त, रूहेलखंड मन्डल, बरेली ने नरगरपालिका, तिलहर के अतिक्रमण की कोई सिफारिश शासन को नहीं भेजी थी । परन्तु शासन आवश्यक जांच के उपरान्त इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

*41---श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री जगदीश गांधी तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त---

[10वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अतर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जिले में त्वरित योजनान्तर्गत निर्माणाधीन रुरा-झींझक कैनाल रोड

*42---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगें कि ग्रामीण त्वरित रोजगार योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में रूरा से झींझक कैनाल रोड़ को पक्का कराया जा रहा है यदि हां, तो उसकी लम्बाई क्या है और वह सड़क किन-किन गांवों से होकर जा रही है और इसकी अनुमानित लागत क्या है, अब तक इस पर कितना खर्च हुआ है और कितना धन व्यय किये जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

कानपुर जिले में त्वरित योजनान्तर्गत निर्माणधीन रुरा-झींझक कैनाल रोड़ की लम्बाई 18 किलोमीटर है । यह विकास खंड, झीझक में ग्राम झींझक, खमहैला, मुडैला विक्रम, सिंह, जूरिया, अमौली, सिठमरा व महिली तथा विकास खंड, डेरापुर में ग्राम जिन्दामऊ महराज पर, वसिठमरा और विकास खंड, अकबरपुर में ग्राम धनीरामपुर से होकर गुजरती है । इस

सड़क की अनुमानित लागत 10,08,000 रु० है। इस सड़क पर 31 अक्टूबर, 1972 तक 16 कि० मी० पर मिट्टी का कार्य हो चुका है तथा 3,23,591 रु० व्यय हुआ है।

उन्नाव जिले में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा निर्मित अधूरे नलकूप

*43—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत कुछ वर्ष पूर्व कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बने नलकूप जिन्हें अध बना छोड़ दिया गया था उन्हें पुनः किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराकर चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उन्नाव जिले में इस प्रकार के नौ सहकारी नलकूप हैं, जिनसे सम्बद्ध सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 65 के अन्तर्गत जांच की जा रही है जांच के पश्चात् ही नलकूपों के बारे में कोई निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

*44—श्री सजीवनलाल—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इन कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बनाये गये अधूरे नलकूपों पर कितना रुपया अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इन नलकूपों के निर्माण पर कुल 97,815.34 रुपया व्यय हुआ।

नगरपालिका, बीसलपुर, पीलीभीत के निर्माण विभाग के ओवरसियर

*45—श्री तेजबहादुर गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नरपालिका वीसलपुर, जिला पीलीभीत के ओवरसियर निर्माण विभाग लगातार 16–17 सालों से इसी नगरपालिका में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इनका आज तक यहां से स्थानान्तरण न करने का क्या कारण हैं ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, नगरपालिका बीसलपुर में एक सब ओवरसियर 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। चूंकि यह केन्द्रीयित सेवा के पद पर नहीं है इसलिये इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड द्वारा वितरित दूध में घाटा

*46—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद स्थिति सहकारी मिल्क बोर्ड वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में घाटे में रहा है ? यदि हां, तो कितना तथा इस घाटे के प्रमुख क्या कारण रहे हैं और क्या उनको दूर कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि इस वित्तीय वर्ष में घाटा न हो ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वर्ष 1970–71 में कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड को 9,58,070.53 रु० की हानि हुई।

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड की वर्ष 1971–72 की बैलैन्स शीट अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। अतः इस वर्ष होने वाली हानि की स्थिति बताना सम्भव नहीं है।

उक्त घाटे का प्रमुख कारण तरल दुग्ध का दुग्ध सहकारी समितियों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न हो पाना रहा है। इस वर्ष घाटा बचाने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

*47—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड ने मार्च, अप्रैल, मई तथा जून में कितना दूध नित्य ग्रामीण अंचलों से एकत्र किया और कितना वितरण किया ? क्या यह सही है कि वितरित दूध में अधिक मात्रा मिल्कपाउडर के दूध की रहती है। यदि हां, तो क्यों और कब तक शासन शुद्ध दूध वितरण की स्थिति में हो जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वांछित आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

माह	एकत्रित दूध लीटर में दैनिक औसत	वितरित किया गया दूध लीटर में दैनिक औसत
मार्च 1972	10,057	16053
अप्रैल 1972	7,548	20424
मई 1972	4,236	18607
जून 1972	4,100	16,555

जी हां, दुग्ध चुर्ण द्वारा निर्मित दूध की मात्रा वितरित दूध में अधिक रही। इसका कारण कानपुर शहर की जनता को वितरण हेत ग्रामीण अंचलों से दूध का पर्याप्त मात्रा में न मिल पाना रहा ।

मिल्क दोर्ड द्वारा चूर्ण रहित दूध वितरण किये जाने की स्थिति लाने के उपाय किये जा रहे हैं परन्तु इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति कब तक हो जायगी।

ए० डी० ओ०, पंचायत ब्लाक, सरोजिनी नगर, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

*48—श्री बंशीधर पांडेय—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान ए० डी० ओ० (पंचायत) ब्लाक, सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता कार्यों के कितने शिकायती--पत्र संबंधित अधिकारियों तथा शासन को प्राप्त हुए हैं और क्या उनमें से कुछ ऐसे भी शिकायती पत्र हैं, जिन पर लखनऊ जिले के विधायकों तथा संसद् सदस्यों ने भी अपनी संस्तुति की है कि ऐसे अधिकारी का तुरन्त स्थानान्तरण कर शिकायत की जांच की जाय ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इन शिकायतों की जांच उच्चाधिकारी अथवा सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, ऐसे 10 शिकायती-पत्र भ्रष्टाचर एवं अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 पर विधायकों एवं 1 पर संसद् सदस्य की संस्तुति है । इन शिकायती-पत्रों की जांच जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से कराई जा रही है । अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

विकास क्षेत्र बांसी, बस्ती का मल्टीपुल क्राप प्रदर्शन तथा उन पर किया गया व्यय

*49—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र, बांसी के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 के लिये कृषि विभाग, बस्ती की ओर से कितना रुपया मल्टीपुल पेस्टीसाइड

प्रदर्शन हेतु व्यय किया गया और किन-किन ग्रामों में किन-किन किसानों के खेतों में प्रदर्शन किया गया ?

श्री राम लखन—

बस्ती जिले के विकास खण्ड बांसी में धान एवं गेहूं की सघन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में कृषि विभाग के द्वारा बहु फसली प्रदर्शन (मल्टीपुल क्राप डिमान्सट्रेशन) 34 कृषकों के खेतों पर किये गए जिसका कि कृषक वार एवं ग्रामवार विवरण संलग्न है । इन प्रदर्शनों पर कुल 3089.36 रु० व्यय हुआ ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 127 पर।)

नगरमहापालिका, कानपुर में पेट्रोल की चोरी का आरोप

*50—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री की मौजूदगी में दिनांक 18–7–1972को किदवई पार्क कानपुर में नागरिक समिति के तत्वावधान में आयोजित एक नागरिक सम्मेलन को सम्बोधित करत हुए नगरपालिका, कानपुर के प्रमुख श्री जागेश्वर प्रसाद त्रिवेदी के निम्नांकित स्वीकारोक्ति की स्थिति की गम्भीरता के कारण ही मैंने सफाई कर्मचारियों की यह अनुचित मांग की स्वीकार कर ली कि कूड़ा तीन फेरे उठायेंगे तो पट्रोल पांच फेरे का लें और दो फेरे का पेट्रोल चोरी से बेचेंगे । इस चोरी से महापालिका को प्रतिमाह 50 हजार रुपये की क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस चोरी को रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनीसिंह—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

*51—श्री धूम प्रसाद—

[1ले शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न सं0 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*52—श्री धूम प्रसाद—

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ जिले में ग्राम पंचायतों का चुनाव

*53—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई 1972 में हुए गांव पंचायतों के निर्वाचन में अलीगढ़ जिले की किन-किन ग्राम सभाओं में सदस्यों के निर्वाचन नहीं हुए थे और उसके क्या कारण थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अलीगढ़ जिले में गत गांव पंचायत के निर्वाचनों में केवल ग्राम सभा गंगचोली में छः सदस्यों का निर्वाचन किसी उम्मीदवार द्वा रा नाम निर्देशन-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण न हो सका ।

*54—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के विकास खंड हाथरस के अन्तर्गत आने वाली न्याय पंचायत, जलालपुर की ग्राम सभा गंगचौली के सदस्यों का निर्वाचन केवल इस आधार पर नहीं हो सका कि वहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 125 के स्थान पर 762 जनगणना में लिख दी गई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

टाउन एरिया कमेटी हल्दौर, बिजनौर के चेयरमैन द्वारा हैसियत व सम्पत्ति कर का निर्धारण

*55—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजनौर जिले की हल्दौर टाऊन एरिया कमेटी के चैयरमैन ने वर्ष 1972–73 के हैसियत व सम्पत्ति-कर निर्धारण सही ढंग से किया है तथा क्या इस पर निर्धारण में डबल स्टैन्डर्ड का प्रयोग करके कमेटी के बहुमत ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री बेनीसिंह—

टाउन एरिया, हल्दौर का वर्ष 1972–73 की हैसियत व सम्पत्ति-कर सूची अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। इसको जल्दी ही तैयार करके प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा रही है।

चूंकि 1972–73 का कर निर्धारण अंतिम नहीं है ऐसी दशा में डबल स्टैन्डर्ड का प्रयोग एवं कमेटी के बहुमत सदस्यों द्वारा अपनी पदों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

संभागीय कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटवा, आजमगढ़ के सरकारी आवास का किराया

*56—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय कृषि अनुसंधान केन्द्र-कोटवा, आजमगढ़ के प्रभारी अधिकारी एवं ज्येष्ठ लिपिक सरकारी भवन में जून 70 से कितने साल तक रहे और सरकारी आवास का किराया नियमत: भुगतान किये हैं या नहीं?

यदि नहीं तो प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर कुल कितना पृथक-पृथक किराया बाकी है?

श्री राम लखन—

प्रभारी अधिकारी, सम्भागीय कृषि शोध केन्द्र, कोटवा, आजमगढ़ कृषि सरकारी भवन में नहीं रहे। केन्द्र से प्रधान लिपिक कोटवा प्रक्षेत्र के भवन के एक भाग में जनवरी, 1971 तक रहे थे। उनसे भवन का किराया वसूल करने के लिये, सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से किराये की धनराशि निर्धारित करके कार्यवाई की जा रही है।

*57—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[3रे शुक्रवार के लिये प्र० सं० 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् बदायूं के इन्जीनियर का जीपकार का एडवांस

*58—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इंजीनियर, जिला परिषद् बदायूं को 7,200 रु० का एक जीपकार खरीदने के लिये बिना जिला अधिकारी की स्वीकृति के, फरवरी सन् 1970 और 31 अगस्त, 1971 की अवधि में एडवांस दिया गया? यदि हां, तो किसके हुक्म से और इस एडवांस को देने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही और शर्तें पूरी करनी थीं क्या वह इस एडवांस देन से पहले उनकी पूर्ति करा ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अभियन्ता जिला परिषद्, बदायूं को एक जीपकार खरीदने के लिये 30 मार्च, 1971 को 7,200 रु0 का अग्रिम धन दिया गया था। सम्बन्धित पत्रावली खो गई है अत: स्वीकृति संबंधी कार्यवाही का विवरण देना सम्भव नहीं है। पुर्ननिमित पत्रावली बनाकर वांछित कार्यवाही व शर्तें पूरी कर दी गई हैं।

गोंडा जिले में शक्ति योजनान्तर्गत परसपुर–पसका सड़क का निर्माण

*59—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोण्डा के अन्तर्गत जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली परसपुर-पसका सड़क का निर्माण-कार्य सन् 1970 से बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्यों और सड़क का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा तथा कब सड़क बनकर तैयार हो जायगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, सड़क का निर्माण-कार्य 1970–71 से बन्द है। कार्य बन्द होने का यह कारण है कि 1970 में भीषण बाढ़ आने के कारण सड़क 6 मील से आगे पसका ग्राम की ओर कई स्थानों पर पानी से कटकर बह गई। अत: यह आवश्यक समझा गया कि सड़क के इस भाग पर निर्माण-कार्य को पुन: प्रारम्भ करने के लिये पुन: तकनीकी सर्वे कराना आवश्यक है। सड़क का निरीक्षण मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा किया जा चुका है। सड़क पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ कराने के लिये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और सड़क का निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा। सड़क उपयोगी स्तर तक मार्च, 1974 तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

*60—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन सिंह—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

त्वरित योजनान्तर्गत बस्ती जिले में स्वीकृत धन

*61—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में 1971–72 तथा 1972–73 में त्वरित योजना के अन्तर्गत कितना धन किन-किन तहसीलों में किस-किस मद में स्वीकृत हुआ, उसमें से कितना धन किस-किस को अग्रिम दे दिया गया है, कब दिया गया, उसका सामान कब आया? क्या यह सही है कि लाखों रुपया बिना सामान आये ही डी0 पी0 ओ0 ने अग्रिम दे दिया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बस्ती जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में संलग्न तालिका अनुसार धनराशि विभिन्न तहसीलों के विकास क्षेत्रों को सड़क निर्माण हेतु दी गई है। योजनाओं के समय से पूरा करने के लिये सड़क निर्माण हेतु 380 मेट्रिन टन तारकोल सप्लाई हेतु मेसर्स बर्मा शैल, लखनऊ को रु0 1,95,997.46 पै0 के चेक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 को अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसकी बिल्टी 1 नवम्बर, 1972 को जिले में प्राप्त हो गई है। 2,427 ड्रम तारकोल में से 1,778 ड्रम प्राप्त हो गया है, शेष सामान भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। कार्य की गति में तीव्रता लाने की दृष्टि से तथा नवम्बर-दिसम्बर में भट्ठों के चालू होने के पूर्व ईंटों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये कुछ भट्ठों पर मूल्य का भुगतान करके ईंट सुरक्षित कर ली गई थी और धीरे-धीरे उनकी ढुलाई करके सोलिंग

का कार्य किया जा रहा है। ऐसा भट्ठों से ईंटा समय पर उपलब्ध होने तथा कार्य अबाध गति से चलने रहते हेतु किया गया।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 129 पर।)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटवार आजमगढ़ का उत्पादन

*62--श्री देव राम--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सम्भागीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटवा, आजमगढ़ का उत्पादन रबी और खरीफ का अलग-अलग वर्ष 1970-71 एवं 72 में क्या रहा ?

श्री राम लखन--

वर्ष 1970-71 में फार्म पर उत्पादन सम्बन्धी अभिलेख चोरी हो जाने के कारण उस वर्ष के रबी और खरीफ के उत्पादन के सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1971-72 में खरीफ एवं रबी का उत्पादन क्रमशः 119 कुन्तल, 31 किलो 340 ग्राम तथा 388 कुन्तल, 5 किलो 900 ग्राम रहा।

*63--श्री देवराम--

[2रे मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास क्षेत्र पचपेड़वा, जिला गोंड़ा के विकास अधिकारी

*64--श्री गंगा प्रसाद--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र पचपेड़वा जिला गोण्डा के विकास अधिकारी की नियुक्ति किस सन् में हुई थी और किन-किन विकास क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है और इनके ऊपर जनपद बहराइच में विकास क्षेत्र प्रयागपुर में कौन-कौन अपराध 1966-67 में लगाये थे और क्या गबन का अपराध भी लगा था ? यदि हां, तो इस संबंध में सदन के पटल पर पूर्ण विवरण रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

खण्ड विकास अधिकारी पचपेड़वा जिला गोंडा की नियुक्ति स्थानापन्न रूप से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर सन् 1959 में हुई थी। इन्होंने खण्ड विकास अधिकारी के पद पर जगदीशपुर तथा बल्दीराय (सुल्तानपुर), इटियाथोक (गोंडा), पयागपुर (बहराइच) तथा हरख (बाराबंकी) में कार्य किया है।

इनके ऊपर विकास क्षेत्र पयागपुर के कार्यकाल से सम्बन्धित निम्न आरोप प्रारम्भिक जांच के उपरान्त लगाये गये थे जिनमें उनके विरुद्ध दुर्भिक्ष सहायता के 500 रु0 के अपहरण का भी आरोप सम्मिलित था :--

1--अल्प सिंचाई ऋण लेने वाले काश्तकारों से 10 रु0 से 40 रु0 प्रति हजार की दर से अनियमित कटौती करना।

2--अल्प सिंचाई कार्यों के प्रति ऋण प्राप्त कर्ताओं को छूट स्वीकृत करते समय 50 रु0 प्रति काय की दर से रिश्वत लेना।

3--तृतीय सामान्य निर्वाचन 1962 के दौरान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करना।

4—खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर, की हैसियत से पयागपुर स्टेट से अपने पुत्र तथा पत्नी के नाम जायजाद, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये हुए, क्रय करके सर्विस कन्डक्ट रूल की धारा 24 का उल्लंघन करना।

5—दिनांक 24-7-67 को श्री विशम्भर मारवाड़ी, कार्यकर्ता जनसंघ पार्टी, पयागपुर को पिस्तौल द्वारा मार देने की धमकी देना।

6—दुर्भिक्ष सहायता मद से पूर्वी बंगाल शरणार्थी के लिए गल्ला आदि वितरण करने हेतु भेजे गए शासकीय धन 500 रु0 का कोई हिसाब न जमा करके उसका अपहरण करना।

प्रश्नगत मामले में अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) बहराइच को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की पूर्ण जांच रिपोर्ट पर आवश्यक विचार करने के उपरान्त आरोप सं0 4 तथा 6 क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध सिद्ध मानते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के लिये कारण बताओं नोटिस दिया गया जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है। मामले में अब आवश्यक विचार किया जा रहा है और जिले में कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

मेला छडियान कैराना, मुजफ्फरनगर को म्युजिक कांनफ्रेंस में मनोरंजन कर

*65—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माह अगस्त, 1970 में नगरपालिका कैराना (मुजफ्फर नगर) में मेला छडियान में एक म्युजिक कांफ्रेंस हुई जिसमें इंस्पेक्टर ने 843 रु0 के कर की चोरी पकड़ी? यदि हां, तो यह रुपया किसने और किस मद से दाखिल किया और इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

श्री बेनी सिंह—

मेला छडियान, कैराना में अगस्त, 1970 में नगरपालिका कैराना (मुजफ्फरनगर) द्वारा एक म्यूजिक कांफ्रेन्स का आयोजन किया गया था जिसमें मनोरंजन कर निरीक्षक, शामली ने निरीक्षण के पश्चात् 664 रु0 की मनोरंजन कर की राशि में कमी पाई।

अंकन 664 रुपये की राशि पालिका अध्यक्ष ने पालिका के प्रस्ताव दिनांक 7-12-70 के अनुसार 16-12-1970 को पालिका फण्ड से राजकीय कोष में जमा कर दी।

प्राप्त सूचना के अनुसार घनघोर वर्षा के फलस्वरूप अव्यवस्था हो गई थी जिसके कारण नीचे क्लास से कुछ लोग फर्स्ट व स्पेशल क्लास में घुस गये थे। ऐसी स्थिति में किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

मार्ग निर्माण के लिये नगरपालिका कोंच, जालौन को दिया गया अनुदान

*66—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 में मार्ग निर्माण के लिये कोंच नगरपालिका को दिए गए अनुदान का उपयोग हुआ है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनीसिंह—

वर्ष 1969 में नगरपालिका कोंच को जो तीन मर्तबे अनुदान दिये गये थे उनमें से दो का पूर्ण उपयोग हो चुका है। तीसरे का पूर्ण उपयोग इस वजह से अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा जो काम हुआ है उसकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई जा रही है

माधोगढ़ टाउन एरिया, जालौन के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*67—श्री श्रीराम सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जालौन जिले की माधोगढ़ टाउन एरिया के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितताओं और भ्रष्टाचार संबंधी कुछ शिकायतें टाउन एरिया उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने उनके कार्यकाल में कई बार की है? यदि हां, तो शिकायतें कब-कब की गई उन पर जांच कब हुई और क्या कार्यवाही की गई?

श्री बेनीसिंह—

जी हां, शिकायतें इस वर्ष 17 जनवरी, 8 फरवरी, 7 जुलाई तथा 30 नवम्बर, 1972 को प्राप्त हुई थीं और उन पर जांच के लिये जिला मैजिस्ट्रेट, जालौन को लिख दिया गया है।

ग्राम बबीना, जिला जालौन की पेयजल योजना

*68—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले मे बबीना ग्राम में पेयजल योजना के कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है? क्या इस सम्बन्ध में विलम्ब का कारण बताने की कृपा करेंगे?

श्री बेनीसिंह—

जालौन जिले की बबीना ग्राम पेयजल परियोजना तैयार करने का कार्य फरवरी, 1972 तक पूरा होने की सम्भावना है। इस परियोजना को बनाए जाने का लक्ष्य वर्ष 1972-73 था। अतः कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

कृषि उत्पादन मंडी समिति कोंच, जिला जालौन के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*69—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की कोंच नगर की कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव के विरुद्ध राज्य कृषि विभाग अधिकारी को कोई शिकायती पत्र दिया गया था जब उन्होंने वर्ष 72 के मध्य में कोंच का दौरा किया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में की गई जांच का परिणाम क्या रहा?

श्री राम लखन—

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। फलस्वरूप सचिव मंडी समिति कोंच को बाह्य सेवा से वापस बुलाने के आदेश दे दिये गये है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

त्वरित योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों पर साइन बोर्ड

*70—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री राम विलास पाण्डेय—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रदेश भर में विशेषकर राय बरेली जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत जितनी भी सड़कें बन रहीं हैं उन पर साइन बोर्ड लगा कर यह लिखा गया है कि "प्रधान मंत्री द्वारा परिचालित"? यदि हां, तो किसके आदेश से?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश शासन द्वारा भेजे गये थे।

*71—श्री दलसिंगार यादव—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

डलमऊ (बरेली) के बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण

*72—श्री शिव शंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी० डी० ओ०, डलमऊ, जिला रायबरेली कितने वर्ष से उक्त स्थान पर कार्य कर रहे हैं और क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण जिला हरदोई किया गया था ? यदि हां, तो उसे क्यों रोका गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

खंड विकास अधिकारी, डलमऊ जिला रायबरेली उक्त विकास खंड में दिनांक 12 अक्तूबर, 1966 से नियुक्त हैं ।

इनका स्थानान्तरण जिला हरदोई को किया गया था परन्तु जनहित में उसे निरस्त कर दिया गया था ।

जिला परिषद्, बांदा के कार्यालय अधीक्षक को पुनर्नियुक्त

*73—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बांदा के कार्यालय अधीक्षक, श्री नाथूराम अवस्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी करने एवं कार्यभार से मुक्त होने के बाद भी उनको किस कारण से एक वर्ष के लिये पुनर्नियुक्त किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री अवस्थी के संतोषजनक कार्य तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए यह पुनर्नियुक्ति की गई थी ।

'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत पम्पिग सेट तथा नलकूप लगाने पर दी गयी छूट

*74—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत सन् 1965 से 1968 तक पंपिंग सेट तथा नलकूप पर शासन ने छूट की क्या दर निर्धारित किया था ? क्या यह सही है कि जिला रायबरेली में पंपिंग सेट तथा नलकूप लगाने के लिये ऋण लेने वाले कृषक को 1,500 से अधिक किसी को छूट नहीं दी गई है ?

श्री राम लखन—

अधिक अन्न उपजाओं योजना के अन्तर्गत सन् 1965 से 1968 तक पंपिंग सेट तथा नलकूप पर शासन द्वारा निम्नलिखित दरों पर छूट निर्धारित थी:—

(1) 1 जनवरी, 1965 से 31 मार्च, 1965 तक एक्सीलेरेटेड प्रोग्राम में लिये गये 4 पूर्वी जिले तथा क्रैश प्रोग्राम में लिये गये 8 पूर्वी जिलों के दो-दो ब्लाकों को पंपिंग सेट तथा नलकूप पर देय ऋण का 25 प्रतिशत

(2) विद्युत् चालित पंपिंग सेट:—

1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1967 तक देय ऋण का 25 प्रतिशत ।

(3) डीजिल चालित पंपिंग सेट:—

(क) 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1966 तक प्रत्येक हार्सपावर के पंपिंग सेट पर देय ऋण का 25 प्रतिशत ।

(ख) 1 अप्रैल, 1966 से 31 दिसम्बर, 1967 तक 5 हार्सपावर के पंपिंग सेट पर देय ऋण का 50 प्रतिशत ।

5 हार्सपावर से अधिक तथा 10 हार्सपावर तक देय ऋण का 37 1/2 प्रतिशत ।

10 हार्सपावर से अधिक के पंपिंग सेट पर देय ऋण का 25 प्रतिशत ।

(ग) वर्ष 1968 में 1 जनवरी, 1968 से केवल 5 हार्सपाबर तक के डीजिल पंपिंग सेट पर 5 एकड़ तक की जोत के कृषकों को देय ऋण अथवा वास्तबिक व्यय जो कम हो उसका 25 प्रतिशत छूट देय थी और यह सुविधा बुन्देलखंड के जिलों में 10 एकड़ तक के कृषकों को उपलब्ध थी ।

(4) नलकूप ।

1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1967 तक देय ऋण का 25 प्रतिशत ।

यह सहीं नहीं है कि जनपद रायबरेली में पंपिंग सेट तथा नलकूप लगाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वाले कृषकों को 150- रु0 से अधिक किसी को छूट नहीं दी गई है ।

*75—श्री हुकुमसिंह परिहार—

[5वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*76—श्री रामसिंह खन्ना—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मथुरा जिले की सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूर योजना

*77—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि मथुरा जिले की सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूर योजना में अब तक केवल कृषकों को ही सहायता दी जा रही है और कृषक मजदूरों को कोई धन रोजगार के लिये नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इन भूमि-हीन कृषि मजदूरों जो दूध के मवेशी ऋण पर देगी जैसा कि 2 1/2 एकड़ छोटे किसानों को दे रही है ?

श्री रामलखन—

जी हां, ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि अभी तक रिजर्व बैंक से कृषक मजदूरों के लिये ऋण स्वीकृत नही होता था ।

रिजर्व बैंक ,आफ इंडिया की हाल ही की स्वीकृति के आधार पर कृषक मजदूरों को दुधारू पशुओं के लिये वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त होने लगेगा ।

तहसील छाता (मथुरा) के खारे पानी वाल ग्राम

*78—श्री तेजपाल सिंह "कृष्ण"—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि मथुरा जनपद की खारे पानी वाली तहसील छाता में कौन-कौन से ऐसे गांव जहां पीने के मीठे पानी के लिये गांव वालों को एक मील अधिक दूर से पानी लाना पड़ता है ? क्या स्वतंत्रता रजत जयन्ती के इस वर्ष में ऐसे किन्हीं गांवों को सरकार पेयजल योजना के लिये स्वीकृत करेंगी ?

श्री बेनी सिंह--

मथुरा जिले की छाता तहसील के विकास खंड छाता के अन्तर्गत ग्राम सिहाना तथा कोंकेरा दो ऐसे गांव है जहां खारे पानी के कारण गांव बालों को एक मील से अधिक दूरी से पानी लाना पड़ता है ।

स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के वर्ष में इन ग्रामों में पेयजल योजना कार्यान्वित करने के लिये यदि जिला परिषद्, मथुरा का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो शासन आर्थिक सहायता देने पर अवश्य विचार करेगी ?

सहकारिता विभाग के विशेष पुलिस दस्ते द्वारा गबन क मामलों की विवेचना

*79—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल) तथा श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता विभाग के विशेष पुलिस दस्ते ने विभाग में कई करोड़ रुपये के गबन का हाल ही में पता लगाया है ? यदि हां, तो गबन की गई धनराशि का विवरण क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

विशेष अनुसंधान शाखा का कार्य गबन का पता लगाना नहीं है बल्कि जिन गबन के मामलों में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाती है उनकी विवेचना करना है । विशेष अनुसंधान शाखा ने अब तक कुल 740 मामलों की विवेचना अपने हाथ में ली है जिनमें कुल मिलाकर रु0 1,19,77,722.22 पैसे का गबन है । अब तक कुल 443 अभियुक्तों को बन्दी बनाया गया है तथा 263 अभियुक्तों ने न्यायालय म आत्म-समर्पण किया है । उपरोक्त 740 मामलों में से 26 मामलों की विवेचना पूर्ण हो चकी है । शेष 714 मामलों की विवेचना जारी है ।

*80—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[2रे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री रामगोपाल संड—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

ग्राम पंचायतों के चुनाव में चुने गये प्रधान

2—श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद) तथा श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायतों के चुनाव में कितने पिछड़ी जाति के प्रधान ब कितने हरिजन जाति के प्रधान चुने गये हैं ? प्रत्येक जिलेवार उनकी संख्या क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चुने गये पिछड़ी जाति के प्रधानों की संख्या बीस हजार पचास (20,050) है ।

चुने गये हरिजन जाति के प्रधानों की संख्या चार हजार एक (4,001) है ।

प्रत्येक की जिलेवार सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 130 पर)

पशुपालन विभाग में कुक्कुट पालन शाखा के ग्रुप 'वन' की जगहों पर नियुक्त वेटेरिनेरिन्सी तथा नान वेटेरिनेरियन्स

3—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान समय में पशुपालन विभाग में कुक्कुट पालन शाखा के अन्तर्गत ग्रुप वन की कितनी जगह है तथा उनकी पूर्ति कितने वेटेरिनेरियन्स तथा कितने नान-वेटेरिनेरियन्स से की गई है ?

श्री राम लखन—

इस समय पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कुक्कुट पालन शाखा में ग्रुप वन की कुल 22 जगहें स्वीकृत हैं। इनमें से 14 पदों पर वेटेरिनेरियन्स तथा 6 पदों पर नान-वेटेरिनेरियन्स कार्यरत हैं । शेष 2 पद रिक्त हैं ।

नैनीताल जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें

4—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की तारीख 4 अगस्त, 1971 के अ0 सू0 ता0 प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल के क्रैस प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें कहा-कहां बन रही हैं और इनकी योजना बनाते वक्त किन-किन विधायकों की राय ली गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

नैनीताल जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित दस विकास खडों में 22 सड़कें बन रही हैं। इनमें से निम्नलिखित सात सड़कों को जिला सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1971 तथा 16 अप्रैल, 1971 में अनुमोदित किया गया था । इन बैठकों में विधायक उपस्थित नहीं थे अतः उनकी राय प्राप्त नहीं की जा सकी थी:—

1—गौरनौला–भोडापानी ।

2—अमृतपुर –बवियाड़ ।

3—कठिथरिया—पनयाली ।

4—मालधन चौड़—किलावनी ।

5—शान्तिपुरी—कैलौना ।

6—जयपुर—सन्यासीवाला ।

7—अंगदपुर—धरमपुर ।

शेष सड़कों का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 152 पर)

मंडी समिति कासगंज एटा के शुल्क से आय तथा व्यय

5—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडी कासगंज, जिला एटा में किसानों से मंडी शुल्क कितना-कितना लिया जाता है और माह अप्रैल, मई, जून, 72 तक मंडी शुल्क से क्या आय हुई और कितना-कितना किस-किस मद पर व्यय किया गया है ?

श्री रामलखन—

मंडी कासगंज, जिला एटा में किसानों से रु0.50 (पचास पैसा) प्रति सैकड़ा की दर से मंडी शुल्क लिया जाता है । माह अप्रैल और मई, 72 में मंडी शुल्क से कोई भी आय नहीं हुई । माह जून, 72 में रु0 15,623.49 मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ । अप्रैल और मई, 72 में कोई व्यय नहीं हुआ । जून, 72 में कुल रु0 736.63 व्यय हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

मद	व्यय
	रु0 पैसे
1—अधिष्ठान	.. 612.93
2—रेकरिंग	.. 87.70
3—नानरेकरिंग	.. 36.00
	736.63

मण्डी समिति का कासगंज, एटा का गठन तथा कर्मचारियों की नियुक्तियां

6—श्री नेतराम सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडी समिति कासगंज, एटा का गठन किस दिनांक से किया गया और मंडी में कार्य करने हेतु कितने कर्मचारी तारीख 20-7-72 तक नियुक्त किए गए ? इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई और नियुक्ति करने की आधारशिला क्या थी ?

श्री राम लखन—

उक्त मंडी का गठन 7 अप्रैल, 1972 से किया गया। 20 जुलाई, 1972 तक मंडी में कार्य करने हेतु 12 कर्मचारियों की नियुक्तियां मंडी समिति के सभापति द्वारा योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर की गई ।

7—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[1ले गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली जिले में त्वरित योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

8—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला बरेली में त्वरित योजना के अन्तर्गत कुल कितने मील सड़क कहां-कहां स्वीकृत की गई और यह सड़कें कब तक पूरी हो जाने का अनुमान है ? तथा इस कार्य में कुल कितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बरेली जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत 84.15 कि0 मी0 लम्बी निम्नलिखित 14 सड़कें स्वीकृत की गई हैं–

सड़क का नाम	लम्बाई	विकास खंड का नाम
1—रगढ़–पनवडिया	10 कि0 मी0	शेरगढ़
2—सेमीखेड़ा–बसघरन	6.5 ,,	शेरगढ़
3—मीरगंज–दिवना	10 ,,	मीरगज
4—मीरगंज–सिंघौली	3.75 ,,	मीरगंज
5—नवावगज–बिजौरिया	2.9 ,,	नवाबगंज
6—फरीदपुर–भुत्ता	10 ,,	फरीदपुर
7—आंवला–उसंता	6 ,,	रामनगर
8–सी0 बी0 गंज–जैमोढेर	5 ,,	फतेहगंज पश्चिम
9—नरियावत–विथरीचैनपुर	5 ,,	विथरीचैनपुर
10—कमुआं–कटैया	10 ,,	बिथरीचैनपुर
11—मानपुर–चिकिटया रुरिया	7 ,,	बिथरीचैनपुर
12—पी0 ए0 सी0–मोहनपुर	2 ,,	विथरीचैनपुर
13—नरियावलक–ठरियानजावत खां	3 ,,	बिथरीचैनपुर
14—बिशारतगंज–मझगवां	3 ,,	आलमपुर जफराबाद

इन सड़कों के निर्माणार्थ शासन नेवर्ष 1971–72 में 13,88,500 रु0 तथा वर्ष 1972–73 में 31 अक्तूबर, 1972 तक 11,56,000 रु0 आवंटित किया है। उक्त सड़कों को मार्च, 1974 तक पूर्ण होने की आशा है।

9—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बहादुरपुर निर्वाचन क्षेत्र, जिला इलाहाबाद की कच्ची सड़कें पक्की कराने की योजना

10—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के बहादुरपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी कच्ची सड़कें हैं और उनमें से कितनी क्रैश प्रोग्राम में पक्की कराने की योजना में इस वर्ष 72–73 में सम्मिलित की गई हैं ? यदि नही, तो क्यों ? और उनमें कुल अनुमानित धन क्या व्यय होगा और कुल कितने लोगों को रोजगार प्रतिदिन मिलेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इलाहाबाद जनपद के बहादुरपुर निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद् की 105 कि0 मी0 लम्बी 20 कच्ची सड़कें हैं और उनमें से कोई सड़क इस वर्ष 1972–73 में क्रैश प्रोग्राम में पक्की कराने के लिये सम्मिलित नहीं की गई हैं। क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में ही तीन वर्षों की योजनाओं का चयन कर लिया गया था। इनका चयन बेरोजगारी, पिछड़ापन, मजदूरें तथा कंकड़ की सुलभता के आधार पर किया गया था।

11— श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

12—श्री सजीवन लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

केन्द्रीय सरकार द्वारा त्वरित योजना में स्वीकृत धन

13—राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेकारी दूर करने के लिये अपनायी गई त्वरित योजना में राज्य सरकार को दिनांक 31 मार्च, 1972 तक कितना रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला अथवा स्वीकृत हुआ ? और उनमें से दिनांक 30 सितम्बर, 1972 तक कितना खर्च हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण रोजगार को त्वरित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को 31 मार्च, 1972 तक केन्द्रीय सरकार से 6.75 करोड़ रु0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और यह सारी धनराशि प्रदेश के समस्त जिलों को आवंटित कर दी गई थी । इस धनराशि से 31 मार्च, 1972 तक 4,22,20,182 रु0 व्यय हुआ था और शेष धनराशि में से चार जिलों को छोड़कर शेष 50 जिलों में 30 सितम्बर, 1972 तक रु0 1,95,82,010 व्यय हुआ है ।

यू० पी० स्टेट एग्रोइण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के विज्ञापन

14—श्री रामबचन (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रोइंडस्ट्रियल कारपोरेशन के विज्ञापन मद में कितनी धनराशि वार्षिक व्यय की जाती है तथा उसमें से कितनी धनराशि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि पत्रिकाओं को विज्ञापन देने में व्यय की जाती है ?

श्री राम लखन—

यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के विज्ञापन मद में प्रत्येक वर्ष बजट के प्राविधान और निगम को आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय की जाती है। इसमें से शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिये कोई पृथक धनराशि नहीं रखी जाती है ।

15—श्री रामवचन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बिभाग किन-किन कृषि पत्रिकाओं में विज्ञापन देता है ?

श्री रामलखन—

कृषि विभाग के विज्ञापन विभिन्न पत्रिकाओं को दिये जाते हैं जिनकी संख्या 100 से अधिक है जिनमें खाली कृषि साप्ताहिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश कृषक समाज आदि भी सम्मिलित है ।

इलाहाबाद जिले के विभिन्न ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

16—श्री सर्वमुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ तथा चाका विकास खंडों के अन्तर्गत उसने आज तक कुल कितने गांवों में टंकियों तथा पाइप द्वारा पेयजल की व्यवस्था कर दी है ? क्या नौढ़िया उपरहार, कुबरी मड़िवार, गदामार, पहाड़ी कलां तथा श्रीनगर (अकौरिया) ग्रामों में भी यह व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायगी ?

श्री बेनी सिंह—

इलाहाबाद जनपद की तहसील करछना के विकास खंड चाका एवं शंकरगढ़ के 158 ग्रामों में पाइप एवं टंकियों द्वारा पेयजल व्यवस्था कर दी गयी है । केवल श्रीनगर के पुरवा (अकौरिया) को छोड़कर सब ही संदर्भित ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हो गई है ।

17—श्री सर्वसुख सिंह—

[3रे मंगलवार के लिये प्रश्न सख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि विभाग द्वारा विज्ञापन में किया जाने वाला व्यय

18—श्री राम वचन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग कितनी धनराशि प्रति वर्ष विज्ञापन में व्यय करता है ? और उसमें से कितनी धनराशि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देने में व्यय होती है ?

श्री राम लखन—

कृषि विभाग प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रु0 विज्ञापन पर व्यय करता है। कृषि पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन का अलग लेखा नही रखा जाता । शासन द्वारा किसी कृषि पत्र-पत्रिका को मान्यता नहीं दी गई है ।

19—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[2रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कम्पोजिट एवं एप्लाइड न्यूट्रेशन पौष्टिक आहार (योजना)

20—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कम्पोजिट स्कीम एवं एप्लाइड न्यूट्रेशन (पौष्टिक आहार) की स्कीम किस वर्ष से चालू की गई और इन दोनों स्कीमों पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारी तथा अधिकारी पर द्वितीय वर्ष 1969–70, 70–71, 71–72 में क्या धन व्यय हुआ और चालू वर्ष में कितना धन व्यय करने का अनुमान है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पाठशाला जाने से पूर्व आयु वाले बच्चों तथा महिलाओं की सम्मिलित योजना (कम्पोजिट स्कीम) वर्ष 1971–72 से तथा एप्लाइड न्यूट्रेशन (पौष्टिक आहार योजना) वर्ष 1963–64 से प्रदेश में चलाई जा रही है ।

इन दोनों स्कीमों पर मुख्यालय पर एक उप निर्देशिका तथा दो सहायक निर्देशिका नियुक्त हैं जिन पर निम्नलिखित धन व्यय हुआ :—

वर्ष	धनराशि जो व्यय हुयी
1969–70	रु0 10628.00
1970–71	रु0 16844.00
1971–72	रु0 25648.00
1972–73	रु0 32818.00 (अनुमानित)

जिलों में को महिला कर्मचारी अधिकारी नियुक्त हैं उन पर हुये व्यय के आंकड़े जिलो से मंगाए जा रहे हैं ।

फलोत्पादन विभाग की योजनाएं एवं गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल के राजकीय उद्यानों से आय

21—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फलोत्पादन विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनायें प्रदेश में चालू की गई हैं और इन योजनाओं से पिछले पांच वर्षों में कितना-कितना आर्थिक लाभ हुआ है ?

श्री राम लखन—

फल उपयोग विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में चालू की गयी योजनाओं की सूची संलग्न है । योजनायें वाणिजिक नहीं है अतः आर्थिक लाभ का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 133 पर)

22—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल का मरसार राजकीय उद्यान तथा कुमांयूं मंडल का राजकीय उद्यान, चौपटिया कितने एकड़ के हैं और दोनों से सरकार को प्रतिवर्ष (पिछले 5 वर्षों में) कितना आर्थिक लाभ होता है ?

श्री रामलखन—

राजकीय उद्यान, मरसार, जिला पौड़ीगढ़वाल का कुल क्षेत्रफल 489.40 एकड़ है तथा कुमांयूं मंडल के राजकीय उद्यान, चौपटियां का कुल क्षेत्रफल 240.61 एकड़ है ।

(2) मरसार उद्यान आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है ।

(3) चौपटिया में आर्थिक लाभ निम्न प्रकार है ।

1967–68	.. .. ..	कोई लाभ नहीं	
1968–69	.. .. ..	लाभ रुपया	1,07,518
1969–70	.. .. ..	लाभ रुपया	45,820
1970–71	.. .. ..	लाभ रुपया	78,374
1971–72	.. .. ..	लाभ रुपया	40,000

विकास क्षेत्र मिल्कीपुर व खन्डासा (फैजाबाद) के मुअत्तल ग्राम सेवक

23—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में विकास क्षेत्र मिल्कीपुर व खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में कितने ग्राम सेवक कुएं के निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी आरोपों में मुअत्तल किए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खंड मिल्कीपुर, तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद के दो ग्राम सेवक 18 सितम्बर, 1972 से निलम्बित किये गये हैं एवं विभागीय कार्यवाही की जा रही है । विकास खंड खंडासा (अमानीगंज) तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद के किसी ग्राम सेवक के विरुद्ध कुएं के निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ तथा चौधरी खुशी राम के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, इस सदन को अपने एक बड़े पुराने साथी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त तथा कर्मठ कार्यकर्त्ता और बहुत दिनों तक विधान मंडल के सदस्य बने रहने वाले अपने साथी की दुखद मृत्यु की सूचना देते हुये हमें कष्ट हो रहा है । श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ अब इस दुनिया में नहीं रहे । 6 अक्तूबर, 1972 को अपरान्ह में उनकी मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में हो गई । वहां उनकी चिकित्सा काफी दिनों से चल रही थी । जहां वे बीमार थे वहीं पर उनका देहावसान हो गया ।

हम सभी वाशिष्ठ जी से पूरी तरह से परिचित हैं । वे बड़े कर्मठ और समाजसेवी तथा राष्ट्रीय चेतना के व्यक्ति थे । वे स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े सेनानी तथा कर्मठ कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने अनेकों बार जेल की यातना सही । वे अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे परन्तु समस्त भारतवर्ष में जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है । स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिये स्वयंसेवक संगठन की स्थापना में आपका बहुत बड़ा हाथ था । वे स्वयं भी बहुत अच्छे क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे । उनका जीवन बहुत ही सरल था तथा वे निरन्तर देश सेवा में लगे रहने वाले हमारे भाई थे । बड़े-बड़े लोगों के चरणों में बैठकर शिक्षा दीक्षा लेने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था । सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टंडन के चरणों में बैठकर उन्होंने देश सेवा का व्रत लिया था ।

वे हमारे विधान मंडल में आरम्भ से ही सदस्य रहे हैं । कुछ दिनों तक एसेम्बली के तथा कुछ दिनों तक कौंसिल के वे सदस्य रहे । उनका जन्म 1901 में हुआ था और 1972 में उनका देहावसान हुआ । हम सभी उनकी दुखद मृत्यु से दुखी हैं । उनके निधन से हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा आदर्श कार्यकर्त्ता उठ गया है यह हमारा दुर्भाग्य ही है । न जाने कितने युवकों को उन्होंने प्रेरणा प्रदान की थी और न जाने कितनों को उन्होंने अनुशासन-बद्ध किया था । उनकी दुखद मृत्यु से देश के कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं की जो श्रंखला होती है उसकी एक जबरदस्त कड़ी टूट गई है । मान्यवर, हम उनके देहावसान पर हार्दिक दुख प्रकट करते हैं । जो स्थान रिक्त हुआ है उनके चले जाने से उस पर हमको क्षोभ है और उनके परिवार के प्रति मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । भगवान से हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी पवित्र दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ।

ऐसी ही एक और सूचना मैं खेद के साथ माननीय सदस्यों की सेवा में सूचित कर रहा हूं कि चौधरी खुशीराम जी की 15 अक्तूबर, 1972 को रात्रि में उनके निवास स्थान पर मथुरा जिले में हत्या कर दी गयी । वृद्ध व्यक्ति थे । कुछ आपसी कारणों से ऐसी सूचना है, हत्या हुई । वह बागपत तहसील, मेरठ जिले के ग्राम ड्योढी थाना बड़ौत के निवासी थे । उन्होंने जेल यात्रायें कीं । कदाचित 1930 में उनके गोली लगी थी जिससे उनका एक हाथ काटा गया था । वह बड़े निर्भय देशसेवी, राष्ट्रसेवी थे और जीवन उत्सर्ग करने वाले कार्य-कर्त्ता थे । हम लोग उनसे भलीभांति परिचित थे । उस पीढ़ी के लोग जिन्हें गांधी जी के युग में स्वाधीनता संग्राम में कुछ योगदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित थे । उनकी इस बृद्धावस्था में इस प्रकार से हत्या हो जाना हम सब के लिये एक अत्यन्त दुख तथा क्लेश का विषय है और उसके लिये उनके परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है । उनकी स्वर्गवासी आत्मा की शांति के लिये भगवान से हमारी विनम्र प्रार्थना है । मान्यवर, इन दोनों साथियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए मैं आपसे अत्यन्त विनम्र निवेदन करूंगा कि हम सबको यह भावना, सहानुभूति और दुख उनके परिवार तक पहुंचा दें और भगवान उनके दुखी परिवार, संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करे

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री वाशिष्ठ तथा चौधरी खुशीराम के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने दल तथा अपने को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ हमारे पुराने क्रांतिकारी और देशभक्त कार्यकर्त्ताओं में से थे और उन्होंने आजादी के संघर्ष में बहुत शुरू से ही भाग लेना शुरू कर दिया था । सन् 1919 से ही राजनीति में उनका सक्रिय भाग लेना शुरू हो गया था और देश की स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में जितने आन्दोलन हुये थे उन सबमें उनका सक्रिय भाग रहा और उन सबमें उन्होंने जेल की यातनायें भोगी ।

वे हरिजनों के काम में बड़ी दिलचस्पी रखते थे । पत्रकारिता में भी उनकी दिलचस्पी थी । कुछ दिन तक वे "संघर्ष" के सम्पादक भी रहे । उन्होने कुछ शिक्षा संस्थाओं की भी बुनियाद डाली और उनको चलाया और वे बराबर अपने जीवन पर्यन्त तक इस विधान सभा के या विधान परिषद् के सदस्य रहे । सन् 1952 से 1967 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे और 1969 से जीवन पर्यन्त तक के विधान परिषद् के सदस्य रहे । वे बराबर बहुत सक्रिय भाग लेते रहे और उनसे जितना हो सकता था वे अपने जिले अलीगढ़ की सेवा ईमानदारी से करते रहे । ऐसे पुराने आदमी के हमारे बीच से उठ जाने से जो स्थान रिक्त होता है उसका भरना कठिन हो जाता है । उनके उठ जाने से हम सभी लोग दुखी हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे तथा आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी और हमारे दल की संवेदना उनके संतप्त परिवार के पास भेज दें ।

चौधरी खुशीराम जी भी पुराने देशभक्त व स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले कार्यकार्त्ताओं में से थे । सन् 1930–31 में ही आन्दोलन के सिलसिले में उनको गोली लग गयी थी और उनका एक हाथ कट गया था । वे सन् 1937 में इस विधान सभा के सदस्य हुए । वे मूल निवासी तो जिला मेरठ के थे, लेकिन बाद में मथुरा में रहने लगे थे और वहीं पर इस बृद्धावस्था में किसी व्यक्तिगत दुश्मनी और कदाचित रुपये पैसे के लेन देन के सम्बन्ध में उनकी हत्या कर दी गयी जो बहुत ही चिन्ताजनक बात है । इस तरह से राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की जब हत्यायें होती हैं तो कितने दुख की बात होती है । इस तरह की घटनाओं से बहुत अधिक दुख होता है । उनकी दिवंगत आत्मा के लिये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके दुखी परिवार के पास हमारी और हमारे दल की संवेदना कृपया भेज दें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो स्वर्गीय नन्द कुमार देव वाशिष्ठ और चौधरी खुशी राम जी के बारे में हमारे माननीय नेता सदन और माननीय वर्मा जी, नेता भारतीय क्रांति दल ने भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मुझे व्यक्तिगत जानकारी इन दोनों दिवंगत आत्माओं के बारे में नहीं थी । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वर्मा जी ने जो प्रकाश डाला उससे सचमुच जब अपने बीच में से अपने सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उठ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है । एक चीज से और भी बड़ा दुख होता है कि जिस प्रकार कि हमारे खुशीराम जी की निर्मम हत्या की गयी, पता नहीं किन परिस्थितियों में, लेकिन जैसा कि माननीय वर्मा जी ने बताया उससे और भी बहुत दुख होता है । हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों दिवंगत आत्माओं को शांति दे और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके परिवारों तक हमारी और हमारे दल की संवेदनाओं -हुपनेको ाकी कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, वाशिष्ठ जी के निधन से जो अपूर्णीय क्षति हुई है, समाज-सेवियों में जिन से प्रेरणा मिला करती थी उसका वर्णन करना बड़ा कठिन हो रहा है और जो भाव नेता सदन तथा अन्य नेतागणों ने प्रस्तुत किये हैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

श्रीमन्, वाशिष्ठ जी, जैसा कि अभी नेता सदन ने कहा, बहुत पुराने समाज-सेवी, क्रांतिकारी और दृढ़ विचार के व्यक्ति थे । उनसे व्यक्तिगत रूप से हमको थोड़ा नजदीक आने का अवसर मिला । 1962 में जब वह सरकार में सभा सचिव के पद पर थे तो इतने सरल स्वभाव , मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे, हंसते हुए बात करना, कठिन से कठिन परिस्थिति को आसानी से दृढ़ निश्चय के साथ हल निकाल देना, ऐसा लगता था कि जैसे इनके ऊपर कठिनाइयों का कोई असर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, विचारों में उनके इतनी दृढ़ता थी कि चाहे कैसी स्थिति उनके सामने आये, उसका सामना करने मे कोई भी चीज बाधक नहीं हो सकती थी । ऐसे मानव का इस संसार से उठने पर बहुत ही कष्ट होता है । यही नहीं, जिन दिनों वह कुछ पीड़ित थे, अस्पताल में भर्ती नहीं थे एक ऐसा वक्त आया कि मैने उनसे पूछा कि आपने जो समय गुजारा है समाज सेवा में, यह समय ऐसा है जिसमें आपके विशेष मार्ग- प्रदर्शन की आवश्यकता है, तो उन्होंने मुस्कराते हुये कहा कि कठिनाइयों से जूझना ही मनुष्य का काम होता है और मैं कुछ अस्वस्थ जरूर हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिल जाय तो मैं अधिक से अधिक फिर अपनी उसी अवस्था में काम करके दिखा सकूं । मेरी उम्र कुछ अधिक हो चुकी है, लेकिन इसका मेरे मन पर कोई असर नहीं है । शरीर चाहे कैसी अवस्था में पहुंच गया हो लेकिन मन मेरा पूर्ववत बना है उसी समाज सेवा के लिये और आप लोग जो काम कर रहे हैं उनको देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है ।

श्रीमन्, मुझको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी रहनुमाई में हम लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा था इसलिये कि वह हमारे दल के एक सम्मानित सदस्य थे और उनकी बड़ी निष्ठा थी आदर्शों में । अध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप नेता सदन तथा आन्य नेता गणों की भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तथा उनके परिवार को जो कष्ट मिला है उनके निधन से उसे सहन करने की शक्ति दे-यही मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्रीमन्, जो दूसरे समाज-सेवी, चौधरी खुशी राम जी थे हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, लेकिन जो भावनायें नेता सदन तथा अन्य नेतागण ने आपके सामने व्यक्त की और जिस प्रकार की समाज सेवा की चर्चा की गयी स्वभाविक है कि एक ऐसे व्यक्ति के उठने पर और वह भी ऐसी असामायिक मृत्यु पर कष्ट हो । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चौधरी खूशी राम के परिवार के सदस्यों को हम लोगों की भावनायें भेज दी जांय और साथ ही ईश्वर से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वह उनके परिवार कों यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

*श्री अनन्तराम जयसवाल (जिला बाराबंकी—)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने और दूसरे दलों के नेताओं ने स्वर्गीय नन्दकुमार देव वाशिष्ठ और चौधरी खुशीराम के निधन के सम्बन्ध में जो भावनाये प्रकट की है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सबन्ध करता हूं। इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर मुझे और मेरे दल को दुख हे। श्री खुमीराम जी का मृत्यु जिन परिस्थितयों में हुई और मुख्य मंत्री जी ने जो तथ्य रखे तो मैं बड़े अदब हे यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पर लांछन आता है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों की रक्षा नहीं कर पा रही है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के संतप्त परिवार के पास हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय, स्वर्गीय नन्दकुमार देव वाशिष्ठ और चौधरी खुशीराम के बारे में जो भावनायें माननीय नेता सदन और दूसरे दल के नेताओं ने व्यक्त की है मैं उनसे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी सहानुभूति दिवंगत आत्माओं के परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन तथा नेता अन्य दलों ने जो भावनायें नन्दकुमार देव वाशिष्ठ और खुशीराम जी के निधन पर व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ तो मैं जानता हूं कि श्री वाशिष्ठ जी मुझसे छः सात वर्ष छोटे थे उसी वक्त वह भी कांग्रेस में शामिल हो गये थे। वह उस वक्त एक नवयुवक होने के नाते नौजवानों का नेतृत्व भी करते थे। उन्होंने पहले पहल नवयुवकों का सेवा दल इस प्रदेश में बनाया। हमारे जिले में उस सेवा दल का पहला कैम्प अगर किसी ने किया तो वह नन्दकुमार वाशिष्ठ थे। वह मुझसे आकर कहने लगे कि आपकी इसमें मदद होनी चाहिये। हम लोगों ने भी उनकी पूरी तरह से मदद की। मैं समझता हूं कि कई वर्ष हमारे यहां ऐसे कैम्प चलते रहे और हमारे यहां उन्होंने कई नौजवानों को तैयार किया। जीवन पर्यन्त वह देश सेवा करते रहे और अपने सिद्धान्तों में हमेशा पक्के रहे ।

खुशीराम जी को भी मैं जानता रहा लेकिन उनसे प्रत्यक्ष संपर्क अधिक नहीं रहा। असेम्बली में वह बहुत बार नहीं आये। मुझे याद पड़ता है कि सन् 37 में वह यहां थे और उसके बाद उन्होंने खेती का काम शुरू किया। वह भी देश का कार्य है। वह अच्छे खेतिहर रहे। लेकिन देश भक्त हमेशा रहे और देश का काम करते रहे ।

ऐसी दो विशिष्ट आत्माएं अपने बीच से उठ गयीं और उनके प्रति प्रत्येक पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है। उनके जाने के बाद उनके स्थान की पूर्ति में समझता हूं होना संभव नहीं होता है क्योंकि धीरे-धीरे पुराने आदमी खत्म होते जा रहे है। ऐसी अवस्था में उनकी जगह दूसरे नये इतनी सेवा किये हुये आदमी मिल पाना संभव नहीं होता है। यह दुखद घटनायें एक ही महीने में घटीं । उनके लिए मैं आपके साथ अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुये यह कहूंगा कि उनके परिवार के प्रति संवेदना पहुंचा दूं और जो उन्होंने कार्य किया है उसके बारे में मैं उनको बता दूं कि हमारे सदन ने उनके बारे में क्या विचार प्रगट किये हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी संवेदना आप के साथ प्रकट करता हू और अब हम दो मिनट खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति दे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के विषय पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मुझे आपसे एक व्यवस्था चाहिये । 14 अगस्त को इस सदन के उठने के बाद 2 और 3 सितम्बर को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के एम0 पीज0 की बैठक हुई और उस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की करीब-करीब सभी एम० पीज० ने आलोचना की और काफी हद तक बुराई की। उसके बाद अखबारों से जैसी रिपोर्ट हमें मिली उसमें हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलवीर सिंह]

गांधी जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप क्यों आलोचना करते हैं । उत्तर प्रदेश में तो कुछ इधर उधर के लोग इकट्ठे हुये हैं, उनका मतलब दलबदलुओं से था । उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार दलबदलुओं की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है । तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार है या दलबदलुओं की सरकार है इस पर आप कृपा करके अपनी व्यवस्था दें क्योंकि प्रदेश की जनता के लिये यह जानना बहुत जरूरी है । प्रधान मंत्री के संकेत के बाद जगह-जगह इसकी चर्चा लोगों में चल रही है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सी0 आई0 ए0 और के0जी0 बी0 का भी गठन उसमें मौजूद है इसलिये प्रशासन नहीं चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न अगर इसमें नहीं उठता तो कहीं भी नहीं उठ सकता ।

श्री अध्यक्ष—

आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । जब मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो आप कहते हैं कि फिर तो कोई प्रश्न व्यवस्था का नहीं हो सकता ।

श्री बलवीर सिंह—

मेरी बात सुनने के बाद मुमकिन है कि आप उस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न तो इसलिये पैदा होता है क्योंकि आप भी गलत कहा करते हैं कि कांग्रेस (आर0) और हमको कांग्रेस (ओ0) कहते हैं । अरे, हमको कांग्रेस कहा करिये और उनको दलबदलू कहा करिये । (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रति उत्तर सुन लिया । इसी से मालूम होता है कि वह अव्यवस्था का प्रश्न है ।

शोकोद्गार प्रकट करते समय सदन में उपस्थित सभी व्यक्तियों के खड़े न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, अभी निधन के सम्बन्ध में जब हम लोग अपने विचार व्यक्त करने के बाद यहां सदन में खड़े हुये थे उस समय गवर्नर्स गैलरी के लोग खड़े नहीं हुये थे । आप ऐसी व्यवस्था करा दें कि भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो । एक सचिव को छोड़ कर बाकी लोग खड़े नहीं हुये । तो आप ऐसे आदेश दे दें कि भविष्य में वे लोग भी ऐसे समय खड़े हुआ करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दर्शक दीर्घाओं के प्रवेश-पत्रों पर नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

दूसरी बात मैं व्यवस्था की आपने जो यह आर्डिनेन्स दशर्क दीर्घाओं पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में निकाला है उसके सम्बन्ध में उठा रहा हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो आपने यह फाटक बन्द कर दिया इससे बड़ी असुविधा हो रही है । अब आपने दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्रों को जारी करने के सम्बन्ध में रोक यह लगा दी कि एक दिन पहले पर्ची भेज कर पास बनवायें । अब हमको क्या पता है कि कल कौन आने वाला है कि किसके लिये पास की जरूरत पड़ जायेगी । फिर आप कहते हैं कि एक ही व्यक्ति को दिया जायेगा । अब अगर मियां-बीबी आ जायें और वे देखना चाहें तो क्या एक व्यक्ति अन्दर आ जायेगा और दूसरा बाहर खड़ा रहेगा ? यह कहां गया है कि पर्चे फेंकने के लिये जो लोग आते हैं वे उन्हीं प्रवेश पत्रों को लेकर आते हैं जो ब्लैक पास माननीय सदस्यों को दिये जाते हैं । इस बात की क्या गारेन्टी है कि जो लोग आयेंगे वे पर्चे नहीं फेंकेगें ? हमारे अधिकारों पर हर रोज नियंत्रण लगता जा रहा है यह ठीक नही है । हर रोज एक नया पत्रक हमको मिल जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था इस सम्बन्ध में पहले थी वही चले ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने जो कहा दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्रों के सम्बन्ध में मैं भी उसका समर्थन करता हूं । जो अब व्यवस्था आपने की है उससे हमको बड़ी असुविधा हो रही है । इससे पर्चे फेंकने की घटनाओं को आप नहीं रोक सकते । दूसरों से पास लेकर जो लोग आयेंगे वे भी पर्चे फेंक सकते हैं । अब जो प्रतिबन्ध हमारे ऊपर लगाया गया है वह उचित नहीं है । पहले जैसी व्यवस्था ही रहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

एक दिन पहले पास लेने वाला नियम कोई नया नहीं है । पहले से ही यह नियम है कि यदि अतिरिक्त दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने की आवश्यकता हो तो उस तिथि से एक दिन पहले, जिस दिन के लिये वे प्रवेश पत्र चाहते हैं, सचिव, विधान सभा को प्रर्थना पत्र देंगे . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो अब तक किस नियम से मिलते रहे ! वही सुविधा हमें मिलना चाहिये, यह हम चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है—जो उठाया गया कि एक दिन पहले पास दे सकते हैं । तो उसमें से अधिक तर लोग पर्चे फेंकने वाले पकड़े गये । उस पर एक कमेटी यहां पर शान्ति और व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में बैठी थी । उसमें हमारे सचिव, और सरकार के जो बाहर की और अन्दर की व्यवस्था करने वाले अधिकारी हैं—उन सबकी मीटिंग हुई थी और उन लोगों ने पाया कि अधिक पर्चे फेंकने वाले वे हैं जो ब्लैंक कार्ड वाले हैं । तो ऐसी स्थिति में यह बात कह दी कि ब्लैक पास न दिये जांय और आप एक कार्ड दे दीजिये । मैंने आपसे यह प्रर्थना की है कि एक आदमी के लिये कहें तो ज्यादा अच्छा है । दो को दे सकते हैं, 5 तक का रूल ही बना हुआ है । 5 का रूल है, तो 5 को तो आप पास दे सकते हैं । लेकिन वह बात अवश्य है कि जगह की कमी है, 5—5 के हिसाब से सब लोग देंगे तो जगह की बहुत कमी हो जायेगी । प्रार्थना करना कोई रूल नहीं बन गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

इस विषय में मैंने रूल अवश्य बना दिया है कि ब्लैंक-पास आप न दें। क्योंकि इससे लोग अपने नाम को भर लेते हैं और उससे प्रवेश करने के बाद यह पता नहीं चलता है कि उक्त पास किसने ईश्यू किया है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

ब्लैंक-पास पर आपकी तरफ से नाम लिखकर जाता है, जिसके नाम वे ईश्यू होते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह बात कहना आपत्तिजनक है कि ब्लैंक पास ईश्यू कर मेम्बर पर्चे फेंकने को प्रोत्साहित करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें उसका नाम नहीं रहता है, उसके रिकार्ड मेरे पास नहीं है। तो वह खुद अपना नाम लिख सकता है। वह अपना नाम लिखकर चले आयें, ऐसी हालत में हमने सोचा कि आप ब्लैंक-पास न दें। कायदे के हिसाब से जो आपको पांच को देने का अधिकार है, तो आप पांच तक के नाम व पता लिखकर भेज दें । उनमें यदि कोई पर्चे फेंकने में गिरफ्तार होता है तो उसमें यह तो पता चल जाएगा कि अमुक आदमी ने वे पास दिये थे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

इसका मतलब यह है कि आपके अधिकारी ज्यादा जिम्मेदार हैं बनिस्बत हमारे इस हाउस की व्यवस्था के लिये ?

श्री अध्यक्ष—

श्री स्वामी जी ने यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय, मैं इसके लिए सदैव तैयार रहता हूं मैं इसके लिए प्रत्येक पार्टी के नेता को बुलाकर इस पर विचार करने को कहूंगा ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

200 रुपये वेतन पाने वाले यहां पर बैठने वाले क्लर्क ज्यादा जिम्मेदार हैं बनिस्बत हमारे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आप सभी दलों के माननीय नेताओं को बुला लें और इस पर विचार हो जाए, तदनुसार नियम चालू कर दिया जाए । इस सम्बन्ध में निर्णय हो जाए कि दर्शक दीर्घा में आने के लिए पास कितने दिये जायं । जहां तक पर्चे फेंकने का सवाल है, यह दूसरा प्रश्न है—यह कभी-कभी लोग कर देते हैं । लेकिन दीर्घाओं में लोग आते हैं तो उनके लिए उतना स्थान भी वहां होना चाहिये । स्थान कम हो तो आप और कुर्सिया वगैरह डलवा दें । उस हिसाब से पासेज ईश्यू होने चाहिये।

दूसरा एक प्रश्न और था । यहीं विधान सभा में उठा था । जहां तक मुझे स्मरण आता है माननीय चौधरी साहब ने उठाया था । गैलरीज में इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है कि सदस्यों को यहां आने में और यहां से निकल कर बाहर जाने में, फिर दफ्तरों में काम करना असम्भव हो जाता है । विधान सभा के कार्य में और सचिवालय के कार्य में सभी माननीय सदस्यों को रुचि होगी, कि शान्ति के साथ, अच्छे ढंग से, सुविधा के साथ हम विचार विमर्श कर सकें और काम हो सके । उस समय में एक सवाल ऐसा उठा था कि जो प्रवेशपत्र दिये जाते हैं वह तीन बजे के और चार बजे के बीच में दिये जायं। पर एक भी व्यवस्था चली

नहीं । अभी आप देखें, विधान सभा का सत्र, प्रारम्भ हुआ है, आज कल देखेंगे कि जितनी गैलरीज हैं, आने जाने और निकलने में क्या दशा होती है, लिफ्ट तो ऐसा हो जाता है, लिखा हुआ है कि केवल विधान मंडल के सदस्य, मंत्रियों और अधिकारियों के लिये, बहुत से लोग लिफ्ट का आनन्द लेने के लिए घुसते हैं, नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं । आप खड़े हो कर देख लें । विधान सभा का सत्र चलता है तो सचिवालय का काम बढ़ता है । दफा 52, 53 की नोटिसें आती है, फिर विधेयक आते हैं, विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के बहुत से लोग आते हैं, उनका यहां के दफ्तरों में कुछ काम रहता है । कुछ ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये, जितना काम करने का टाइम है, 5–6 घंटे, उसमें सुविधा के साथ काम हो सके । दूसरी विधान सभाएं हैं, डेढ़ दर्जन के करीब, पार्लियामेंट है, वहां का नियम है पार्लियामेंट इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखायी देती है । ठिकाने से जाते हैं । हम लोगों को भी जाना होता है, कभी संसद का अधिवेशन देखना होता है उस का नियम है कि पहले से सूचना दे दी जाती है, फिर किसी को कार्ड मिल जाता है । कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाय कि काम सुचारु रूप से हो सके । यदि इसी एक विषय पर थोड़ी देर विचार करके आप उचित समझें तो नेताओं को बुला लें । सब की स्वीकृत से जो व्यवस्था बन जायगी वह संतोषजनक रहेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही । मेरा निवेदन है कि जब तक नेताओं की बैठक में विचार न हो जाय तब तक इस के पहले जो नियम चल रहा था दीर्घा पास के बारे में वही चले । दारुलशफा में जो व्यवस्था थी, जो अधिकारी बैठता था, वह रहे । हमें लिख कर मिला है, दारुलशफा की व्यवस्था बन्द हो गयी है । वह व्यवस्था चालू रहनी चाहिये ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

नियम बनाते वक्त ध्यान दिया कीजिये कि उत्तर प्रदेश की आबादी नौ करोड़ के करीब है । पुराना जो नियम है उसी के मुताबिक रहने दीजिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

बिजिनेस कमेटी की मीटिंग है शाम को उसी में पेश कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

बिजिनेस कमेटी में नेता नहीं होते हैं। सचेतक ज्यादातर रहते हैं। नेताओं के आने से ज्यादा असर पड़ेगा कंट्रोल करने में । जो फैसला वह देंगे वह सब मान्य करेंगे ।

मंत्रि परिषद् के कुछ सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं आपकी आज्ञा से एक अहम मसले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो आपकी तरफ मंत्रिपरिषद् के सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं । उन्हीं के दल के श्री सालिगराम जायसवाल ने विधायकों को ले जा कर प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था और निश्चित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा बिरादरीवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

के आरोप लगाये थे। उनका नैतिक कर्तव्य था कि तुरन्त वह इस बात को स्वीकार करते और इस्तीफा दे देते और जब निर्दोष साबित हो जाते तो पुनः पदारूढ़ हो सकते थ । मैंने सलिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है कि जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कार्य नहीं हो सकता। इस सरकार ने विधान विरोधी कार्य किये हैं, ईमानदारी से काम नहीं किया है, मिट्टी के तेल की कमी रही है, उर्वरक नहीं मिल रहे हैं, जिस विभाग में जाइय बिना पैसे के काम नहीं होता है, एक अथवा आधे एकड़ के किसान को बीज नही मिलता लिहाजा सबसे पहले जिम्मेदारी इस सदन की है और जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तुरन्त वे इस्तीफा दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह मसला बड़े महत्व का है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले वाले समले पर पहले निर्णय हो जाने दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सुरेन्द्र विक्रम जी ने यह कहा है कि मंत्रि परिषद् के अधिकांश सदस्य भ्रष्ट हैं....

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन ने जो कहा कि सब पार्टीज के नेताओं को बुला लिया जाय और पहला वाला विषय जो है, उस पर निर्णय ले लिया जाय...

श्री कल्पनाथ सिंह—

उसे तो सदन स्वीकार कर चुका है । तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे। यह मामला इस हद तक पंहुच गया है कि जब तक हाई कोर्ट के जज द्वारा इन सारे आरोपों की जांच नहीं हो जाती तब तक इस सरकार को सदन में रहने का कोई हक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में चरण सिंह जी ने नियम 104 के मातहत एक प्रस्ताव दिया है । मैंने कल यह कोशिश की कि कार्य मंत्रणां समिति में इस बात पर चर्चा हो जाय लेकिन दुर्भाग्य से पूरे कार्यक्रम पर विचार नहीं हो सका । आज जो मीटिंग होगी उसमें इस पर चर्चा होगी और उसम इस विषय को मैं उठाऊंगा और यह चीज उसमें आ जायगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसकी महत्ता को देखते हुए ही सुरेन्द्र विक्रम जी ने सरकार के विरुद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

पहले चरण सिंह जी ने मेरे पास सूचना भेजी है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । माननीय चौधरी साहब ने बहुत पहले इस विषय पर अपना वक्तव्य जारी किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था और लिखित रूप में भी आपके समक्ष भेज दिया है । उसी सम्बन्ध में मैंने भी आपको लिखकर भेजा है कि इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति दी जाय । हम सब एक मत है इस पहलू पर और इतना ही नहीं विरोधी पक्ष एक मत है बल्कि सरकारी बैंचेज में से 80 सदस्यों ने श्री लालिगराम जी की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री को लिख कर भेजा कि आधे से ज्यादा मंत्रि-मंडल के मंत्री भ्रष्ट हैं । सारे प्रदेश का कार्य ठप्प है । हम ही ने मंत्रि मंडल को भ्रष्ट नहीं कहा है बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी उसकी पुष्टि हुई है । कांग्रेस के महा मंत्री यह कहते हैं कि प्रदेश की सरकार की अगर जांच कराई जाय तो कुछ ही मंत्रियों को छोड़कर बाकी सब जो मंत्री हैं वे भ्रष्ट मिलेंगे । इन मंत्रियों के बहुत से आरोप हमारे सामने आये हैं । इनके भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है । जनता हमसे कहती है कि इस भ्रष्टाचार को रोको किन्तु यह रुक नहीं पाता है। मैं अपने भाइयों से अपील करता हूं कि जब हम जगह-जगह पर जाकर अपनी प्रशासनिक टुकड़ियों को देखते हैं कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है । सारा प्रशासन ढीला हो गया । जब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं तो आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं...

श्री अध्यक्ष—

तो आप अविश्वास का प्रस्ताव रखें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारी प्रार्थना तो यह है कि आप लोकपाल एप्वाइन्ट करें और एक हाई पावर बाडी गठित कर दें । मैं पूछता हूं कि हम लोगों को यहां पर बैठने से क्या फायदा है जब आप हमारी हर बात की अनासुनी कर देते हैं । जब आप चुस्त और स्वच्छ प्रशासन नहीं देखना चाहते हैं, हमारी एक भी बात को नहीं सुनना चाहते हैं तो इस सदन में बैठने से कोई लाभ नहीं है । सदन का काम ऐसे में नहीं चल सकता है । इसलिये मैं कहता हूं कि आप हमें इस प्रश्न पर चर्चा उठाने की अनुमति अवश्य दें । मैं यह भी समझता हूं कि हमारा यह विरोध पक्ष मृत-प्रायः है यदि हमें अपनी बात को रखने का अवसर नहीं मिलता है । सारे सदन का कार्य फिर हमारे लिये बेकार है । अतः आप हमें इस विषय पर चर्चा उठाने का मौका अवश्य दें ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि माननीय चरण सिंह जी ने इस प्रश्न को उठाया । मैं चाहता था कि यह प्रश्न सदन में आ जाय...

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आप अपना भाषण अन्त में कीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । मैं तो चाहता था कि इस पर चर्चा पहले हो जाय, कार्य मंत्रणा समिति में । उसमें इस विषय पर समय देने की बात आ जाती । चरण सिंह जी ने इसे नियम 104 में दिया था उसके बाद मैं समझता हूं माननीय माधव प्रसाद जी ने दिया है । सवाल यह है कि वह कायदे से आये । इसके लिये दो तरीके हैं—एक तरीका तो यह है कि इसमें एक-दो घन्टे की चर्चा हो जाती और यह प्रस्ताव हो जाय कि कोई जज बैठाया जाय और वह इसकी जांच करे, जैसा कि आप चाहते हैं । दूसरा तरीका यह है कि आप मंत्रि मंडल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लायें जब आप समझते हैं कि इसमें आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्ट हैं...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम तो यह चाहते हैं कि यह मंत्रि-मंडल साल भर तक आपको ही मुबारक रहे।

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि हमारा सदन में बैठने से क्या फायदा है । उसी के जबाब में मैं कह रहा हूं कि आप उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लायें और उन्हें निकाल दें । और तरीका भी आप अपना सकते हैं । अन्यथा आपको बैठना ही पड़ेगा । मैं तो यह कह रहा हूं कि जो भी बात यहां पर आये, वह कायदे से आये । मैं कार्य-मंत्रणा समिति में इस बात को रखूंगा कि इस बात पर सदन में चर्चा होनी चाहये या नहीं होनी चाहिये और होनी चाहये तो उसके लिये समय भी निर्धारित कर दें । यदि चर्चा इस पर हुई, तो फैसला इस मसले पर सदन ही करेगा। मैं अध्यक्ष होने के नाते किसी प्रस्ताव पर बहुमत में होने पर अल्पमत नहीं करूंगा। जो सदन चाहेगा वहीं करूंगा . . .

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

तामिलनाडू ने तो कर दिया ।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

आपने फरमाया कि दो रास्ते हो सकते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

उनकी बात पर मैंने कहा । उन्होंने कहा कि हमारा यहां पर बैठने से क्या फायदा है ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि विरोध पक्ष के सामने दो रास्ते हैं । एक तो यह कि सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लावे जिसके ऊपर हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं । दूसरा यह है जैसा कि 6 तारीख को मैंने आपके पास लिख कर भेजा है कि हाई-कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाय कि जो आरोप हमारे शासक दल के ही सज्जन लगा चुके हैं और अखबारों में अनेकों बार उसकी चर्चा आ चुकी है, वह उसकी तहकीकात करे । तो मैं इस बात पर इनसिस्ट करता हूं और आपसे मेरा आग्रह है, मैं समझता हूं कि हमारे सभी विरोधी दल के साथी इस पर राजी होंगे कि वह बात तो रही अलग कि वे अविश्वास का प्रस्ताव लावेंगे या नहीं, लावेंगे लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि इस पर आप सदन को अपनी राय प्रकट करने का मौका दें । मैं समझता हूं कि आप भी इस राय के तो हैं कि उनको मौका दिया जाय लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि उस सिलसिले में आप दो दिन न दे सकें तो कम से कम एक दिन जरूर मुकर्रर करें क्योंकि जिस धारा 104 के अन्तर्गत मैंने लिख कर भेजा है उसमें समय की कोई सीमा नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें कोई समय की सीमा नहीं है। और यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में और अधिक न कह कर मैं केवल एक ही जिक्र करूंगा, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि शासन नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में रह नहीं गयी है, कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गयी है । यह बड़े महत्व की चीज है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो 9 करोड़ आदमी रह रहे हैं, एक कांस्टीट्यूशनल तरीके से उनकी राय को, उनकी तकलीफ को , जनता के असन्तोष को, हम इस सदन में प्रकट अवश्य करना चाहते हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इसमें मदद कर दें कि इसके लिये अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी समय निश्चित करने की कृपा करेंगे ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष जी, नियम 51, नियम 56 और नियम 104 की तहत आपको सूचनायें, एक ध्यानाकर्षण के रूप में, एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में और एक साधारण प्रस्ताव के रूप में मिली है । और मैं समझता हूं कि सभी दलों ने अपनी तरफ से किसी न किसी नियम का सहारा लेकर ही ये सूचनायें आपको दी हैं । यह न समझा जाय कि इसका सम्बन्ध केवल विरोधी दलों से ही है, बल्कि उस तरफ बैठने वाले जो लोग हैं, मान्यवर, ये मुख्य मंत्री जी, प्रधान मंत्री तक अपनी दौड़ लगा चुके हैं और अखबारों में जो इस सम्बन्ध में समाचार छपें हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रधान मंत्री भी इससे सहमत है कि यहां भ्रष्टाचार है, मुख्य मंत्री ने भी तसलीम किया है कि यहां भ्रष्टाचार है । मंत्रियों के विभाग भी बदले जा चुके है, खाली यह रह गया है कि इनको हटाया जाय या नहीं । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी भी किसी उपयुक्त अवसर की तलाश में हैं जबकि इनको हटा दिया जाय। अब बात केवल इतनी सी है कि इस सदन के चलते चलते उनको हटाया जाय या अगली विधान सभा जब आये तब इनको हटाया जाय । हो सकता है कि सन् 1974 की सरकार जब आवे तभी इनको हटाया जाय लेकिन आप देखें कि इस तरह से बराबर इस मुद्दे को टाला जा रहा है । शायद कुछ लोग यह समझते हैं कि यह कांग्रेस का अन्दरूनी मामला है और किसी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है । यह उनका अन्दरूनी मामला नहीं है । यह सार्वजनिक प्रश्न है, और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिये और इसका समाधान भी सार्वजनिक रूप से ही होना चाहिये । यह मामला एक संस्था की प्रापर्टी नहीं है । यह मंत्रियों के सार्वजनिक चरित्र और सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित प्रश्न है इस लिये इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह इस पर अपनी राय दे। यह केवल विरोधी दल का ही नहीं कहना है बल्कि शासक दल के श्री सालिगराम जायसवाल जी और श्री पन्ना-लाल जी ने भी इन मंत्रियों के विरुद्ध कहा है, इसलिये इस पर निश्चित रूप से मुख्य मंत्री का शासक दल का पहले वक्तव्य आना चाहिये । उसके बाद फिर इस पर चर्चा के लिये जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है, और दूसरे लोगों ने भी कहा है, उसके लिये आप कोई समय और दिन निर्धारित कर दें तो अच्छा होगा।

अब रह गया भ्रष्टाचार का प्रश्न । इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी कोई इन्तिहा नहीं रही है । बोगस मेम्बरशिप का सवाल आता है तो वह यहां से लेकर दिल्ली तक है । यहां पर श्री सीताराम केसरी आये हैं, उनकी खातिर कीं गई है । यह तो इसके आदी हो गये हैं, इनको बुरा नहीं लगता है । लेकिन जनता इससे नतीजा निकालती है कि यह सरकार है, जब इस प्रकार की शिकायतें होती हैं तो उनको सजा होगी या नहीं, जो सचमुच कसूरवार हैं उनको सजा मिलेगी या नहीं, यह सारे प्रश्न इससे जुड़े हुये हैं । जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक लोग समझते हैं कि किसी की कोई आवाज नहीं रह गई है । लेकिन मैं समझता हूं कि विधान सभा की शक्ति है कि वह नियमों के तहत मुख्य मंत्री से वक्तव्य ले और इसकी चर्चा करायें, ऐसे प्रश्न पर जिसमें सरकार के सदस्यों के बारे में आरोप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उनके ही दल की ओर से लगाये गये हैं, उनको मुख्य मंत्री जी यहां पर रखें, वक्तव्य दें और यहां पर उसकी चर्चा हो । इसी में उनकी शान बढ़ेगी और सदन की गरिमा बढ़ेगी ।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के ऊपर अलीगढ़ में जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, उसके सम्बन्ध में पुलिस ने क्या किया? हरिजनों के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी प्रश्न उठा है । केवल अलीगढ़ में ही हरिजनों के साथ ज्यादती नहीं हुई बल्कि सारा उत्तर प्रदेश इसके लिये बदनाम है कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार और अन्याय होता चला जा रहा है । केन्द्र से भी लोग आये थे और पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर सवाल उठा था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना हरिजनों के बारे में स्वीकृत हो चुकी है। उसमें यह सब आ जायेगा। कई चार्ज आई है, उनके लिये मैं समय दूंगा। दो तीन समस्याओं के बारे में तो मैं समय दे चुका हूं। लेकिन यह समस्या जो माननीय चरण सिंह जी ने नियम 104 के अन्तर्गत रखी है, उस पर कार्य मंत्रणा समिति में कल चर्चा हो जाती लेकिन बहुत सी चीजें आईं इसलिये यह तय हुआ कि आज पूरा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये कल फिर बैठें। आज शाम को कार्य मन्त्रणा समिति बैठगी। उसमें मैं यह रख दूंगा। अब, इस पर सदन का समय मत लीजिये।

*श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, सदन के समय का सवाल नहीं है बल्कि यह सारा समय सरकार अपव्यय कर रही है। जो काम सारे लोगों ने कबूल कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पर्चे फिकने लगे।

(सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये।)

श्री कल्पनाथ सिंह--

जो यह सरकार आपके सामने है उसकी हालत यह है कि छात्रों के साथ जिसतरह से जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सारे के सारे प्रदेश में युनिवर्सिटियों में अव्यवस्था फैली हुई है। उसका एक ही कारण है कि आजकल जो हमारे छात्र आंदोलन चला रहे हैं, युनिवर्सिटियां बन्द हैं, लड़कों के वारन्ट निकलते हैं, यह सारा का सारा पक्षपातपूर्ण कार्य किया गया है। हमारे यहां के प्रशासन में यह हालत हो गई है। इस पर मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया है। उस पर जब प्रस्ताव आयेंगा तो मैं कहूंगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब नेता विरोधी दल, नेता जन संघ और हमारी पार्टी के माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने प्रस्ताव दिया और माननीय अनन्तराम जी जायसवाल की बात को सुना गया। मुख्य मंत्री जी ने उससे इंकार नहीं किया। आपने समय की बात कह दी। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गई है तो उस पर कोई दूसरा समय लेना चाहिये। हमारी मांग है कि आज और अभी इस सदन में इस पर चर्चा होना चाहिये और चौधरी साहब इस चर्चा जो यहां शुरु करें। मैं आपसे निश्चित मांग करता हूं कि आप उनको इजाजत दें और आपका कहना है कि पहले उनका प्रस्ताव आ चुका है। आप इस चर्चा को अभी शुरु करायें।...

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे और उन्हें हुक्म दे रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आज और अभी इस पर चर्चा शुरु होगी, इसमें किसी प्रकार का समय देना इस सरकार के साथ मुरौवत करना होगा और इस प्रकार आप इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ आप मुरौवत करेंगे अगर आप इस बहस को अभी नहीं कराते हैं और जैसा कि हमारे साथी कह रहे हैं ऐसी सरकार के साथ मुरौवत करना पाप है। आप कृपा करके माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करके इस की इजाजत दें। आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में या किसी भी नियम में इस चर्चा को अविलम्ब यहां करायें और यदि कोई नियम बाधक हो तो उस को निलम्बित कर के आज और अभी चर्चा आरम्भ करायें।...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इजाजत नहीं देंगे तो सदन अपनी इजाजत का मालिक है और इस तरह से यह नहीं चलने वाला है, यह सदन अपने कार्य क्रमों का मालिक है, यह इस तरह से नहीं चलने वाला है, यहां किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं चलेगी, यह सदन अपने नियमों का और अपने कार्य-क्रमों का मालिक है...

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों के अनुसार चलिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

हम नियमों के अनुसार ही चल रहे हैं । सदन नियमों के अन्तर्गत काम करने के लिये सक्षम है । सारे लोगों ने अपनी बात इधर से कह दी और सब की मांग है और अभी इन तमाम आरोपों पर बहस होनी चाहिये...

श्री अध्यक्ष—

आप की पार्टी में किसी ने ऐसी बात नहीं कहीं, इस तरह से नहीं चलेगा...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जब आप सहमत हैं चर्चा के लिये और प्रस्ताव मौजूद है तो इजाजत दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि एक व्यक्ति गुस्से में खड़े हो गये और यह कहने लग कि अभी यह ले लिया जाय जबकि पहले ही उन के दल के भाषण हो चुके हैं और चौधरी साहब ने भी 2 रास्ते इस हल के बताये, उनकी बात भी सुन ली गई, उन के दल के नेता लोग बोल चुके और अब वह दल से कहने लगे कि अभी चर्चा होनी चाहिये,...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उनका निवेदन यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को वरीयता मिलती है उसको प्रिसिडेंस मिलता है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने जब कहा कि यह सब मामले जब एडवाइजरी कमेटी में बैठेंगें तो सब लोग बैठकर इस को देख लेंगे। जब सेक्रेटरी ने इस को रखा वहां तो मैंने कहा कि इस वक्त विचार के लिये यह लोग तैयार नहीं हैं इसे कल लिया जाय, यानी आज इस पर विचार होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव म...

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन प्रस्ताव में 2 घंटे ही मिलते हैं लेकिन इस विषय में समय की कोई लिमिट नहीं हो सकती । जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि अगर चर्चा करती तय हो जाय तो दिन भर वह चल सकती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हम अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे और बहस अभी चाहते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस पर बहस के लिये अलग-अलग ढ़ंग से कई नेताओं ने मांग की है। आप जो कहते हैं कि अभी टाल दिया जाय उस पर मैं आप को एक उदाहरण दूंगा . . .

श्री अध्यक्ष—

टालने को नहीं कहा . . .

श्री बंशीधर पांडेय—

जब किसी सरकार पर भ्रष्टाचार अकर्मण्यता और निकम्मेपन के आरोप आ जाय तो उसको 2 घंटे काम करने देने की भी छूट देना जनतन्त्र की हत्या है । आप जानते हैं कि तामिलनाद के अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री के ऊपर चार्ज आने पर साफ कह दिया कि असेम्बली को हटा दिया जाय और पब्लिक का मेनडेट सरकार ले । तामिलनाद में करुनानिधि मंत्रिमंडल के खिलाफ ए० डी० एम० के० और अन्य लोगों के चार्जेज के सम्बन्ध में स्पीकर ने बैठते ही कहा कि प्राइमाफेसी केस बनता है और सरकार को पब्लिक को फेस करना चाहिये । मेजारिटी रहते हुए भी वह मामला आज तक पड़ा हुआ है । श्रीमन्, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना बिजली का जैनेरेशन बढ़ाए उसकी कटौती हुयी है । तो मेरी प्रार्थना है जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम को समाप्त करके उस कार्यक्रम को आरम्भ कर दीजिये । हम इस सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की बातों को सुनने के लिये यहां पर नहीं बैठे हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, हमारे मित्र भ्रष्ट मंत्रियों की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई नियम होता है, पद्धति होती है काम करने की । चौधरी साहब ने प्रस्ताव रखा । आप उस पर कार्य मंत्रणा समिति में निश्चय लेना चाहते हैं ताकि उस पर विचार करके निश्चय ले लें । आप निश्चय ले लेंगे और जो समय आप निर्धारित करेंगे, उस पर बहस हो जायगी । जहां तक आपसे निवेदन है कि सब लोग निकल कर जावें और मेनडेट लें, यह तो निर्णय आपको करना है । अगर आपकी समझ में यह आता है . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उसके बाद वहां जो हुआ, उसकी याद तो नहीं दिला रहे हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो तामिलनाद के स्पीकर ने किया होगा अगर आप उसका अनुगमन करना चाहते हैं तो आपके अधिकार की बात है । विधि की बात यह है कि किसी प्रस्ताव के पास कर देने से अगर वह अविश्वास का प्रस्ताव है तो यह सरकार न रहे। और अगर वह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है तो उसके पास कर देने से जो विधिवत स्वरूप होता होगा, होगा। विरोधी दलों को पूरा अधिकार है कि अविश्वास का प्रस्ताव ले आयें और चाहें उसकी 14 दिन की अवधि भी न रखें । उस दिन ही उस पर विवाद करवा दें । इस प्रस्ताव को भी जब आप निश्चय कर दें, उसी दिन उस पर आप विचार कर लें, मुझे कोई आपत्ति नही है ।

श्री चरणसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ा सा अन्तर रह गया है। हमारे तमाम मित्र यह चाहते हैं और जिसके बारे में आपने भी राय जाहिर की है। आपकी

राय है कि शाम को विरोधी दलों के नेता और उसमें शासन दल के भी प्रतिनिधि होंगें, आप बात चीत कर के समय मुकर्रर करेंगे लेकिन मेरे कुछ मित्र जो इधर बैठे हुए हैं, उनकी राय है कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि इसमें 1 दिन की भी देर नहीं होनी चाहिये । फर्क भावना की तीव्रता का है । जो प्रस्ताव हम सब लायें हैं उस पर बहस होने का प्रश्न है । जो भी समय आप मुकर्रर कर देगें, उस समय उस पर बहस हो जायगी । तो में समझता हूं कि अभी अभी उस पर बहस न करके आप समय मुकर्रर कर दें । तो उसके बाद मैं समझता हूं कि मेरे मित्र राजी हो जावेंगें । बजाय शाम के एनाउन्स करने के, आप को समय तो मुकर्रर करना ही है, आप अभी कर दीजिये । मेरे मित्र इस बात के लिये राजी हो जायेंगे कि कल बहस हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मेरी प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो सार्वजनिक भी है, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और शिकायत कर्ता जी हैं, उनके बीच में यह मामला किस स्टेज पर है, उसकी भी जानकारी करा दी जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी–

श्रीमन् जो भावनायें माननीय कल्पनाथ सिह जी ने आपके सामने व्यक्त की हैं, दर असल वह इसलिये कि हम लोग बहुत अधीर हो गये हैं । हमें दिखाई देता है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आरोप हैं कोई काम नहीं होने जा रहा है । हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि नियम के अन्तर्गत अविश्वास का प्रस्ताव लाइये और हमें हटा दीजिये । यह नियम हम भी जानते हैं और वे भी जानते हैं । उनका बहुमत है । चाहे वह दलबदलुओं से बना हो, चाहे सी0 बी0 आई0 या सी0 आई0 ए0 द्वारा बना हो या जिस किसी से बना हो, उसका परिणाम वे भोग रहे हैं । तो मैं क्या करूं । मैं जानता हूं कि सरकार को गिरा नहीं सकते । इस पहलू पर जब तक सदन में बहुमत रहेगा । मैं कहता हूं कि बहस आप कराइये । लेकिन मांग जो हमारे सदस्यों ने की, नेता विरोधी दल ने की कि इनके खिलाफ जांच हो, एक लोकपाल नियुक्त हो, एक हाई पावर बाडी नियुक्त हो । यह अविश्वास से नहीं होगा । अविश्वास से तो आप यह कह देगें कि संख्या कम होने से यह प्रस्ताव गिर गया । आप वैसे ही वेल-सीटेड हैं । उससे हमारा समाधान नहीं होता । हम अपना समाधान नहीं चाहते । हम विरोधी दल का समाधान नहीं चाहते । हम एक जगह चाय पी रहे थे । एक ने कहा, पांच पैसे ले लो दूसरे ने कहा यह हमारे एम0 एल0 ए0 हैं । यह स्थिति हो गई है . . .

(हंसी)

मैंने तो यह भी कहना छोड़ दिया कि एम0 एल0 एज0 हो गये । हमारे विधायकों का यह स्तर गिर गया है । मैं कह रहा हूं कि समाज की इच्छाओं का प्रतिविम्ब है, विरोधी पक्ष जो बठा हुआ है–किसान समझता है कि हमारे ऊपर मंहगाई है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी कहता है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है । हमारा भविष्य अन्धकारमय हो गया है । मैं देख रहा था कि एक छोटा बच्चा ऊपर था, क्या यह भी नियम बना दिया है कि उसको उसके मुंह पर हाथ रख कर चुप करा दिया जाय । आज सारा वर्ग अधीर है । जो हम प्रतिनिधित्व करते हैं वे भी अधीर हैं । उसी के आधार पर पांडे जी और चौधरी साहब ने और सब ने अपनी भावनायें व्यक्त कर दी हैं । हम आपसे उसी आधार पर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय दें और घोषित करें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिह का जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है यह बिजिनेस एड-वाइजरी कमेटी में नहीं आया है । इस पर आपको ही निर्णय देना होता है । जब मान लिया गया कि चर्चा होगी एक दिन, दो दिन या दो घंटे, तो इस कार्य स्थगन पर भी चर्चा क्यों नहीं करवा लेते जब आप यह मानते हैं कि मंत्री भ्रष्ट हैं । इसमें चर्चा तो प्रधान मंत्री और

[श्री राम विलास पांडे]

मुख्य मंत्री तक हो चुकी है । आप देख ही रहे हैं कि सदन के सामने जब लड़के ने पर्चा फेंका है तो उसके मुंह पर हाथ लगाया गया है और अंगुली डाली गई है । यह सदन के सामने हो रहा है । मैं चाहता हूं कि इस पर आज चर्चा करायें । . . .

श्री अध्यक्ष—

कल इस बात पर चर्चा हुई थी कि आज क्या काम किया जायेगा उसका निश्चय कल कर चुके हैं । कल का भी निश्चय है । तो सवाल यह है कि परसों के लिये हो सकता है कि इस पर चर्चा हो जाय । समय जब देना ही है तब यह तय कर लें कि परसों शाम को बैठकर निर्णय कर लें । उस वक्त वे भी बोलेंगे, और आप भी बोलेंगे परस्पर बोलने के बाद विचार हो जायेगा, चर्चा हो जायेगी । मैं चर्चा की इजाजत देता हूं । कल का तो तय हो चुका है, यह परसों के लिये ही हो सकता है ।

मुझे समय दीजिये कि मैं उनसे भी बात कर लूं । कार्य मंत्रणा समिति में सब चीज एक राय से तय होती है । आज शाम को इसके बारे में विचार हो जायेगा ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

एक व्यवस्था चाहता हूं । जो एक महीने से इलाहाबाद की राशन की दुकानों में (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष—

तो शाम को विचार हो जाने के बाद यह तय होगा ।

श्री चरण सिंह—

माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था कि विरोधी पक्ष चाहे तो नो-कान्फीडेंन्स का मोशन ले आए, तो उन्हें तो कोई ऐतराज है नहीं, अगर आप परसों बहस कराना चाहते हैं तो अभी से ऐलान कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन, आपको परसों के बारे में कोई आपत्ति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, आपका जो निर्णय होगा वह मैं स्वीकार करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है परसों आपके प्रस्ताव पर बहस होगी ।

श्री बांकेलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी से चर्चा शुरू करा दीजिए . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, चर्चा तो परसों होगी । मेरी प्रार्थना यह है कि कुछ सरकारी काम भी है, उसे भी देख लें, उसे भी पूरा होना है और तदनुसार समय का निर्धारण कर दें ताकि काम भी पूरा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये तो कार्यमंत्रणा समिति में रखना चाहते हैं ।

श्री चरण सिह——

परसों तो सारा दिन इसी पर चर्चा होनी चाहिये । उसके लिए वक्त निकालिये ।

श्री बंशोधर पांडेय——

श्रीमन्, काम रोको प्रस्ताव सुरेन्द्र विक्रम सिह जी का दूसरे श्री अनन्तराम जायसवाल जी का और तीसरा एक और, इन तीनों की भाषा को मिलाकर रखियेगा ।

श्री अध्यक्ष——

मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है ।

विविध विषय

*श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)——

श्रीमन्, पिछले एक महीने से इलाहाबाद की 200 राशन की दुकानों पर न एक दाना गेहूं है, न चावल है, न चीनी है । 1500 बोरा गेहूं और चीनी ब्लैक मार्केट में बिक गए, यह नार्दर्न इंडिया का सम्पादकीय है । सारी जनता परेशान है । खाद्य मंत्री जी आश्वासन दें कि कल से ही गल्ले की दुकानों पर अल्प आय वाले लोगों के लिए राशन उपलब्ध हो जाएगा ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महीने से इलाहाबाद में राशन की दुकानों पर गल्ला नहीं है । खुले बाजार में गेहूं 50 रु० मन बिक रहा है और चीनी चार रुपया किलो बिक रही है ।

श्री कल्पनाथ सिह (जिला गोरखपुर)——

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है वह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड——

मान्यवर, सारे इलाहाबाद नगर तथा जिले में एक दाना भी गेहूं तथा शक्कर का नहीं है गत एक माह से ।

श्री उपाध्यक्ष——

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । जब वह प्रश्न आयेगा तब उस पर फैसला होगा, माननीय अध्यक्ष ने अपनी राय जाहिर कर दी है । अब वित्त मंत्री कहें ।

1972–73 की अनुपूरक मांगें

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1972–73 की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करता हूं ।

विविध विषय (क्रमागत)

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)——

नियम 56 के अन्तर्गत जो एडजर्नमेंट मोशन दिये हैं उनको देखने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री कल्पनाथ सिह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, सूची के अनुसार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कार्य सूची 3 लेने के पहले सदन के सामने जो कठिनाइयां आई कि छात्रों ने एक पर्चा फेंका जिससे यह मालूम होता है कि छात्रों के अन्दर कितना जोश और असन्तोष व्याप्त हो गया है । प्रदेश भर में छात्रों के ऊपर जुल्म किये जा रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है । पुलिस बैठी है और छात्रों को जेलों में ठूंसा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मामला जब आयेगा तब उस पर विचार किया जायगा ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक आदमी वहां बैठा, उसने आवाज लगाई और पर्चा फेंका । आप के गार्ड ने आकर उसका मुंह बन्द कर दिया । उसके मुंह में उगंली डाल दी । क्या यह भी उचित है इस प्रकार से उनका मुंह बन्द कर दिया जाय ? मुंह में हाथ को ठूंस कर इस प्रकार से बन्द करना क्या उचित है ? मान लीजिये कि वह आदमी न होकर कोई लड़की होती तो आप क्या व्यवस्था देते ? यह तो बडा अन्याय है । इस प्रकार से कभी नहीं किया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग गैलरी में बैठे हैं वे चाहे आफिसर्स गैलरी में बैठे हों या दूसरी जगह पर उनकी तरफ आप न देखें बल्कि अपने कार्य की ओर ही देखें । जो मामला आपके सामने है उसी पर आप कोई सवाल उठा सकते हैं अन्य पर नहीं । सदन के सम्मुख अभी इस प्रकार का कोई सवाल नहीं है । आप न तो ऊपर वालों को देखें और न उनको कोई संकेत ही करें बल्कि जो काम आपका चल रहा है उसी को लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने एक गम्भीर मामले को हल्का बना दिया । हम लोग तेली के बैल की तरह से किस प्रकार से अपने मुंह पर ढक्कन रख लें कि ऊपर की तरफ न देखें ? मान्यवर, जो प्रश्न मैं उठा रहा था उसका सम्बन्ध इस सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने से है । मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अवमान और अपमान विषय के अन्तर्गत बात कर रहे हैं । अभी सदन के सम्मुख इस प्रकार की कोई चीज नहीं है । जिस समय वह प्रश्न आयेगा तब उस पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या आपकी कोई ऐसी भी व्यवस्था है मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि अगर कोई बोलता रहे और उसको बोलने न दिया जाय बल्कि उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी बोली को बन्द कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

तत्काल के लिए यह काल्पनिक विषय है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं मान लेता हूं कि आपने नहीं देखा होगा, मगर आंखों का दायरा बहुत बड़ा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं चाहता कि आप इस पर अब बहस करें । हमारे गार्ड्स बताएंगे कि किसने क्या किया । पूरी रिपोर्ट आएगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारे साथी ने सवाल उठाया । मंत्री जी आश्वासन ही दे दें कि वे इलाहाबाद में चीनी व दूसरा सामान भिजवाएंगे क्योंकि वहां पर हाहाकार मचा हुआ है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वे तो मामला उलझाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

निम 56 के अन्तर्गत जो सवाल होंगे उन्हें तो माननीय अध्यक्ष ने देखा होगा और उन पर फैसला कर दिया होगा ।

श्री रामगोपाल संड

इलाहाबाद के बारे में मुख्य मंत्री जी से कोई आश्वासन दिलाएं । एक महीने से किसी दुकान में कुछ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के नोटिस का सवाल जब आए तब आप उसे उठाएं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारे विद्यार्थी-नेता जेलखाने में बन्द हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य तो नियमानुसार होगा । मैं तो आपका संरक्षण करना चाहता हूं । हमारे सदस्य प्रभावित न हों अगर किसी विद्यार्थी ने कोई पर्चा फेंका, पर्चा फेंका तब बुद्धि जागृत हुई, पहले से नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पहले से बुद्धि जागृत हुयी है । इसलिये ही प्रस्ताव भेज चुका हूं । पर्चा फेंकना उसका द्योतक है कि किस प्रकार जन आन्दोलन चल रहा है । जनता के मन में और क्षात्रों के मन में किस प्रकार इस सरकार के विरुद्ध आक्रोश है वह इसका सबूत है । यह बात नहीं कि वे आपकी तौहीन करें, इस सदन की तौहीन करें या सदस्यों की तौहीन करें लेकिन क्षात्रों के मन में जबरदस्त आक्रोश है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो वित्त मंत्री को कह चुके हैं । यह एक तथ्य है जिसकी ओर आप ध्यान आकर्षण करा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1966–67 की बढ़ती व्यय की मांगें

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1966–67 की बढ़ती व्यय की मांगों को प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1967–68 की बढ़ती व्यय की मांगें

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1967–68 की बढ़ती व्यय की मांगों को प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 1972†

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अध्यादेश, 1972†

चिकित्सा मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

वन उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1972 सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (वक्फ सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति) नियमावली 1972†

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 24/7/क 2—395–71, दिनांक 8 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (वक्फ सम्पत्तिकी पुनर्प्राप्ति) नियमावली 1972, को उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 78 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का १३वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1970–71†

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1970–71 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग–1 की विज्ञप्ति संख्या 1133 सी आई0 एफ0 सी0/12 सी0 ए0 भू0–117–68, दिनांक 25 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 1972†

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 55/राजस्व–1/2—7(1)–72, दिनांक 19 जुलाई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि

---

†छापी नहीं गयी ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद–]

(अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 1970–71†

वन उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1970–71 के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1970–71 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बाट तथा नाप (चलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर सीताराम)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग 2 की विज्ञप्ति संख्या 713/उन्तीस अधि० अराज–अनु0–2–डब्लू0एम0–12–72 दिनांक 16 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 की धारा 43(5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1972†

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 2580 बी133–128–72, दिनांक 23 जुलाई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 2033 बी/(33–72–190–71, दिनांक 21 जुलाई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लखनऊ नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या 890(3) बी/11–6–158–71, दिनांक 11 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित लखनऊ नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

इलाहाबाद नगर महापालिका प्रेक्षा,गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर पालिका विभाग अनुभाग-6 की अधिसूचना सं0 890 बी/11-6--158-71, दिनांक 11 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित इलाहाबाद नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कानपुर नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मान्यवर, मैं नगरपालिका विभाग-अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 890(9)बी/11-6--158-71, दिनांक 11 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

आगरा नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 890(12)-बी/11-6--158-71, दिनांक 11 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित आगरा नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वाराणसी नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मान्यवर, मैं नगरपालिका विभाग-अनुभग-6 की अधिसूचना संख्या 890(6)-बी/11-6--158-71, दिनांक 11 अगस्त, 1972 द्वारा प्रख्यापित वाराणसी नगर महापालिका प्रेक्षा-गृहों पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तियां

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री कर-2) अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6203/दस--1012-72, दिनांक 21 सितम्बर, 1972 तथा धारा

---

†छापी नहीं गयी ।

[श्री गुलाब सिंह]

3–घ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–7–6204/दस–10–1012:–72, दिनांक 21 सितम्बर, 1972 को, उनमें जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0–दो–7545/दस––1012–72, दिनांक 31 अक्तूबर, 1972, सहित, क्रमशः उक्त धारा 3–क की उपधारा (3) तथा धारा 3–घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (समितियों के सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति) (संशोधन) नियमावली, 1972†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)––

मान्यवर, मैं नगरपालिका विभाग अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या एम0–आर०–142–ए 11-ख–1015–कबाल–60, दिनांक 25 मार्च, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (समितियों के सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति) (संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा (संशोधन) नियमावली, 1972

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)––

मान्यवर, मैं नगरपालिका विभाग की अधिसूचना संख्या 873–ए।11–न0प/–4–7–कार्य–68 दिनांक 28 मार्च, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका लेखा (संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिभार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)––

मान्यवर, मैं नगरपालिका विभाग अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 1343–ए/11–एन पी–4––16–कार्य–69, दिनांक 20 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिभार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संसदीय अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 1955 (2) सं/सत्रह–291 सं0–72, दिनांक 7 जून, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1972 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश के उप-मंत्रियों और सभा सचिवों तथा विधान मण्डल के अधिकारियों के निवास स्थान सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 1971†

श्री बंशीधर पांडेय––

इनको नियमावली नहीं मालूम है इसलिये इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह आपकी उदारता है लेकिन मुझे तो काम करना है ।

सिचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राज्य सम्पत्ति विभाग की अधिसूचना संख्या आर–641/बत्तीस––11–56, दिनांक 3 फरवरी, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश के उप-मंत्रियों और सभा सचिवों तथा विधान मंडल के अधिकारियों के निवास-स्थान सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों तथा विधान मण्डल के अधिकारयों के निवास स्थान (द्वितीय संशोधन तथा आनुषंगिक उपबन्ध) नियमावली, 1969†

सिचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राज्य सम्पत्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या आर–799–बत्तीस––28–68, दिनांक 16 फरवरी, 1970 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों तथा विधान मंडल के अधिकारियों के निवास स्थान (द्विवतीय संशोधन तथा आनुषंगिक उपबन्ध) नियमावली, 1969 को उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियो (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों उप मंत्रियों तथा सभा सचिवों तथा विधान मण्डल के अधिकारियों के निवास स्थान (तृतीय संशोधन तथा आनुषंगिक उपबन्ध) नियमावली, 1971†

सिचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या र–947 बत्तीस/28–1968, दिनांक 1 फरवरी, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश के मंत्रियों उपमंत्रियों तथा सभासचिवों तथा विधान मंडल के अधिकारियों के निवास-स्थान तृतीय संशोधन तथा आनुषंगिक उपबन्ध) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के

†छापी नहीं गयी ।

[श्री राज बिहारी सिंह]

वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (3) के और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1972†

वन उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संसदीय अनुभाग की अधिसूचना सं० 2418-सं०/सत्रह-72-14(11)-67, दिनांक 19 सितम्बर, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हू ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उलपब्धियों) की (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1972†

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संसदीय अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 3828-सं0 सत्रह-291-सं०-72-14(11)-72, दिनांक 29 नवम्बर, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

संविधान (तीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा प्रस्तावित संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष, मैं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (तीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र, उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182(1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हू ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 132 पर)

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ठं' आगे पृष्ठ 136 पर)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 137 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबन्धन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ढ' आग पृष्ठ 138 पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 139 पर)

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण

(संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखए नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 140 पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपन दिनांक 27 जुलाई, 1972 की उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 अगस्त, 1972 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अगस्त, 1972 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 30वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 अगस्त, 1972 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अगस्त, 1972 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 31वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अगस्त, 1972 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 32वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पैटेन्ट समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

नेअपने दिनांक 1 अगस्त, 1972 के बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अगस्त, 1972 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 33वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अगस्त, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1972 के बैठक में पारित किया था, राज्य पाल महोदय को अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1972 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 34वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि–विकास कर विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-विकास कर बिधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 35वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 जुलाई, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 2 अगस्त, 1972 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 9 सितम्बर, 1972 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 36वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अगस्त, 1972

[सचिव विधान सभा]

के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1972 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 1972 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 37वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 अगस्त, 1972 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 38वां अधिनियम बन गया ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1972 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 1972 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का 39वां अधिनियम बन गया ।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

गिरफ्तारी की कोई सूचनाएं नही हैं । इस बीच में जो सदस्य गिरफ्तार हुए किन्तु अब छूट गयें हैं उनकी संख्या 75 है । एक माननीय सदस्य श्री तेजभान सिंह, सदस्य विधान सभा गिरफ्तार हुए और उन्हें जेल भेजे जाने की सूचना वायरलेस द्वारा प्राप्त हुई है । यह 30 नवम्बर का है । कहिये तो हम सभी मेम्बर्स के नाम पढ़ दें, सूची तो मेरे पास है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप सब के नाम पढ़ दीजिये, मालूम तो हो किसने-किसने जेल में झलरा रोटी खायी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री भगौती प्रसाद गिरफ्तार हुए 10 अगस्त, 1972 को और रिहाई हुई, 29 अगस्त, 1972 को, श्री किशन लाल गिरफ्तारी 19 अगस्त, 1972 और रिहाई 23 अगस्त, 1972, श्री राम गोपाल संड गिरफ्तारी 16 अगस्त, 1972 को और रिहाई 23 अगस्त, 1972 को, श्री भगवत दयाल 17 अगस्त, 1972 को गिरफ्तारी हुई और रिहाई 23 अगस्त, 1972 को, श्री प्रेम नारायण अहेरवार गिरफ्तारी 17 अगस्त, 1972 को और रिहाई 23 अगस्त, 1972 को अब नाम पढ़े देता यह सब छूट गये हैं । श्री नेत राम सिंह, श्री पारस नाथ सिंह, श्री सन्तू-राम, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री तेजभान सिंह, श्री भगेलू सिंह, श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री हिम्मत सिंह, श्री उमाकांत बाजपेयी, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री कल्याण सिंह, श्री मोहन लाल कपूर, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी,

श्री मलिखान सिंह, श्री सतीश चन्द्र शर्मा, श्री सियाराम, श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री जगन्नाथ राव, श्री राम सागर, श्री जंगबहादुर, श्री उमानाथ सिंह, श्री शिव कैलास रावत, श्री अवधेश कुमार सिन्हा, श्री हरिनाथ तिवारी, श्री घूम प्रसाद, श्री राम वचन यादव, श्री राम निहोर, श्री सूबदार प्रसाद, श्री उमाशंकर शुक्ल, श्री श्रीराम सिंह, श्री विजय पाल सिंह, श्री त्रिवेणी सहाय, श्री जगन्नाथ खन्ना, श्री बांकेलाल, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री मोतीलाल देहलवी श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शिवदास तिवारी, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री बशीधर पांडय, श्री निहाला सिंह, श्री बब्बन सिंह, श्री रामरतन प्रसाद, श्री अमरनाथ दुबे, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री विश्रामदास, श्री सूदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री सजीवन लाल श्री कल्पनाथ सिंह, श्री महातम तिवारी, श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता, श्री रामबिलास पांडे, श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री इन्द्रमणि बड़ोनी, श्री शम्भू नारायण सिंह, श्री दुर्जन भाई, श्री राम लाल चतुर्वेदी, श्री हरबंश सहाय, श्री रामरतन प्रसाद, श्री बब्बन सिंह, श्री बंशीधर मिश्र, श्री हुकुम सिंह परिहार, श्री जयराम यादव, श्री बशीधर पांडेय, श्री गिरजा शकर तिवारी, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राम प्रसाद ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा एक निवेदन यह है कि अभी पिछले 24 नवम्बर, को घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ में मेरी और श्री राम बिलास पांडेय जी की दुबारा सजा हुई, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सूचना आपको प्राप्त हुई है या नहीं, डिट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखना पड़ेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह उत्सुक हैं कि उन्होंने कम्प्लायन्स किया या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैं अपने कक्ष में भी देख सकता हूं । कोई गलती होगी तो मैं आपके साथ हूं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा नाम आ गया था मैंने कोई सत्याग्रह किया नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष—

जेल नहीं गये थे ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

न।

श्री उपाध्यक्ष—

शम्भूनारायण सिंह हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

"शम्भूनाथ चौधरी" आपने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी को अपने नाम से इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि दूसरे का नाम अपना नाम समझता है ।

पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तेरहवां व चौदहवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष—

सभापति, विशेषाधिकार समिति। मुझे रखना था। एक सदस्य दिखाई दे रहे हैं। वह मेरी तरफ से रख रहे हैं।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू।

पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सत्रहवां व अठारहवां प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सत्रहवां तथा अठरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, सत्रहवां प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश, द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है। इस प्रतिवेदन में समिति ने गहरा खेद प्रकट किया है कि 12 साल बीत जाने के पश्चात् भी शासन ने उक्त प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अब तक नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

(मद) 48 के बारे में भी रख दीजिये।

श्री शिवराज सिंह—

दोनों पेश कर दिया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनिमभ 1972 में संशोधन करने हेतु याचिका

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 की धारा 8 की उपधारा (5) के खंड (ड0) द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराय पर देन, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (द) के पश्चात् बढ़ाया गया नया खंड (दद) में संशोधन करने हेतु श्री मदन गोपाल भारद्वाज, कुंज निवास, रिसालदार पार्क, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†छापा नहीं गय।

के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के मैनेजर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना माननीय रियासत साहब की है । यह कैसे बनता है ? हम इसको इतना अप्रजातांत्रिक समझ रहे हैं, आप बताइये कि आप गम्भीर हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

हां । आप पढ़ दीजिये तो मैं कहूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

गम्भीर है तो गम्भीरता का कारण बताइये ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आपने 16 नवम्बर, 1972 को एक घटना के सम्बन्ध में पढ़ा होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न है जिस विषय को आप इतना अप्रासंगिक कहते हैं वह व्यवस्था हो गयी । उसके पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मौका दिया है अभी । हमें तो अप्रासंगिक दिखायी देता है । लेकिन हम मौका देते हैं । शायद कोई दृष्टिकोण हो ।

*श्री रियासत हुसैन—

मुरादाबाद जिले में के०जी० के० कालेज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसके अन्दर कई साल से लाखों रुपये का गोलमाल, मैनेजर श्री शम्भूनाथ खन्ना द्वारा गड़बड़ घोटाला चल रहा है ।

उस विषय को मैंने असेम्बली के अन्दर सवालों तथा भाषणों के जरिये कई बार उठाया । फिर इस संबंध में शिक्षा मंत्री को एक मेमोरेंडम देते हुए कहा कि इस के० जी० कालेज की गड़बड़ घुटाले तथा अनियमितताओं के बारे में एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो उनकी जांच करे और सरकार इस शिक्षा संस्था को अपने हाथ में ले कर चलाये । इस आधार पर शिक्षा मंत्री ने एक कमीशन की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डिप्टी डायरेक्टर श्री अरगिल थे लेकिन जब कमीशन के एप्वाइंटमेंट के लिये जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें नियुक्ति डाक्टर सीतावर सरन की हुई । न मालूम किन कारणों से डाक्टर सीता वर सरन ने जाने से इंकार कर दिया तो दुबारा इस कमीशन की नियुक्ति तीन आदमियों के जरिये से की गई ।

मेरे क्षेत्र में यह कालेज है और मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी काफी संख्या में इस कालेज में पढ़ते हैं । विधान सभा में सवालों तथा भाषणों के जरिये से कई बार इस कालेज के बारे में सवाल उठाने पर और कमीशन की नियुक्ति होने पर श्री शम्भूनाथ खन्ना ने मुझ से तथा मेरे दोस्तों से कई बार आग्रह किया और चेतावनी भी दी कि मैंने जो कालेज के बारे म असेम्बली के अन्दर सवाल उठाये हैं और कमीशन को नियुक्ति करवा दिया है और यह जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा प्रयास है कि सरकार इस कालेज को अपने नियंत्रण में ले ले अगर मैंने इस प्रयास को बन्द नहीं किया तो इसका परिणाम मुझे भुगतना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिखा है कि श्री शम्भूनाथ खन्ना द्वारा भेजे गये विद्यार्थी तथा गुंडे आपके कमरे में घस आये····

श्री रियासत हुसैन—

यह बाद की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं वहां मौजूद थे तो क्या आपने कोई रपट की है और कोई केस चल रहा है ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं अभी बतलाऊंगा । मेरे द्वारा इस विषय को असेम्बली में बार बार उठाने पर श्री शम्भूनाथ ने धमकी दी कि मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे । इस चीज के गवाह में है आर० सी० मित्थल, शराफत हुसैन रिजवी तथा अंसारी साहब जिनसे यह कहा गया कि मैं इस कालेज के बारे में मुखालिफत न करूं वर्ना मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे । 16 तारीख को मेरे मकान पर जो कचेहरी के कम्पाउन्ड में है तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन हुआ और मेरे कमरे में घुस आये । मैं वहां मौजूद था । मेरे यह पूछने पर कि तुम लोग क्या चाहते हो उन्होंने यह कहा कि आपने शम्भू नाथ खन्ना के विरुद्ध इंक्वायरी कमीशन क्यों बिठलाया है, क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही करवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह सब धमकी है लेकिन क्या आपने उसके बारे में रपट की है और मामला न्यायालय के सामने है ?

श्री रियासत हुसैन—

केवल एफ० आई० आर० लिखवाई है । न्यायालय में मामला नहीं गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर इस समय विचार नहीं करूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

न्यायालय में यह मामला नहीं गया है । इस सदन में हमको किसी सवाल को उठाने का अधिकार है। अगर हमको बाहर कोई उन बातों को सदन में उठाने से रोकता है, अथवा धमकी देता है और इस तरह की कारगुजारी करता है कि तो यह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस है और वह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है । ऐसा हमारी नियमावली में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो उपचार नहीं ले सकते एक न्यायालय के जरिये से और दूसरा सदन के जरिये से । अब आप इस मामले को बाद में उठाइयेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

न्यायालय में यह नहीं है । एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी है । उसका न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। वह अलग चीज है । इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

एफ0आई0आर0 हो गया है अब उस पर तफतीश होती होगी । अगर हम यहां पर उस सिलसिले में बहस करते है तो वह मुतासिर हो सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, एफ0आई0आर0 तो 16 तारीख के इंसिडेंट की है लेकिन मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न उस वक्त बन जाता है जो उससे पहले उन्होंने धौंस और धमकी दी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्राग्दर्शन में यह नहीं बनता है । निर्णय हो जाने दीजिये यदि कोर्ट के फैसले में आता है कि आपके हक को दबाने की कोशिश की गई है तो तब देख लिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

16 तारीख को यह मामला कोर्ट में जायेगा····

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जो शिकायत है उसकी परिणति हुई है और उसका जो उपचार है वह आपने एफ0आई0 आर0 द्वारा किया हुआ है····

श्री रियासत हुसैन—

वह तो 16 तारीख के बारे में है मेरा तो उससे पहले का है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने स्वयं अपने प्रश्न में लिखा है कि 16 तारीख को मेरे लक्ष्मी निवास स्थान पर···· कई सौ गुंडे और विद्यार्थी····ऊपर की धमकियों के फलस्वरूप····यह आपने स्वयं लिखा है।

श्री रियासत हुसैन—

आप उसे ऊपर से पूरा पढ़ दें सदन के सामने बात आ जायेगी । त्रिपाठी जी बैठे हैं, समझ लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने यदि इसमें हमारे कर्त्तव्य के पालनार्थ एक लाइन भी लिखी होती तो सोच सकते थे किन्तु आपने लिखा है "ऊपर की धमकियों के फलस्वरूप" तो ऐसी स्थिति में मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं । अब मैं आगे चलता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति की 11 दिसम्बर, 1972 के निर्णय के अनुसार विधान सभा के 12 दिसम्बर तथा 13 दिसम्बर 1972 के उपवेशनों का प्रस्तावित कार्यक्रम :

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972—

1—वित्तीय वर्ष 1966–67 के बढ़ती व्यय पर सामान्य चर्चा (यदि आवश्यक हो) एंव मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (1967–68 के बढ़ती व्यय का विनियमन) बिधेयक, 1972 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2—वित्तीय वर्ष 1967-68 के बढ़ती व्यय पर सामान्य चर्चा (यदि आवश्यक हो) एवं मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

बुधवार 13 दिसम्बर, 1972—

वित्तीय वर्ष 1972-73 की अनुपूरक मांगों पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 12 व 13 दिसम्बर, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गई सिफारिशों को, जिसकी सूचना सदन को आज दी गई है, स्वीकार करता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 12 व 13 दिसम्बर, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गई सिफारिशों को जिसकी सूचना सदन को आज दी गई है स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बिक्री-कर स्थायी समिति के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे आपको एक और सूचना देनी है।

"बिक्री-कर स्थायी समिति" के लिये 16 सदस्यों के निर्वाचनार्थ माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया है।

(1) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय —14 दिसम्बर, 1972 को अपराह्न 2 बजे तक।

(2) नाम-निर्देशन-पत्रों सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—14 दिसम्बर, 1972 को 4 बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में।)

(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय—18 दिसम्बर, 1972 को अपराह्न 2 बजे तक।

(4) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 20 दिसम्बर, 1972 को 12 बजे दिन से अपराह्न 4 बजे तक, तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में श्री रामचन्द्र आजाद द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र के कारण उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम,

1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार रिक्त स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में श्री रामचन्द्र आजाद द्वारा विधान सभा की सदस्यता स त्याग पत्र के कारण उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम. 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार रिक्त स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ०) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हुं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ 141 पर)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करते हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक 1972 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 143 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल ((अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 145 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर काफी बहस हो गई है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपका क्या निर्णय हुआ वह बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रभान शर्मा जी का राज्य बिजली संकट के कारण किसान वर्ग को असुविधा की जो सूचना है उसको अस्वीकार किया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, इतनी बड़ी समस्या बिजली की कटौती और फेल्योर से हो गई है....

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 52 में इस पर समय देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक मैंने भी दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बता दिया है। इसमें दो घंटे की बहस के लिये चार नियम 56 में स्वीकार किये हैं। यह सवाल उसी में आ जाता है। आपको बहस के लिये समय देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

छात्रों में असंतोष से संबंधित हमारी भी एक सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आने दीजिये। पहला सुरेंद्र विक्रम जो का "भ्रष्ट मंत्रियों के कारण प्रदेश में असंतोष" अस्वीकार किया गया। इसके बाद माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री विजयपाल सिंह जी का बिजली के संबंध में था इसके बाद माननीय नित्यानन्द स्वामी का हरिजनों पर अत्याचार के संबंध में था और माननीय अनन्तराम जायसवाल का शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त कुप्रबन्ध के कारण छात्रों में असंतोष के बारे में है। ऐसे और भी प्रस्ताब इसके बारे में है। इसे भी अस्वीकार किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आने दीजिये। आपका कौन-सा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

छात्रों से संबधित जो मामला है उसी के संबंध में ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

शिक्षा संस्थाओं के संबंध में कई प्रस्ताव हैं। उन पर अवसर देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारे विद्यार्थी जेलों में बन्द हैं और सरकार मस्ती लेती रहे, यह बर्दाश्त नहीं है। आप सुन लें। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जेलों में बन्द किये गये। जब वे जेल से छूटे तो उनको दुबारा जेल में बन्द किया गया। विद्यार्थियों की केवल दो मांगें थीं जिनके कारण हड़ताल हुई। यूनिवर्सिटी से अवांछनीय तत्वों को निकाला जाय और पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है उसकी जांच कराई जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि दो घंटे की बहस होगी उसमें देख लिया जाये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसको आज ही स्वीकार किया जाय और बहस कराई जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

104 में माननीय चरणसिंह जी का है और दूसरा बिजली के बारे में है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इससे उसका क्या संबंध है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना यह है कि आपने अभी बताया कि विद्यार्थियों की समस्या के बारे में लगभग सभी दल के नेताओं ने लिख कर दिया है, इससे इस समस्या के महत्व का आभास होता है। सारे प्रदेश में छात्रों का आन्दोलन बहुत जोरों से चला और अब भी चल रहा है। सरकार ने कभी भी इस समस्या के निदान का प्रयास किया? हम क्यों कहते है कि एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ किया जाये?

श्री उपाध्यक्ष---

इसे बहस के लिये स्वीकार किया गया। उस के ब्योरे के बारे में आप चर्चा के समय कह लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वह एडजर्नमेंट मोशन के रूप में नहीं लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

एडजर्नमेंट के बारे में तो निधन के निर्देश के बाद ही अध्यक्ष जी ने कह दिया था...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

विद्यार्थियों के साथ सारे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, उन के ऊपर तरह तरह के आरोप राजनैतिक हित साधन के लिये लगाये जा रहे हैं। हम उस विषय पर चर्चा यहां करना चाहते हैं। उस की आप अनुमति दें। हम चाहते है कि इस विषय पर तुरन्त चर्चा हो जाय क्योंकि उनका भविष्य अन्धकार में है...

श्री उपाध्यक्ष---

इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, एडजर्नमेंट भी स्वीकार होता है तो बहस 4 बजे नियमानुसार होती है...

श्री कल्पनाथ सिंह---

तो 4 बजे ही आने दीजिये आज।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह बड़े महत्व का प्रश्न है। हमें बड़ा सन्देह है कि यह कब लिया जायगा, अच्छा हो कि आप इसे आज ही एलाऊ करें...

श्री उपाध्यक्ष---

अगर स्वीकृत भी किया जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव तो वह तुरन्त नहीं लिया जाता बल्कि उस का समय होता है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपने अभी कोई एकतरफा फैसला नहीं लिया है, आप की आज्ञा होती है मंजूर करने के लिये.....

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष ने इसे एडजर्नमेंट मोशन के रूप में तो अस्वीकार किया है, केवल बहस के लिये काल अटेंशन वाले में स्वीकार किया है उसका समय दिया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर एडजर्नमेंट मोशन के रूप में अस्वीकार भी किया है तब भी यह सरकार गुनाहगार है, हम उसे सेंसर करना चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह सरकार विद्यार्थियों के साथ भी राजनीति खेल रही है और इस ने तमाम विश्वविद्यालयों में राजनीतिज्ञ वाइसचांसलरों की नियुक्ति की है। जब वह अपने हकूक के लिये लड़ते तो उन में फूट डालने की कोशिश की जाती है और यह बाइसचांसलरों के ऊपर कांग्रेस की

छाप डाले हुये हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय में ही वाइसचांसलर की ओर से ही आग लगवाई गई और उसके लिये विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराकर उन को पकड़ कर 436 का जुर्म लगाकर जेल भेजा गया । इस तरह के कुकृत्य इन के द्वारा कराये जाते हैं और निर्दोष विद्यार्थियों को फंसाया जाता है । इससे आप समझ सकते हैं कि कोमल हृदय वाले विद्यार्थियों को क्या स्थिति होगी क्या वह नहीं सोचते कि हमें फंसाने के लिये क्या क्या कुकृत्य किये जा रहे हैं । बनारस विश्वविद्यालय का यहां से संबंध नहीं है लेकिन वहां की भी यही स्थिति है, वहां भी पुलिस फोर्स भेज दिया और वह वहां पर भी लाठी, गैस और पानी का प्रहार विद्यार्थियों पर किया जा रहा है । ऐसी हालत में हमारी प्रार्थना है कि एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करके हमें अपनी बात यहां रखने का अवसर दिया जाय । जैसे कि इंडोनेसिया के विद्यार्थी बिगड़े तो उन्होंने शासन पलट दिया इसी तरह से अगर सरकार न चेती तो उसे भी यहां के विद्यार्थी पलट सकते हैं । आज हमारे शिक्षा जगत में विस्फोटक स्थिति है । कल्पनाथ सिंह ने और जायसवाल जी ने इसका जिक्र किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सुबह इस पर आपने और सब लोगों ने अध्यक्ष जी के सामने कह लिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अपने कहा कि नजर ऊपर न उठाइये, हम ऊपर देखते ही नहीं रहे ....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो आप के नियम में है कि इधर उधर नहीं देखना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम ने एडजर्नमेंट पेश किया और आज्ञा मांगी, विद्यार्थियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है; आप इस कार्यस्थगन पर फैसला दें ...

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य सूची के हिसाब से कार्यस्थगन अब आया है लेकिन इस पर अध्यक्ष के समक्ष फैसला हो चुका है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

फिर एडजर्नमेंट मोशन और नियम 52 के प्रस्ताव का अन्तर भी क्या है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव का सब से बड़ा महत्व है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अध्यक्ष ने स्वयं इसे अस्वीकार करके बात सुनकर निर्णय दे दिया है। बहस उनके समय में हो चुकी है और उस वक्त ही एडजर्नमेंट का सवाल उठा था और उस पर उनका फैसला हो चुका है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने आज्ञा दे दी और आप ने पढ़कर सुना दिया, आज्ञा तो ठीक है हम नतमस्तक हैं लेकिन इससे हमें संतोष नहीं है, हम किससे कहें कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष तक तीव्र ढंग से पहुंचा दूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, भावनायें तो दिवंगत आत्मा की पहुंचायी जाती है । श्रीमन् मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्यों

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं माननीय अध्यक्ष से कहूंगा कि आपके ये भाव हैं और वे इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरी प्रार्थना है कि आप माननीय अध्यक्ष को कह दें कि वे आकर हमारी भावनाओं को सुनें और अपना निर्णय परिवर्तित करें। यह मामला ऐसा है कि सैकड़ों छात्र जेलों में बन्द हैं। अगर वे जेलों में बन्द रहेंगे तो कैसे हम यहां पर बैठ कर बातें सुनते रहेंगे। यह कैसे चलेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप माननीय अध्यक्ष को हमारी भावनाओं के बारे में बता देंगे और तब तक इस सदन की कार्यवाही को स्थगित रखेंगे जब तक कि वे स्वयं आकर हमारी बात न सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में हमारे जो नियम हैं, वे स्पष्ट हैं ।

श्री नित्यानन्दस्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, हमारी सब से बड़ी दिक्कत यह है कि उस समय आप आकर पदासीन हो जाते हैं जिस समय इस विषय पर चर्चा होती है। हर रोज ऐसा ही देखने में आता है कि कार्य स्थगन के समय पर आप आ जाते हैं और आप कहते हैं कि निर्णय तो उनका है, तो आप बतायें कि हम किस के सामने रोयें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको रोना नही चाहिए ?

श्री बन्शीधर पांडेय (जिला वाराणसी)

श्रीमन्, उपाध्यक्ष की ताकत आज इन्डिया में बढ़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा इतना निवेदन है कि ताकत आपकी बढ़े, समूह कि बढ़े, इस विधान सभा की बढ़े एक व्यक्ति की नहीं। आप इस पर बहस चाहते है ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमान, एक कहावत है कि "जबर मारे रोने न दे दें। दोष छात्रों का नहीं है। उनका निष्कासन हो रहा है, उनको जैलों में बन्द किया जा रहा है। दोष सरकार का है, उसकी नीति का है जिसके कारण आज शिक्षा मंहगी है, शिक्षा सीमित होती जा रही है। यहां पर बड़े लोगों का गुट है कि नम्बर के नाम पर, डिवीजन के नाम पर दाखला होता है । बच्चे दाखला मांगते हैं लेकिन नहीं मिलता हैं । कुछ विद्यालयों में छात्रों के धन का दुरुपयोग होता है और उसका गबन होता है और जगह-जगह उसकी चर्चा होती है। उसके विरुद्ध जब छात्र आवाज उठाते हैं कि मैनेजमेंट में उनको हिस्सा दिया जाय और जब यह मांग वाइस चांसलर के सामने जाती है तो कहते हैं कि हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छात्रों की ताकत देखेंगे और इस प्रकार से आग में तेल छोड़ देते हैं तो सारी जगह आग फैल जाती है। अबकी जैसा हुआ ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था कि बरसात से ही यहां पर विश्वविद्यालय और कालेज तक बंद रहे। चाहे वह बाराणसी का विश्वविद्यालय हो, कानपुर का हो, इलाहाबाद का हो, गोरखपुर का हो, चाहे बांदा का कालेज हो और चाहे वह खीरी या बहराइच का हो, सब जगह इन छात्रों को इस तरह से फंसाया जा रहा है जैसे हैबिचुअल ओफेन्डर्स हों। रात में लखनऊ में एक के विरुद्ध आगजनी का केस बनाया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब आपको कहने का मौका मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

निर्दोष छात्रों से मैं कल जेल में मिला था, उनका निष्कासन हो रहा है, उन्हें जेल में बन्द किया जा रहा है और जब कोई आदमी जेल में अकारण बंद हो निर्दोष हो तो उसके लिये एक क्षण भी इस सदन को असह्य होना चाहिए और अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार किया है बहस के रूप में, कार्य स्थगन के रूप। इससे उन्होंने यह तसलीम किया है कि यह विषय महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय महत्व का है और इस पर चर्चा होनी चाहिये। मान्यवर हम इतनी ही मांग करते है कि इस पर चर्चा की जाय। आप इतना कंसीड कर चुके हैं कि चर्चा हो जायगी। यह दूसरी बात है कि चर्चा में हमको वोट का अधिकार नहीं होगा।

मान्यवर, ऐसा हो रहा है कि बनारस में लड़कों का समूह बैठा है उन पर घोड़े दौड़ा दिये गये। कहीं पर गोली मार दी गई। पूरी तरह से अशांति है पूरे समुदाय में। केवल छात्र ही नहीं सफर कर रहा है, उनका धन जा रहा है, उनका पैसा जा रहा है, यह केवल छात्र समुदाय का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का प्रश्न है। अबिलम्बनीय प्रश्न है। इस पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिये। आप उसको खुद स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उस पर चर्चा हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चायें जब बहुत स्वीकार होंगी तो उनका समय भी होगा न।

श्री बंशीधर पांडेय--

समय मैं बताता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो किसी तरह से आन्दोलन से सम्बन्धित न रहा हो लेकिन उनको जबरदस्ती, यानी छात्रों को कुचलने के लिये, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये, ताकि ऐसे नागरिक हो जायं जिनमें जिन्दा दिली न रह जाय, इसलिये उनको जेल में डाला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको अवसर मिलेगा। आप स्वय कार्य मन्त्रणा समिति में उपस्थित थे। आज और कल का कार्यक्रम तो निश्चित है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसके लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो निर्णय नहीं करती है। इसका निर्णय तो आप करते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जैसे आपने चर्चा स्वीकार की, इसका समय नहीं बांधा तो यह भी ऐसा विषय है....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि परम्परा होनी चाहिये। आप देखते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को कितना धुन लग रहा है। अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर मन्जूर करें एडजर्नमेंन्ट मोशन और दूसरा न करे यह पद्धति ऐसी है कि इस पर अध्यक्ष महोदय राय देते हैं कार्य-स्थगन के लिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो अध्यक्ष महोदय को आने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी कार्य सूची के बाद इतनी देर तक आपने आग्रह किया। मैं भी उस समय थोड़ी देर तक के लिये उपस्थित था। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो अब मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं ? मुझे आप समझते हैं कि मैं सामर्थ्यवान हूं और मैं इसे स्वीकार कर लूं। तो आज जो बहस हुई है और अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें सुनते हुए निर्णय दिया है तो ऐसी स्थिति में मेरे लिये चारा बाकी नहीं है कि मैं दूसरा निर्णय दूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर अध्यक्ष जी ने नहीं सुना है। मन्त्रियों के भ्रष्टाचार वाले पर सुना है। जैसा कि आपने कहा कि जनतंत्र की बात को देखते हुए आप प्रोफसर भी हैं और बहुत सारी बातों को जानते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने वाले, लोकतंत्र को सम्हालने वाली पीढ़ी को ही आप खत्म कर रहे हैं जिनके कन्धों पर लोक तन्त्र आने वाला है और जो इन कुर्सियों पर विराजमान होकर लोकतंत्र के जो फाउन्डिग फादर्स थे इनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इन्हीं का जीवन अन्धकारमय किया जा रहा है। आज इस उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग मखौल बन गया है। आज शिक्षा इस प्रकार की है कि जब सती की मरी हुई लाश तो उसको शंकर ने तीन भागों में काट दिया। एक सिर, दूसरा धड़ और तीसरा टांग कहीं गिरा दी। तो सर विभाग के मालिक कोई, धड़ विभाग के मालिक कोई और टांग विभाग के मालिक कोई। यह हालत है। मन्त्री लोग विद्यार्थियों के बीच में जायेंगे तो उन्हों की बात कहेंगे कि सारा भारत तुम्हारा ही है, टीचर्स में जायेंगे तो उनकी बात कहेंगे और अभिभावक में जायेंगे तो उनकी बात करेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—

जब इस पर समय देंगे तब ये सब बातें कहियेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह हाउस तो 6–6 महीने तक नहीं बुलाते हैं। आखिर हम लोगों का अपनी कांस्टीटुएन्सी के प्रति भी तो उत्तरदायित्व है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का केवल रबर स्टाम्प का काम नहीं है। यह सरकार बराबर आपके अधिकारों को काट कर अपने हाथ में लेती जा रही है..

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हुए मालूम पड़ रहे हैं....

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमान्, आप तो चाहते हैं लेकिन इस सरकार की हठवादिता के कारण नहीं हो पाता, क्योंकि यह हाउस बुलाये नहीं। श्रीमन्, जब 12 वर्ष तक पाकिस्तान में लोकतंत्र डिनाई हुआ तो 12 वर्ष में एक एक्युमुलेटेड चीज क्या आयी? टू नेशन थ्योरी का जनाजा निकला और बंगला देश बन गया.....

श्री उपाध्यक्ष—

लोकतंत्र उपयुक्त समय में दखल देने से बढ़ता है, अनुपयुक्त समय में दखल देने से नहीं बढ़ेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह अनुपयुक्त वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उपयुक्त वातवरण बने।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये नियमानुसार चलिये। मैं कैसे इस एडजर्नमेन्ट मोशन को स्वीकार करूं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने इसको बहस के तौर पर मंजूर कर लिया और आप उसमें अब कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। आप यह कर सकते हैं कि उस बहस को आगे बढ़ाने के बजाय अभी से करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसके लिये नियम में प्राहीबीशन कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्राहीबिशन का सवाल नहीं है। चूंकि कहीं पर रुकावट नहीं है इसलिये हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, नियम 53 देंखें। इसमें यह है कि यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मन्त्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझे, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिये, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन-नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें सदन-नेता के परामर्श से है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरी सूचना तो नियम 56 की है। जिस समय सदन की संख्या द्वादसम हो तो यह सदन निश्चित कर सकता है। नेता सदन ने इसकी नोटिस की होगी। इस समय सदन में नेता सदन उपस्थित नहीं हैं। अगर आप यह समझते हैं कि इस सवाल को आगे टाल सकते हैं तो मेरी मजबूरी है कि हम लोग इस सवाल को आगे टालने के लिये तैयार नहीं हैं। नेता सदन सारे लड़कों को जेल में बन्द किये हैं और मैं इस बात को नेता सदन पर छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूं और इसीलिये नियम 52 का विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कोई नोटिस नहीं दी है कि नियम में परिवर्तन किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, नियम 56 का सवाल है। जब काम रोको प्रस्ताव में आप अलग से समय निर्धारित करना चाहते हैं तो आप नेता सदन को बुलवायें और इसकी चर्चा अभी से सदन में शुरू करवायें। या तो सदन में इसकी चर्चा चलेगी नहीं तो सदन नहीं चलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय नेता से आप परामर्श करके इसके लिये कुछ निश्चित कर सकते हैं। यहां पर वरिष्ठ मन्त्री बैठे हैं उनसे भी आप पूंछ सकते हैं। आप चाहे इसको शाम को ही लगा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने 12 और 13 तारीख के लिये कार्यक्रम निश्चित कर दिया है अगर ऐसा नहीं था तो आप इन दो दिनों के कार्यक्रम के लिये क्यों सहमत हुए?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, साधारण बिजनेस की जो बात है उसको हम करते हैं परन्तु अगर कोई संकल्प या इसी प्रकार का आवश्यक प्रश्न आ जाता है तो नेता सदन से परामर्श करके आप उसको कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष महोदय ने इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। परन्तु आप नेता सदन से परामर्श करके इसको जल्दी करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति में जो आपने समय निश्चित किया है उसके अनुसार चलें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जहां तक कि हमारी जानकारी है कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय लिया गया और जहां तक कि मुझको याद है कभी भी नियम 52, 53 या 56 के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। यह तो आपका अधिकार है। इसके बारे में समिति नहीं कर सकती है। सरकार और हमारे बीच में कौन सा नियम होना चाहिये इसका आप निर्धारण करेंगे। मान्यवर, इस बारे में आपके विषय में कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है क्योंकि वह आपका विशेषाधिकार है। आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं परन्तु हमने तो पहले ही एक चीज कही कि मान्यवर यह एक गहन विषय है और विद्यार्थियों के जन जीवन से इसका सम्बन्ध है। आज विद्यार्थियों का जीवन अंधकारमय हो गया है। ऐसे विषय पर आप इसको स्वीकार करें। हमने कहा था कि हम एडजर्नमेन्ट मोशन पेश करेंगे और जो उचित समझेंगे वह करेंगे तथा आप जो चित समझेंगे दन्ड देंगे, लेकिन इस कन्टीनजेंसी को एवाएड करने हेतु एक रास्ता निकल आया। आप समय निश्चित कर दें। एक बार अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया। उस पर निर्णय लेने की बात नहीं है। यह तो आपके हाथ में है कि आप समय निश्चित कर दें इस वक्त। यह आपके विवेक पर है ताकि हम लोगों की भावना को ठेस न लगे और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए जिससे आपको भी कष्ट हो और हमें भी कष्ट हो। नेता सदन को बुला कर आप समय निश्चित कर दें, यह आपके विवेक पर है। मान लीजिये आज प्रदेश में कोई भारी घटना घटित हो जाए, भगवान करे ऐसा न हो, तो क्या आप एडजर्नमेन्टमोशन एलाऊ नहीं करेंगे। विद्यार्थियों की समस्या को इतना हल्का क्यों मान लिया गया है? इसे बिजली से हल्का क्यों मान लिया गया है? माननीय जायसवाल जी, कल्पनाथ सिंह तथा पाण्डे जी ने सुझाव दिये हैं। आप अपने विवेक का प्रयोग करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष ने फैसला कर दिया है और अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम को बाध्य न करें, मान्यवर क्योंकि हमारे लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

हमको भी बाध्य नहीं करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारे लिये कोई रास्ता नहीं है । हमारी भी मजबूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया तब भी आपने एतराज नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप का अधिकार तो सर्वोपरि है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने अस्वीकृत कर दिया है । हमारे लिये कोई चारा नहीं छोड़ा है । कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर जब बहस चले तो ढाई या दो घटे जितना भी समय हो, ले लें । अब तो कार्यसूची चलेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम भी चाहते हैं कि कार्यसूची विधिवत् चले ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम तो आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि आप नेता सदन से परामर्श करके समय निश्चित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि अध्यक्ष ने इसको अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम अपनी बात साफ नहीं कर पा रहे हैं । अध्यक्ष ने इसको बहस के रूप में स्वीकार कर लिया इतना तो सही है और बहस के लिये स्वीकार करने का मतलब है कि किसी नियम के तहत में विचार होगा । उसी सदर्भ में नियम 53 का हवाला दिया है । आप नेता सदन से परामर्श करके समय निश्चित कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमन्त्रणा समिति ने निश्चित कर दिया है । अगर कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर उसी समय बहस हो । अगर आपने समझ लिया है कि उसी समय बहस होती है तो वह तो टीक नहीं है ।

थी नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, आप कार्य मन्त्रणा समिति को क्यों जोड़ रहे हैं, कोई अचानक चीज भी पैदा हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अचानक नहीं है । कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार किया होता तो वह सर्वोपरि होकर आता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप सदन को थोड़ी देर के लिये स्थगित कर द ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

और कार्य स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

लाठी गोली की सरकार.....

कई माननीय सदस्यों की आवाज—

नही चलेगी ।

(विरोधी दल के कई माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आप स्वयं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव आये थे, आपने पढ़ कर क्यों नहीं सुनाया ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

तानाशाही की सरकार.....

कई आवाजें—

नहीं चलेगी ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

राष्ट्र विरोधी सरकार.....

कई आवाजें—

नहीं चलेगी ।

(नारे और मेजों की थपथपाहट के बीच)

1966–67 की बढ़ती व्यय के अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4––बिक्री–कर

वन उप मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—बिक्री कर के अन्तर्गत 13, 997 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—बिक्री कर के अन्तर्गत 13,997 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8––राज्य विधान मण्डल

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–राज्य विधान मडल के अन्तर्गत 4,05,024 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत 4,05,024 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10—आयुक्त और जिला प्रशासन

कृषि राज्य मन्त्री (श्री रामसूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10––आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 84,031 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 84,031 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या 14––पुलिस

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14, पुलिस के अन्तर्गत 36,81,275 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—पुलिस के अन्तर्गत 36,81,275 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, ऐसी दशा में हम यह समझते हैं कि जब हमारी मामूली बात भी नहीं मानते हैं तो हम वाक आउट करते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देवरिया)—

आपके तानाशाही व्यवहार के विरुद्ध हम वाक आउट करते हैं।

(विरोधी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

अनुदान संख्या 17—शिक्षा

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—शिक्षा के अन्तर्गत 56,61,687 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—शिक्षा के अन्तर्गत 56,61,787 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,01,97,079 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,01,97,079 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत 65,08,554 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966–67 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जात हैं

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत 65,08,554 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966-67 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—संचार साधनों का सुधार

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत 36,48,929 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966-67 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत 36,48,929 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1966-67 से संबंध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 9,22,403 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966-67 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 9,22,403 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966-67 से संबंद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अगदान संख्या 47—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिस से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,18,699 रुपये की मांग वित्तीय 1966-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47-कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,18,699रुपये को मांग, वित्तीय वर्ष 1966-67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48-क बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री राजबिहारी सिंह—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—क—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओ पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 35,93,434 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966-67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—क— बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 35,93,434 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966-67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 51—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,22,374 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966—67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,22,374 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966—67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53—पेंशनों का राशि मूल्य

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 53—पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत 1,15,316 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966—67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—पेन्शनों का राशिमूल्य के अन्तर्गत 1,15,316 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1966—67 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1966—67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 972

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

म आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1966—67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966–67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966–67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966–67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक 1972

31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती हुई व्यय धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

1966-67 की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से 14,39,74,376 रुपये का दिया जान

2—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 14,39,74,376 रुपये (चौदह करोड़, उनतालिस लाख, चौहत्तर हजार, तीन सौ छिहत्तर रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

3—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
अनु-दान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
4	बिक्री-कर ..	13,997	..	13,997
8	राज्य विधान मंडल	4,05,024	2,024	4,07,048
10	आयुक्त और जिला प्रशासन	84,031	..	84,031
14	पुलिस ..	36,81,275	..	36,81,275
17	शिक्षा ..	56,61,687	..	56,61,687
30	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	1,01,97,079	..	1,01,97,079
35	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	65,08,554	..	65,08,554
36	संचार साधनों का सुधार	36,48,929	..	36,48,929
37	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	9,22,403	..	9,22,403
44	वन ..	..	5,239	5,239
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	9,58,94,311	9,58,94,311
47	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	5,18,699	..	5,18,699
48–क	–बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	35,93,434	..	35,93,434
51	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	1,27,22,374	..	1,27,22,374
53	पेंशनों का राशिमूल्य	1,15,316	..	1,15,316
	योग ..	4,80,72,802	9,59,01,574	14,39,74,376

*भारित विनियोग

अनुदान संख्या 1—वृहत् जोत-कर

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1967-68 की बढ़ती व्यय को अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—

अनदान संख्या 1—बृहत् जोत-कर

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—वृहत् जोत-कर के अन्तर्गत 70,884 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—वृहत् जोत-कर के अन्तर्गत 70,884 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11—आयुक्त और जिला प्रशासन

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11-आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 32,05,979 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 32,05,979 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—न्याय प्रशासन

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 4,34,949 रुपय की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 4,34,949 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—कारागार

कारागार उप मन्त्री (श्री रामपूजन पटेल)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—कारागार (जेल्स) के अन्तर्गत 2,560 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—कारागार (जेल्स) के अन्तर्गत 2,560 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—पुलिस

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—पुलिस के अन्तर्गत 69,92,415 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—पुलिस के अन्तर्गत 69,92,415 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

सामुदायिक विकास उप मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—वैज्ञानिक शोधतथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 5,034 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—वैज्ञानिक शोधतथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 5,034 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—शिक्षा

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—शिक्षा के अन्तर्गत 3,57,993 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 18–शिक्षा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—शिक्षा के अन्तर्गत 3,57,993 पये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—सहकारिता

सामुदायिक विकास उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्य 24, सहकारिता के अन्तर्गत 91,24,270 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सहकारिता के अन्तर्गत 91,24,,270 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन के अन्तगत 23,37,299 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967– 68 से सबम्द्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत 23,37,299 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय

सामुदायिक विकास उपमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 28—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत 41,264 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत 41,264 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 स सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31–राजस्व से किये जानेवाले सिंचाई के निर्माण कर्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—राजस्व से किये जान वाल सिचाई क निर्माण-कार्य के अन्तर्गत 1,70,73,594 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत 1,70,73,594 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री (श्री बीरबहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33 सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत 1,48,86,207 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33-सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत 1,48,86,207 पये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

वन उपमन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें के अन्तर्गत 6,67,644 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत 6,67,644 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 8,13,62,696 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 8,13,62,696 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,91,07,020 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,91,07,020 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,39,05,865 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,39,05,865 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

बन उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 19,05,143 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 90,05,143 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्मीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1967–68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1967–68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1967–68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय क विनियमन) विधेयक, 1972

31 मार्च, 1968 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का अप्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1792 कहलायेगा ।

1967-68 की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से 26,87-97,008 रुपये का दिया जाना ।

2--उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित धनराशियों, जिनका कुल योग 26,87,97,008 (छब्बीस करोड़, सतासी लाख, सतानवे हजार, आठ रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

3--इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

1	2	3		
अनु-दान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	बृहत जोत कर ..	70,884	..	70,884
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	32,05,979	..	32,05,979
13	न्याय प्रशासन ..	4,34,949	..	4,34,949
14	कारागार ..	2,560	..	2,560
15	पुलिस ..	69,92,415	..	69,92,415
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	5,034	..	5,034
18	शिक्षा ..	3,57,993	..	3,57,993
19	चिकित्सा ..	..	3,781	3,781
24	सहकारिता ..	91,24,270	..	91,24,270
27	श्रम और सेवायोजन ..	23,37,299	..	23,37,299
28	सूचना निदेशालय ..	41,264	..	41,264
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	1,70,73,594	..	1,70,73,594
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं	1,48,86,207	..	1,48,86,207
39	अधिवर्ष भत्ते और पेन्शन	6,67,644	..	6,67,644
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	8,13,62,696	..	8,13,62,696
47	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,91,07,020	..	6,91,07,020
48	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	5,39,05,865	9,235	5,39,15,100
50	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	2,03,176	2,03,176
54	व्याज वाले ऋण और अग्रिम	90,05,143	..	90,05,143
	योग	26,85,80,816	2,16,192	26,87,79,008

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) बिधेयक, 1972 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह कि उत्तर-प्रदेश बिनियोग (1967-68 कि बढ़ती व्यय का विनिमयमन) विधेयक 1972 को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी और श्री सुरेन्द्र विक्रम की सूचना-जिला बांदा के ग्राम रिसवार में हरिजन व पिछड़ी जातियों पर अत्याचार-यह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। शेष अस्वीकार की गयी हैं।

अब हम उठते हैं । कल ग्यारह बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बज कर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
12 दिसम्बर, 1972 ।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर]

जनपद गोंडा में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित हो रहे मार्गों की सूची

मांगों के नाम	लम्बाई कि0 मी0
1—रामपुर वनघुसरा से देवरिया रानी जोत	5
2—कुआनों रेंज से बालपुर	6
3—नरायनपुर से हरैंया	9
4—सरजू स्टेशन से चचरी मांझा	8.6
5—लिंक रोडहल धरमऊ ब्लाक	3.4
6—बालपुर से परसपुर	3
7—परसपुर से बालपुर	9
8—तरबगंज से वन्धा तक ग्राम सुसेला होत हुए	8
9—लिंक रोड गेण्डास बुजुर्ग ब्लाक	2
10—सोन वरसा से रेहरा बाजार	4
कुल योग	58.0

वन विभाग के माध्यम से कार्यान्वित हो रही वनमार्गों की सूची

वन मार्गों का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)
1—बालपुर 6 से महाराजगंज तक (दो भाग)	9
2—रामगढ़ से करौंदी तक	1.5
3—रामगढ़ डिपो से पी0 डब्लू0 डी0 सड़क तक	1.5
4—महाराजगंज पार्ट से चन्दना तक	7
5—रामगढ़ से लदेहना	2.5
6—रामगढ़ से गणेशपुर तक	2.5
7—तेंदुआ से गुमड़ी तक	4
8—तेंदुआ से गुमड़ी (पार्ट)	4
9—वेरिया से वेरिया गार्ड चौकी	2
10—रामगढ़ से अशरफाबाद	5
11—वेरिया से वेरिया 5 तक	3
कुल योग ..	42 कि0 मी0

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर]

संलग्नक

क्रम-संख्या	परियोजना का नाम	वित्तीय प्रगति 1-10-1971 से 30-11-72 तक	लम्बाई (कि0मी0)	भौतिक प्रगति			
				मिट्टी का कार्य (कि0मी0)	ईंट की पूर्ति (कि0मी0)	ईंट बजड़ी की पूर्ति	पुलिया निर्माण
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) सड़कें--						
1	पयागपुर-शिवदहा मार्ग	3,76,670.07	10	9.5	2	6	5
2	फुखरपुर भिलोरा वामू मार्ग	3,78,736.11	10	10	7	7.5	2
3	धरमपुर बौड़ी मार्ग	1,79,980.41	6	6	..	3	2
4	कुडासर-हुजूरपुर मार्ग	1,59,916.44	8	7.5	..	3	..
5	इकोना-लक्ष्मनपुर मार्ग	53,034.00	5	4	..	..	..
6	गयाघाट मटिहा मार्ग	2,08,623.60	8	6.5	..	4	..
7	रिसिया सम्पर्क मार्ग	98,428.00	2.142	1.761	..	1	..
8	पटना-मधवापुर मार्ग	66,015.00	3	2	..	..	..
9	पांडेपुर व हरिहरपुर रानी मार्ग ..	75,049.00	3	2.5	..	..	..
10	खुटेहरा-हजूरपुर मार्ग	93,225.92	4	1	..	1	..
	स्टाफ तथा अन्य आकस्मिक व्यय ..	2,39,881.92	..	..	..	..	..
	योग ..	19,29,560.47	59.142	50.761	9	25.5	9

अनुवाद सेवा

क्रम-सं०	परियोजना का नाम			वित्तीय प्रगति 31–10–1972 तक	लम्बाई /संख्या	भौतिक प्रगति
	(ख) वन परियोजनायें—					
1	पाइप पुल 20 फुट एक स्थान	..	..	4451.20	एक	कार्य प्रगति पर
2	सहेलवा जनकपुर फारेस्ट मार्ग पर मिट्टी का कार्य	..	..	1500.00	1.5 कि0 मी0	कार्य पूर्ण
3	सहलवा लिल्ली मार्ग पर मिट्टी का कार्य	..	..	..	1.5 ,,	कार्य प्रगति पर
4	किरन नाला पर एक नवीन पुल ..	..	..	4848.79	..	दो नवीन पुल पूर्ण
5	सुजौली –हरखापुर सड़क पर नीन पुल	..	..	4991.49	..	..
6	सोतिया पुल (पार्ट वर्क) ..	..	..	..	..	..
7	रेखवा पुल (पार्ट वर्क) ..	..	..	223.76	..	कार्य प्रगति पर
8	मोटर सड़क पर मिट्टी की भराई)	..	..		188.7 ,,	87 कि0 मी0 सड़क पर
9	बैलगाड़ी सड़क पर मिट्टी की भराई)	..	..	35180.92	41.3 ,,	मिट्टी की भराई कार्य पूर्ण
				51196.16		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

तालिका "क"

कार्य-क्रम	क्षेत्रफल उत्पादन के लक्ष्य (लाख हेक्टर)	सम्भावित अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)
(1) गेहूं का कुल प्रस्तावित क्षेत्र ..	65.00	24.80
(2) गेहूं के कुल क्षेत्र में से अधिक उपज देने वाली जातियों के अन्तर्गत क्षेत्र	38.00	
(3) चने की फसल में पैकेज विधियां अपनाकर ..	12.00	6.48
(4) धान (जावद का)	2.00	2.20

तालिका 'ख'

राज्य सरकार के निर्देशन के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा प्रदेश में समय-समय पर भेजे गये अधिकारियों की टीम के परामर्श से (भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में तथा सिंचाई के लिये विद्युत एवं उर्वरक का आवश्यकतानुसार पूरी मात्रा में सम्पूर्ण प्रयास के उपरान्त भी, उपलब्ध न होने के कारण) रबी के खाद्यान्न उत्पादन का निम्नलिखित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम	निर्धारित लक्ष्य (लाख हेक्टर में)
(1) गेहूं के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल	65.00 (इसमें 5.00 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रफल सम्मिलित है)
(2) अधिक उपज देने वाली गेहूं की प्रजातियों की खेती--	
(अ) बौनी जातियां	32.00
(ग) उत्तर प्रदेशीय उन्नतिशील गेहूं	6.00
(3) उन्नतिशील पैकेज विधियों द्वारा खेती--	
(अ) जौ	1.00
(ब) चना	1.00
(स) मटर	1.00
(द) मसूर	0.50
(4) रबी तिलहन--	
(अ) अतिरिक्त क्षेत्रफल बढ़ाना	0.50
(ब) उन्नतिशील पैकेज विधियों द्वारा खेती	1.00
(स) सरसों पर कृषि रक्षा का कार्यक्रम	0-30
(5) आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल के उत्पादन का लक्ष्य ..	0-10
(6) रबी फसलों में यूरिया के पर्णीय छिड़काव का लक्ष्य ..	2.00
(7) अरहर की फसल में एक या दो सिंचाई देकर पैदावार बढ़ाना .	0.50

तालिका "ग"

मद	मांगी गई धनराशि (रु0 करोड़ में)	केन्द्र दल द्वारा संस्तुत धनराशि (रु0 करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि (रु0 करोड़ में)
(1) उर्वरक बीज तथा कीटनाशक क्रय हेतु अल्पकालीन ऋण ..	45.00	20.00	10.00
(2) सिंचाई के लिये दीर्घकालीन ऋण	20.75	20.75	5.1875
(3) पौध सुरक्षा बीज तथा उर्वरकों के लिये अनुदान ..	9.90	3.55	..
योग ..	75.65	44.30	15.1875

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछ पृष्ठ 32 पर)

वितरण

पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1966 से वर्ष 1971 तक क्रय वितरण किय गये पंपिंग सटा का विवरण जनपद गोरखपुर

क्रमांक	संस्था का नाम जहां से क्रय अथवा प्राप्त हुआ	इंजन के मेक	इंजन संख्या	किसको दिया गया	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन, लखनऊ	टेक्स टूल	5 हा0पा0	15353 महात्मा गांधी इंटर कालेज, सिसवा बाजार	
2	,,	,,	,,	15326 जवाहर लाल माध्यमिक विद्यालय हरखपुरा सिसवा बाजार	
3	,,	,,	,,	14955 एल0बी0एस0एम0जूनियर हाई स्कूल वरवा खुर्द सिसवा बाजार	
4	,,	,,	,,	15371 महात्मा बुद्ध हाई स्कूल अड्डा, बाजार लक्ष्मीपुर	
5	,,	,,	,,	15372 आदर्श हाई स्कूल परसौना लक्ष्मीपुर	
6	,,	,,	,,	15352 जनता जूनियर हाई स्कूल बहादुरी वाजार लक्ष्मीपुर	
7	,,	,,	,,	14880 हायर सेकेंड्री स्कूल पिपर संडी बेलघाट	
8	,,	,,	,,	15354 जूनियर हाई स्कूल बेलघाट	
9	,,	,,	,,	15358 श्री प्रमेश्वरी दयाल ग्रामीण विद्यालय वेलघाट	
10	,,	,,	,,	14961 राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय महुआपार बड़हलगंज	
11	,,	,,	,,	15370 प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मनपुर सरदारनगर	
12	,,	,,	,,	14934 डी0ए0वी0जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल जंगल सिकरी खोरावार	
13	,,	,,	,,	15359 ग्रामोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़यापार बेलघाट	
14	,,	,,	"	14939 प्राइमरी पाठशाला जंगल रामलखन खोरावार	

15	उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग कम्पनी/कूपर इंजन सी0वी0 27 गौतमबुद्ध मार्ग लखनऊ।	आर0–5		3/514676	जूरीयर हाई स्कूल एकला बाजार चरगवां
16	,,	,,	,,	3/514668	जनता हायर सेकेंड्री स्कूल चरगवां
17	,,	,,	,,	3/514675	जूनियर हाई स्कूल हरपुर बदहट सहजनवां
18	,,	,,	,,	3/514608	गांधी इंटर कालेज हरपुर बदहट सहजनवां
19	,,	,,	,,	3/514388	बेसिक प्राइमरी पाठशाला कर्महां सरदारनगर
20	,,	,,	,,	3/514475	प्रधान ग्राम सभा गौनर
21	,,	,,	,,	3/514414	पंचायत राज हायर सेकेंडरी स्कूल परतावल बाजार
22	,,	,,	,,	3/514387	जनता इंटर कालेज मिटौली बाजार धुधुली
23	,,	,,	,,	3/514320	बेसिक प्राइमरी पाठशाला टेढ़वा धुधली
24	,,	,,	,,	3/514618	ग्राम सभा महुलानी बृजमन गंज ब्लाक
25	,,	,,	,,	3/514621	ग्राम सभा गोपलापुर बृजमन गंज
26	,,	,,	,,	3/514607	प्रधान ग्राम सभा मोतीराम अड्डा खोरावार
27	,,	,,	,,	3/514622	बेसिक प्राइमरी पाठशाला कर्महा महराजगंज
28	,,	,,	,,	3/514324	जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल महराजगंज
29	,,	,,	,,	3/514320	बेसिक प्राइमरी पाठशाशा बैजूडिहा ब्रह्मपुर
30	,,	,,	,,	3/514286	जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल मिठावल ब्रह्मपुर
31	,,	,,	,,	3/514421	प्राइमरी पाठशाला सोनवे गौनरहा पिपराइच
32	,,	,,	,,	3/514413	ग्राम सभा सिधावल पिपराइच
33	,,	,,	,,	3/514308	प्राइमरी पाठशाला खोरावार
34	,,	,,	,,	3/514620	जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल मिटी भगवानपुर पिपरौली
35	,,	,,	,,	3/514565	प्राइमरी पाठशाला जैतपुर पिपरौली
36	,,	,,	,,	3/514570	लाक विद्यापीठ आनन्दनगर फरेंदा
37	,,	,,	,,	3/514568	ठाकुर नगर पाठशाला फरेंदा
38	,,	,,	,,	3/514303	प्रधान ग्राम सभा मुडिया नौतनवां
39	,,	,,	,,	3/514483	प्राइमरी पाठशाला महदेइया नौतनवां

1	2	3	4	5	6
40	,,	,,	,,	3/514409	बेसिक प्राइमरी पाठशाला, सोपाइघाट, बेलघाट
41	,,	,,	,,	3/514323	दोआवा हायर सेकेंडरी स्कूल, बेलघाट
42	,,	,,	,,	3/514415	किसान हायर सेकेंडरी स्कूल, डेरवा, बड़हलगंज
43	,,	,,	,,	3/514283	नेशनल डिग्री कालेज, बड़हलगंज
44	,,	,,	,,	3/514314	कन्या जूनियर हाई स्कूल, भिटहा कौड़ीराम
45	,,	,,	,,	3/514412	सर्वोदय किसान इंटर कालेज, कौड़ीराम
46	,,	,,	,,	3/514292	पंडित जवाहर लाल इंटर कालेज, बांसगांव
47	,,	,,	,,	3/514333	खंड विकास अधिकारी, बांसगांव
48	,,	,,	,,	3/514317	राष्ट्रीय इंटर कालेज, वाली निचलौल
49	,,	,,	,,	3/514313	हायर सेकेंड्री स्कूल, ठूठीवारी निचलौल
50	,,	,,	,,	3/514400	हाई स्कूल, भटहट
51	,,	,,	,,	3/514614	प्रधान ग्राम सभा पुलवरिया, भटहट
52	,,	,,	,,	3/514407	जूनियर हाई स्कूल, परतावल बाजार
53	,,	,,	,,	3/514380	सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल, मौलागंज पनियरा
54	,,	,,	,,	3/514332	जूनियर हाई स्कूल, कुआंचाप पनियरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ०'

(देखिये ता० प्र० सं० 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा 1962–63 में अनुमोदित अधिकारियों की सूची

अधिकारी का नाम		पद जिस पर अनुमोदित किये गये		
1—श्री	एस० एन० काला	.. प्रभारी	अधिकारी वीर्य संकलन	केन्द्र
2—,,	एस० सी० शर्मा	,,	,,	,,
3—,,	बल्देव सचदेव	,,	,,	,,
4—,,	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	,,	,,	,,
5—,,	एस० एन० राय	,,	,,	,,
6—,,	ग्लैडविन ब्रेब	लेक्चरर	स्टाक मैन ट्रेनिंग	क्लास
7—,,	ए० एन० द्विवेदी	,,	,,	,,

1966–67 में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकारियों की सूची

अधिकारी का नाम			पद जिसके लिये अनुमोदित किये गये		
1—श्री	भूपाल सिंह	..	जिला	पशुधन	अधिकारी
2— ,,	एस० सी० श्रीवास्तव	..	,,	,,	,,
3— ,,	राम जनम सिंह	..	,,	,,	,,
4— ,,	बी० के० मित्तल	..	,,	,,	,,
5— ,,	लालजी	..	,,	,,	,,
6— ,,	जगमोहन खन्ना	..	,,	,,	,,
7— ,,	ओ० पी० द्विवेदी	..	,,	,,	,,
8— ,,	ललित चन्द्र	..	,,	,,	,,
9— ,,	डी० एन० शर्मा	..	,,	,,	,,

10— श्री	राजेन्द्र सिंह	..	जिला	पशुधन	अधिकारी
11— ,,	टी0पी0 पांडेय	..	,,	,,	,,
12— ,,	बी0 आर0 शर्मा	..	,,	,,	,,
13— ,,	मथान सिंह	..	कृत्रिम	गर्भाधान	अधिकारी
14— ,,	टी0 आर0 वार्ष्णेय		,,	,,	,,
15— ,,	धीरेन्द्र सिन्हा	..	,,	,,	,,
16— ,,	बिन्द्र बहादुर सिंह	..	,,	,,	,,
17— ,,	डी0 बी0 एस0 चौधरी		,,	,,	,,
18— ,,	एस0 एन0 सक्सेना	..	,,	,,	,,
19— ,,	एस0 पी0 नैथानी	..	,,	,,	,,
20— ,,	एस0 सी0 जोशी	..	,,	,,	,,
21— ,,	पी0 एम0 पांडेय	..	,,	,,	,,
22— ,,	बी0 एल0 एच0 दोहरे		,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

वर्ष 1971–72 में दिए गये धान एवं गेहूं को सघन योजना के अन्तर्गत बहु फसली प्रदर्शन में व्यय की गयी (पेस्टोसाइड) धनराशि विकास क्षेत्र बांसी, बस्ती का कृषक वार एवं ग्रामवार विवरण

क्रम-संख्या	कृषक का नाम	ग्राम का नाम	दिया गया खरीफ	धनराशि रबी	योग
	सर्वश्री :–				
1	हरिश्चन्द्र द्विवेदी	नरही ..	50.00	49.62	99.62
2	बजरंगी ..	सिहोरिया ..	50.00	49.62	99.62
3	कुल बिहारी	जोवां ..	50.00	49.62	99.62
4	छोटे लाल ..	काजी रखौली	50.00	49.62	99.62
5	देवी प्रसाद पाण्डे	कपिया शुक्ल	50.00	49.62	99.62
6	भवनाथ ..	मोहर वबा ..	50.00	49.62	99.62
7	नरदेश्वर	नेउश्रा ..	50.00	49.62	99.62
8	जयंत्री प्रसाद	नेउश्रा ..	50.00	49.62	99.62
9	गुल हसन ..	सोनरवरो ..	50.00	49.62	99.62
10	बाबूराम ..	बराव नानकार	50.00	49.62	99.62
11	युवराज सिंह ..	बराव नानकार	50.00	49.62	99.62
12	रामाज्ञा ..	जोवपुर ..	50.00	49.62	99.62
13	देवेन्द्र ..	तलपुरवा ..	50.00	49.62	99.62
14	काशी राम ..	पचहरी ..	50.00	49.62	99.62
15	सुरेन्द्र नाथ ..	तलपुरवा ..	50.00	49.62	99.62
16	महेदो रोसन ..	सेहजो ..	50.00	..	50.00
17	गंगा राम ..	हयातनगर ..	50.00	..	50.00

18	राम लखन ..	बटेरवा ..	50.00	49.62	99.62
19	अता उल्लाह ..	गौरा पचपेड़वा	50.00	49.62	99.62
20	भगवती बैद्य	मिठवल ..	50.00	49.62	99.62
21	शिवमूरत पाठक	बनकटा ..	50.00	49.62	99.62
22	सूर्य प्रकाश ..	बरगदो ..	50.00	49.62	99.62
23	राजबहादुर चन्द्र	सिसई ..	50.00	49.62	99.62
24	राम सुमझ पांडेय	सोनफेरवा ..	50.00	49.62	99.62
25	यमुना प्रसाद त्रिपाठी	सोनफेरवा ..	50.00	49.62	99.62
26	सदा बुझ सिंह	अशेगवा ..	50.00	49.62	99.62
27	लल्न ..	उस्का ..	50.00	49.62	99.62
28	राम हर्ष ..	अतरम ..	50.00	..	50.00
29	यज्ञवंश मिश्र ..	रवरचौला ..	50.00	..	50.00
30	राम देव ..	उसको ..	50.00	..	50.00
31	नर सिंह ..	सिंहिया ..	50.00	..	50.00
32	धनपत ..	बरदवा ..	50.00	49.62	99.62
33	राम पदारथ	कोलहुआ ..	50.00	49.62	99.62
34	राम रक्षा ..	समटिकरा ..	50.00	49.62	99.62
	योग		1700.00	1389.36	3089.36

नोट:—श्री मेंहदी हसन ग्राम—सहजी, गंगा राम, ग्राम-हयातनगर, राम हरष, ग्राम अतरम, यज्ञवंश मिश्र, रवरचौला, राम देव, ग्राम-उसकी एवं नरसिंह, ग्राम सिंहिया के रबी के फसल में मल्टी पुल प्रदर्शन (पेस्टोसाइज) में सफलता न मिलने के कारण रबी के प्रदर्शन निरस्त कर दिया गया ।

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत
बस्ती जिले की तहसीलों को आवंटित धन
का विवरण।

1	2	3	4	5	6	7
क्रमांक	मद (कार्य विवरण)	विकास क्षेत्र	तहसील	घन जो दिया गया		
				वर्ष 1971–72	वर्ष 1972–73	योग
1	उस्का सुहाल मार्ग (14 कि0 मी0)	उस्का	नौगढ़	143835.00	200000.00	343835.00
2	बांसी हमरियागंज (12 कि0 मी0)	बांसी	बांसी	182719.00	150000.00	332719.00
3	टूटी-मीटी-विक्रमजीत मार्ग (12 कि0 मी0)	हर्रैया	हर्रैया	125043.53	100000.00	225043.53

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

गांव पंचायतों के चतुर्थ सामान्य निर्वाचन 1972 में चुने गये पिछड़ी जाति एवं हरिजन जाति के प्रधानों की जिलेवार संख्या ।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पिछड़ी जाति के प्रधानों की संख्या	हरिजन जाति के प्रधानों की संख्या
1	2	3	4
1	आगरा	261	64
2	अलीगढ़	230	78
3	इलाहाबाद	958	104
4	अल्मोड़ा	18	17
5	आजमगढ़	1,349	195
6	बहराइच	365	31
7	बलिया	306	43
8	वाराणसी	959	85
9	बांदा	243	22
10	बाराबंकी	746	88
11	बस्ती	1,342	119
12	बरेली	490	42
13	बिजनौर	65	159
14	बदायूं	565	70
15	बुलन्द शहर	205	83
16	देहरादून	8	6
17	देवरिया	826	78
18	एटा	583	43
19	इटावा	510	149
20	फैजाबाद	578	138
21	फर्रुखाबाद	641	37
22	फतेहपुर	354	24
23	पौड़ी-गढ़वाल	..	04
24	गाजीपुर	552	50
25	गोंडा	272	24
26	गोरखपुर	671	77
27	हरदोई	251	230
	योग ..	13,348	2,060

1	2			3	4
28	हमीरपुर	..	..	278	19
29	जालौन	..	..	201	64
30	जौनपुर	..	..	829	73
31	झांसी	..	..	412	19
32	कानपुर	..	..	641	74
33	खीरी	..	..	16	114
34	लखनऊ	..	..	247	112
35	मैनपुरी	..	..	60	51
36	मेरठ	..	..	170	90
37	मिर्जापुर	..	..	551	133
38	मुरादाबाद	..	..	58	176
39	मथुरा	..	..	17	30
40	मुजफ्फरनगर	..	..	163	62
41	नैनीताल	..	..	51	40
42	प्रतापगढ़	..	..	451	28
43	पीलीभीत	..	..	390	17
44	रायबरेली	..	..	348	61
45	रामपुर	..	..	251	44
46	सहारनपुर	..	..	184	221
47	शाहजहांपुर	..	..	147	69
48	सीतापुर	..	..	403	213
49	सुल्तानपुर	..	..	318	48
50	टिहरी-गढ़वाल	..	..	..	02
51	उन्नाव	..	..	450	143
52	पिथौरागढ़	..	..	29	30
53	उत्तर काशी	..	..	01	07
54	चमोली	..	..	..	01
		योग	..	6,702	1,941

1--पिछड़ी जाति के कुल प्रधानों की संख्या .. 20,050

2--हरिजन जाति के कुल प्रधानों की संख्या .. 4,001

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

तालिका

जिला नैनीताल की त्वरित योजना के अन्तर्गत निम्न सड़कें ली गई हैं :—

	नाम सड़क	नाम विकास खंड
1	मीरनौला–भोंडापानी	ओखलाकांडा ब्लाक
2	तल्ला रामगढ़–रातीघाट	रामगढ़ ब्लाक
3	पदमपुरी–सारना	रामगढ़ ब्लाक
4	अमृतपुर–बबियार्ड	भीमताल ब्लाक
5	भतरौचखान–बैतालघाट	बैतालघाट ब्लाक
6	कठवरिया–पनयाली	हल्द्वानी ब्लाक
7	आनन्दपुर–देवलचौड़	हल्द्वानी ब्लाक
8	मालकन चौड़–पिलावली	रामनगर ब्लाक
9	टनकपुर–मनिहारगोठ	खटीमा ब्लाक
10	बसधर–तिलियापुर	खटीमा ब्लाक
11	शान्तीपुर–कैलोनी	रुद्रपुर ब्लाक
12	सिमला–पिस्तौर	रुद्रपुर ब्लाक
13	गंगापुर–खेड़ा	रुद्रपुर ब्लाक
14	लालपुर–महराजपुर	रुद्रपुर ब्लाक
15	केलाखेड़ा–खेमपुर	बाजपुर ब्लाक
16	मघपुरी–श्रीरामपुर	बाजपुर ब्लाक
17	गुलरभोज–रोशनपुर	बाजपुर ब्लाक
18	प्रेमनगर–अलखदेवा	बाजपुर ब्लाक
19	मासिव–बेरिया दौलत	बाजपुर ब्लाक
20	जसपुर–संयासीवाला	काशीपुर ब्लाक
21	अंगतपुर–धरमपुर	काशीपुर ब्लाक
22	गढ़ीनेगी– बैलजूड़ी	काशीपुर ब्लाक

नत्थी 'ब'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

क्रम-संख्या	योजना का नाम

आयोजनेतर

1 केन्द्रीय निदेशालय।
2 फल संरक्षण तथा डिब्बा बन्दी संस्थान।
3 पर्वतीय जिलों में बागवानी विकास।
4 बागवानी व पौध संरक्षण केन्द्र तथा गश्ती टोलियां।
5 सचल शिक्षण कक्षायें।
6 प्रक्षेत्र फलोद्यान तथा पौधशालायें।
7 पौधों पर राज्य सहायता।
8 फल शोध योजना।
9 मेले प्रदर्शनियां।
10 भारत तिब्बत सीमान्त क्षेत्र के विकास की योजना (बहुउद्देशीय औद्यानिक प्रक्षेत्र)।

सहायक खाद्य उद्योग योजना

11 फल और तरकारियों का निर्जलीकरण।
12 केन्द्रीय संगठन।
13 प्रख्यापन तथा प्रचार के लिये सचल इकाइयां।

आयोजनागत

1 चम्बा मंसुरी सड़क के सममार्श्व में औद्यानिकी विकास की योजना।
2 प्रजन्नि फलोद्यानों का स्थापित किया जाना।
3 पर्वतीय क्षेत्रों में साग भाजी के बीज के उत्पादन की योजना।
4 पर्वतीय क्षेत्रों में साग भाजी के उत्पादन के सघनीकरण की योजना।
5 कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र में जीव विज्ञान तथा व्हाइट, गुवा (कुरमुला) के नियंत्रण के संबंध में अनुसंधान करने की योजना।
6 औद्यानिक पौध संरक्षण सचल दल का प्रसार और फलोत्पादकों को औद्यानिक तथा पौध संरक्षण कार्य में प्राविधिक सहायता।
7 पर्वतीय फल शोध केन्द्र चौबटिया का विस्तार।
8 राजकीय फल उद्यानों का विकास।
9 आजमगढ़, देवरिया व गाजीपुर में अतिरिक्त सामुदायिक डिब्बा बन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
10 फल संरक्षण एवं डिब्बाबन्दी संस्थान, लखनऊ का विस्तार।
11 खाद्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, खाद्य बहुधन्धी संस्थान।
12 अल्मोड़ा, नैनीताल, तथा पौड़ी गढ़वाल में फल पट्टियों और उद्यान उपनिवेशों की स्थापित करने की योजना।
13 अल्मोड़ा, नैनीताल, और टिहरी में फल उत्पादकों को औद्यानिक प्रशिक्षण देने की योजना।

क्रम-सं0	योजना का नाम
14	कुमायूं के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल के चार पहाड़ी जिलों में दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण (तकावी) का सविस्तार।
15	उत्तर प्रदेश पर्वतीय औद्यानिक विकास परिषद, को वित्तीय सहायता।
16	उर्वरक, कीटनाशक औषधियां, औद्यानिकी तथा पौध संरक्षण के उपकरण और फसल के पौधों तथा सब्जी के बीज के वितरण के लिए राज सहायता देने की योजना।
17	सतति फलोद्यान एवं पौधशालाओं की स्थापना।
18	कुमायूं तथा गढ़वाल के 4 पर्वतीय जिलों में औद्यानिक प्रसार एवं पौध संरक्षण सेवा का सुदृढ़ीकरण।
19	नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल में फलपट्टियों एवं उद्यान उपनिवेशों की स्थापना तथा फल उत्पादकों को दीर्घकालीन ऋण देने की योजना।
20	पर्वतीय फल शोध केन्द्र चौबटिया में फल तथा सब्जियों के शोध कार्य का सुदृढ़ीकरण
21	फल संरक्षण तथा डिब्बा बंदी संस्थान, लखनऊ में शोध कार्य की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
22	भवन निर्माण (स्पिल ओवर)।
23	सामुदायिक डिब्बा वन्दी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
24	विपणन तथा निर्यात प्रोन्नति की योजना।
25	सब्जी एवं सब्जी बीज पर अनुसंधान तथा सब्जी बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र की योजना।
26	पर्वतीय क्षेत्र में गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के सात जिलों में घाटी फल शोध योजना।
27	पर्वतीय फल शोध केन्द्र, चौबटिया में केसर, अदरख तथा मसालों पर शोध कार्य करने तथा अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी तथा नैनीताल के पर्वतीय जिलों में उनकी खेती की योजना।
28	उद्यान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रदर्शनियां प्रसार एवं विज्ञापन की योजना।
29	रा0 आदर्श उद्यान चौबटिया हेतु भूमि का क्रय।
	भारतीय कृषि परिषद् द्वारा पोषित योजनायें
30	भारतीय कृषि शोध परिषद्, के सहयोग से सेब, आड़ू पर अनुसन्धान की योजना
31	विषाणमुक्त फलवृक्षों के शीतोष्ण प्रमाणीकरण निरीक्षण एवं पंजीकरण की योजना
	शेष योजनायें
32	खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के लिए भूमि का क्रय।
33	प्रक्षेत्र फलोद्यान एवं पौधशालाओं का सुदृढ़ीकरण।
34	फलोत्पादकों की आवंटन हतु आदर्श उद्यानों की स्थापना।
35	चम्बा, मंसूरी फल पट्टी क्षेत्र में 50 एकड़ बहुमुखी राजकीय उद्यानों की स्थापना।
36	पर्वतीय जिलों में मशरूम उत्पादन की खेती।
37	कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों के मृदा सर्वेक्षण दलों की स्थापना
38	अखरोट विकास उत्पादन योजना।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 80 पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची।

---

(1) खण्ड 2 में अंक '1947' पश्चात् अर्द्ध-विराम (कामा) का चिन्ह जोड़ दिया गया है।

(2) खण्ड 3 में शब्द 'धारा 12-बीबी' के पूर्व शब्द 'मूल अधिनियम की' जोड़ दिये गये हैं।

(3) खण्ड 3 में शब्द 'निम्नलिखित धारा' के स्थान पर शब्द 'निम्नलिखित धारायें' कर दिये गये हैं।

(4) खण्ड 3 में प्रस्तावित नयी धारा 12-बी डी की उपधारा 3 की पक्ति 1 में शब्द 'हानिपूति' के स्थान पर शब्द 'हानिपूर्ति' तथा पक्ति 2 में शब्द 'प्रस्तुग' के स्थान पर शब्द 'प्रस्तुत' कर दिया गया है।

संसद भवन

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पष्ठ 81 पर)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 में उत्त र प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये शाब्दिक संशोधनों की सूची

---

(1) खण्ड 2 में प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) की पंक्ति 15 में शब्द "कोटस्" के स्थान पर शब्द "कोर्टस्" कर दिया गया है।

(2) खण्ड 2 की उपधारा 2 की पंक्ति 3 में शब्द "गई" के स्थान पर शब्द "गयी" कर दिया गया है।

(3) विधेयक में जहां जहां शब्द "लेटर्स" आया है उसके स्थान पर शब्द "लैटर्स" कर दिया गया है।

विधान भवन

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 81 पर)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत शाब्दिक संशोधनों की सूची

(1) खण्ड 3 के उपखण्ड (7) की पंक्ति (1) में शब्द "को" के स्थान पर शब्द 'का' तथा पंक्ति 2 में शब्द "विधिअमान्य" के स्थान पर शब्द "अविधिमान्य" कर दिये गये है।

(2) खण्ड 4 के उपखंड (2) की पंक्ति 2 में शब्द "शक्तियों" के पश्चात् शब्द "प्राप्त" जोड़ दिया गया है।

(3) खण्ड 11 के उपखंड 2 (ख) की पंक्ति 2 में शब्द "उसकी" के स्थान पर शब्द "उनकी" कर दिया गया है।

विधान भवन

नत्थी 'ढ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 81 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबन्धन) विधेयक, 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

---

(1) विधेयक के खण्ड 2 (क) की पंक्ति 2 में शब्द "जिसके" के पूर्व चिन्ह "(" रख दिया गया है; तथा पंक्ति 3 में शब्द "है" और "से" के बीच में चिन्ह ")" रख दिया गया है।

(2) खण्ड 2 (क) की पंक्ति 2 में शब्द "सम्बर्धन" के स्थान पर "संवर्धन" रख दिया गया है।

(3) खण्ड 2 (ख) की पंक्ति 4 में शब्द "तत्सदृश्य" के स्थान पर शब्द "तत्सदृश" रख दिया गया है।

(4) खण्ड 2 (ग) की पंक्ति 2 में शब्द "कंट्रैक्ट्स" के स्थान पर शब्द "कांट्रैक्ट्स" रख दिया गया है।

(5) खण्ड 3 की उपधारा 2 की पंक्ति 2 में शब्द "एतद्पश्चात" के स्थान पर शब्द "एतत्पश्चात्" रख दिया गया है।

नत्थी "ण"

(देखिए पीछे पृष्ठ 81 पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

---

(1) खण्ड 4 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अनुच्छद" के स्थान पर शब्द "अनुच्छेद" कर दिया गया है।

(2) खण्ड 7 द्वारा प्रस्तावित नियम 5 (1) की पंक्ति 1 में शब्द "पट्टेदार की" के स्थान पर शब्द "पट्टेदार के" तथा शब्द "उसका" के स्थान पर शब्द "उसकी" कर दिया गया है।

(3) खण्ड 8 के उपखण्ड (2) (ख) के अन्त में (,) कामा के स्थान पर '(;) सेमी-कोलन' कर दिया गया है।

(4) खण्ड 8 के उपखण्ड 4 के अन्त में (;) के स्थान पर (;) सेमीकोलन कर दिया गया है।

नत्थी "त"

(देखिए पीछे पृष्ठ 82 पर)

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

(1) खण्ड 2 (1) की पंक्ति 3 में शब्द "लिये" के पश्चात् शब्द "अधिनियम" जोड़ दिया गया है।

(2) खण्ड 3 (1) की पंक्ति 1 में शब्द "निम्नलिखित" के पश्चात् शब्द "उपधारा" जोड़ दिया गया है।

(3) खण्ड 4 में प्रस्तावित धारा 3 (1) की पंक्ति 5 में शब्द "मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "मजिस्ट्रेट" कर दिया गया है।

(4) खण्ड 4 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अग्रेतर प्रतिबन्धात्मक खण्ड की पंक्ति 4 में शब्द "उपर्युक्त" के स्थान पर शब्द "उपयुक्त" कर दिया गया है।

(5) खण्ड 6 की पंक्ति 1 में शब्द "उसकी" के स्थान पर शब्द "उसको" कर दिया गया है।

(6) खण्ड 6 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) की पंक्ति 2 में शब्द "विवाद-मण्डल" के स्थान पर शब्द "विधान-मण्डल" कर दिया गया है।

नत्थी 'थ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 91 पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में—

(1) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात्:—

"(5) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(2) पार्श्वशीर्षक में अंक तथा शब्द '10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि, तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में अंक तथा शब्द '10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1972 का निरसन

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने और कीमतों के बढ़ने तथा प्राकृतिक विपदाओं के दौरान तत्काल अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं के कारण राज्य आकस्मिकता निधि में रखी हुई 20 करोड़ रुपये की धनराशि अप्रत्याशित व्ययको विधान मंडल द्वारा अधिकृत किये जाने तक पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः यह प्रस्ताव है कि दस करोड़ रुपये की और धनराशि इस निधि में जमा कर दी जाय। तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिए पीछे पृष्ठ 91 पर)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 12; 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 2 में—

(1) उपधारा (1) और उपधारा (1-क) में जहां-जहां शब्द "प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा" आये हों, उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं, अर्थात्:—

"प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर और 6,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए नियमों द्वारा अलग से नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से उत्तर प्रदेश के बाहर, किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा;" और

(2) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पटीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (1-क) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की गणना में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी जो उसे यात्रा के दौरान पड़ती हो, निकाल दी जायेगी।"

उद्देश्य और कारण

विधान मण्डल के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय रेल से यात्रा के लिए निःशुल्क असंक्रमणीय रेल कूपन दिये जाते हैं। अब यह तय किया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भी रेल यात्रा कूपनों से 6,000 किलोमीटर वार्षिक की रेल यात्रा की सुविधा दी जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
संसदीय कार्य मंत्री।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ध'

(देखिये पीछे पृष्ठ 92 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) संशोधन विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के पार्श्वशीर्षक में शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप-सभापति" रख दिये जायं और उसकी उपधारा (1) में शब्द, "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" तथा शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "सभापति" और उप-सभापति" रख दिये जायं।

—

धारा 3 का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 निकाल दी जाये।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में तथा उस पार्श्व शीर्षक में शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति" रख दिये जायें।

धारा 4—क का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 4—क निकाल दी जाय।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

6—उपाध्यक्ष तथा उपसभापति प्रत्येक 24 दिसम्बर, 1970 से प्रारम्भ होकर उस दिनांक, जब उन्हें मूल अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण परिवहन की व्यवस्था वास्तव में की गयी हो, के ठीक पूर्व दिनांक तक की अवधि के लिये एक सौ पचास रुपये प्रतिमाह का परिवहन भत्ता दिया जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप-सभापति को राज्य मंत्री का स्तर, वेतन व अन्य सुविधायें देने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा, जो 24 दिसम्बर, 1970 से प्रवृत्त हुआ, उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति को सरकारी परिवहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। तदनुसार उक्त दिनांक से उनको 150 रुपये प्रतिमाह का परिवहन भत्ता दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं रही। परन्तु उनके लिये सरकारी परिवहन की व्यवस्था वास्तव में करने में समय लगा, इसलिये 24 दिसम्बर, 1970 से उस दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक तक जब उनके लिये सरकारी परिवहन की व्यवस्था वास्तव में की गयी हो, उन्हें परिवहन भत्ता देने की स्वीकृति जारी रखने की व्यवस्था करने का भी निश्चय किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
संसदीय कार्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 247 एल० ए०—1973-835।